सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट | 2017-18

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

राष्ट्रीय महिला आयोग

वार्षिक रिपोर्ट
2017–18

राष्ट्रीय महिला आयोग

प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया–110025

http:\\www.ncw.nic.in

विषय सूची

		पृष्ठ
	प्राक्कथन	i-iii
अध्याय–1	प्रस्तावना	1-5
अध्याय–2	शिकायत और अन्वेषण	6-16
अध्याय–3	अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित मुद्दे	17-21
अध्याय–4	स्वप्रेरणा से मामलों/घटनाओं का संज्ञान	22-25
अध्याय–5	नीति, निगरानी और अनुसंधान	26-49
अध्याय–6	महिला कल्याण, सुरक्षा और जेंडर संवेदनशीलता	50-53
अध्याय–7	पूर्वोत्तर (एन.ई.) में पहलें	54-59
अध्याय–8	विधिक मुद्दों पर संमत्रणा	60-65
अध्याय–9	जेल, अभिरक्षा गृह और मनोरोग संस्थाओं का निरीक्षण	66-68
अध्याय–10	सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग	69-70
अध्याय–11	सूचना का अधिकार	71-73
अध्याय–12	लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया	74
अध्याय–13	हिंदी का प्रगामी उपयोग	75
अध्याय–14	मीडिया और पहुंच कार्यक्रम	76-77
अध्याय–15	वार्षिक लेखा 2017–18	78-127
अध्याय–16	लेखापरीक्षा रिपोर्ट	128-133
अध्याय–17	लेखापरीक्षा रिपोर्ट की मुख्य बातें और वर्ष 2017–18 के लिए उत्तर तथा उस पर की गई कार्रवाई	134-137
उपाबंध		
उपाबंध–I	आयोग की संरचना	140
उपाबंध–II	आयोग का संगठनात्मक चार्ट	141
उपाबंध–III	2017–18 के दौरान आयोग द्वारा विचार किए गए विषय जिसमें परिचालन माध्यम भी शामिल है	142-146
उपाबंध–IV	2017–18 के लिए अनुमोदित सेमिनारों के ब्यौरे और 2017–18 के लिए निर्मोचित की गई निधि	147-152
उपाबंध–V	अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन के ब्यौरे जिनके लिए 2017–18 के लिए निधि निर्मोचित की गई	153-156

Rekha Sharma
Chairperson

Tel. : 011-26944808
Fax : 011-26944771

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लाट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया
एफ.सी.–33, नई दिल्ली–110 025
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
PLOT NO. 21, FC-33, JASOLA
INSTITUTIONALAREA, NEW DELHI-110 025
Website : www.ncw.nic.in
E-mail : chairperson-ncw@nic.in
sharma.rekha@gov.in

प्राक्कथन

राष्ट्रीय महिला आयोग को अस्तित्व में आए हुए अब 25 वर्ष हो गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के 31 जनवरी, 1992 से लागू होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्य करना आरंभ किया। आयोग द्वारा इन वर्षों के दौरान अपने क्रियाकलापों की समीक्षा की गई और आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास किया गया है जिससे पता चल सके कि हम क्या कर पाए और क्या न कर सके। इससे हमने पाया कि 25 वर्ष के इस सफर की कई सकारात्मकताएं हैं और कुछ व्यवस्थागत और संरचनात्मक त्रुटियां और कमियां भी हैं जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के हमारे प्रयास के उद्देश्य में बाधाएं आड़े आई हैं।

महिलाओं के संवैधानिक और विधिक अधिकारों तथा हकदारियों का संवर्धन करने के लिए बहु–मुखी रणनीति बनाने की आवश्यकता है इसमें ऐसे वातावरण को सृजित करना भी शामिल है जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सके और प्रभावी रूप से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पाएं। इसके लिए सतत् प्रयास और सहभागियों के साथ निरंतर रूप से मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, आयोग वर्ष 2017–18 के दौरान केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य महिला आयोगों, राज्य सरकार के विभागों, शैक्षणिक संस्थाओं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर गैर सरकारी संगठनों के साथ, अपने सक्रिय सहयोग के वातावरण का उपयोग करता रहा है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, आयोग, कई सेमिनारों, कार्यशालाओं, विधिक जागरूकता कार्यक्रमों, जेंडर संवेदनशील कार्यक्रमों आदि के माध्यम से जानकारी और सूचना का प्रचार करने के लिए सतत् रूप से कार्य करता रहा है। इन कार्यक्रमों को विभिन्न संगठनों के सहयोग से आयोजित किया गया। आयोग ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कई अनुसंधान अध्ययन इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रायोजित किए कि इनसे महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए नए विचार विकसित करने में सहायता मिलेगी।

आयोग ने महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विधि प्रवर्तन अभिकरणों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिससे कि वे अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय जेंडर संवेदनशीलता को ध्यान में रखे।

आयोग ने इससे पहले, पूर्वोत्तर राज्य में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए एक अध्ययन कराया था। अब आयोग सभी संबंधित अभिकरणों के साथ इन सिफारिशों का अनुसरण कर रहा है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि जमीनी स्तर पर इन सिफारिशों पर कार्रवाई हो रही है। इस संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य महिला आयोगों और पूर्वोत्तर परिषद् के साथ बैठकें की गई जिसमें अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक कार्यान्वयन के लिए मुद्दों की पहचान की गई। आयोग ने मणिपुर में पंचायत राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ किया है। आयोग ने महिलाओं से संबंधित विधियों पर महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के लिए प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए आयोग परस्पर संवादात्मक बैठकें आयोजित करता रहा है।

आयोग को व्यथित महिलाओं से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों का संबंध, महिलाओं द्वारा अपने दैनिक जीवन में, घर पर, कार्यस्थल पर और अन्य स्थानों पर आने वाली समस्याओं, जिसके परिणामस्वरूप वे गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर पाती हैं, से होता है। आयोग ने शिकायतों के पंजीकरण, उन पर कार्यवाही और समाधान करने के लिए एक पूर्ण रूप से कार्यकारी आन लाइन प्रणाली विकसित की है। आयोग राज्य के संबंधित प्राधिकारियों और लोक तथा निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के साथ सक्रिय रूप से शिकायतों का अनुसरण भी करता है। आयोग अपने सक्रिय प्रयासों के परिणामस्वरूप ऐसी कई शिकायतों का समाधान भी कर पाया है। आयोग ने महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार के विनिर्दिष्ट मामलों में अन्वेषण के लिए, घटनास्थल का भी दौरा किया और जांच भी की।

आयोग सतत् रूप से बड़ी संख्या में ऐसी घटनाओं, जिनमें महिलाओं के अधिकारों का वंचन और उनके विरूद्ध कारित किए गए जघन्य अपराध हैं, का स्व–प्रेरणा से संज्ञान लेता रहा है। आयोग के प्रयासों के कारण ऐसे अपराधों के अन्वेषण और अपराधियों के अभियोजन में भी शीघ्रता आई है। आयोग, विदेश मंत्रालय, विदेश में हमारे मिशन और राज्य पुलिस प्राधिकारियों आदि के साथ समन्वय करके, अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मामलों को हल करने के लिए भी सहायता प्रदान करता रहा है।

आयोग ने इस तथ्य को कि अभिरक्षा में रखी महिलाओं को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है जिससे कि उनकी गरिमा सुनिश्चित हो सके और अभिरक्षा गृहों में मानवोचित परिस्थितियां हो, ध्यान में रखते हुए 2017–18 के दौरान कारागारों और अभिरक्षा गृहों के निरीक्षण के लिए एक व्यापक प्रोफार्मा विकसित किया और इस सलाह के साथ संबंधित प्राधिकारियों के साथ इसे साझा किया गया कि वे इसे भर कर आयोग को प्रेषित करें। महिला संवासियों की स्थिति के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोग ने जेलों/अभिरक्षा संस्थाओं का दौरा व निरीक्षण किया और, जहां कहीं आवश्यक पाया, संबंधित प्राधिकारियों को उपचारात्मक उपायों की सिफारिश की। इसी प्रकार पूरे देश में अवस्थित मनोरोग

गृहों का भी निरीक्षण किया गया। 2018–19 के दौरान और अधिक अभिरक्षा संस्थाओं और मनोरोग गृहों का निरीक्षण करने की योजना है।

''हिंसा मुक्त गृह– महिलाओं का एक अधिकार'', परियोजना में महिलाओं के विरूद्ध अपराध कोष्ठक (सी.ए.डब्ल्यू.) में सामाजिक कार्यकर्ताओं/सलाहकारों की व्यस्था की गई हैं। परियोजना का विस्तार, प्रायोगिक आधार पर, ओडिसा, पंजाब, असम, मेघालय, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और बिहार में भी किया गया है और अब यह परियोजना इन राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं।

कुल मिलाकर, इस वर्ष, आयोग की गतिविधियों में तेजी आई है जिससे आयोग की पहुंच बढ़ी है और महिलाओं को और अधिक सशक्त करने में सहायता मिली है। आयोग द्वारा अन्य सहभागियों के साथ मिलकर ऐसे कई नए कार्यक्रम और हस्तक्षेप करने की योजना बनाई है जिनका कार्यान्वयन अगले दो वर्षों में किया जाएगा। हम 2018–19 और इसके पश्चात् हमारे क्रियाकलापों को और आगे बढ़ाने के बारे में आशावान है। इनमें से दो बड़ी गतिविधियां है, (i) महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में डिजिटल साक्षरता; और (ii) होम टूरिज्म को बढ़ावा देकर महिलाओं का, खासकर उत्तर–पूर्वी राज्यों में सशक्तिकरण। महात्मा गांधी ने कहा था कि मिट्टी का बर्तन चोट से टूटेगा ही, यह हो सकता है कि वह पहले पत्थर से न टूटकर दूसरे से टूटे। खतरे से बर्तन को दूर रखना, इसका उपाय नहीं है अपितु इसे ऐसा बनाया जाना चाहिए ताकि कोई भी पत्थर उसे न तोड़ सके। गांधी जी के शब्दों को आत्मसात करते हुए आयोग महिलाओं को सशक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा जिससे कि महिलाएं प्रभावी रूप से चुनौतियों का सामना करके उन्हें अवसरों में बदल दें।

इस अवसर पर, मैं आयोग की ओर से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों, आयोग के मेरे सहयोगियों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त करती हूं। इन सबके सामूहिक प्रयासों और प्रतिबद्धता के कारण हम इन सुधारात्मक परिणामों को सुनिश्चित कर सके हैं।

रेखा शर्मा

(रेखा शर्मा)

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 भारत के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भरपूर क्षमता की अनुभूति के लिए सशक्त बनाने के प्रावधान है। इसमें प्रत्येक नागरिक के लिए एक ऐसा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक वातावरण तैयार करने का भी उपबंध किया गया है, जो सभी क्रियाकलापों में उनकी क्षमता की अनुभूति में सहायक हो। अन्य बातों के अलावा संविधान लिंग के आधार पर भेदभाव के होते हुए भी लैंगिक समानता और समान अवसर की उपलब्धता की गारंटी देता है।

1.2 देश के विकास के लिए सभी आर्थिक क्रियाकलापों में पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। यह ध्यान में रखते हुए कि जब तक असमानता विद्यमान रहेगी तब तक कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है संसद् द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम 31 जनवरी, 1992 को प्रवृत्त हुआ और तद्नुसार आयोग स्थापित किया गया। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10 में आयोग के कृत्यों को सूचीबद्ध किया गया है। संक्षेप में, आयोग निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी है :–

(i) महिलाओं के लिए उपबंधित सांविधानिक और विधिक रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन और अनुवीक्षण करना;

(ii) विद्यमान विधानों की समीक्षा करना और जहां आवश्यक हो, संशोधनों का सुझाव देना;

(iii) महिला अधिकारों के वंचन से संबंधित मामलों के बारे में शिकायतों की जांच पड़ताल और स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना जिससे निःसहाय महिलाओं को कानूनी अथवा अन्य सहायता प्रदान की जा सके;

(iv) महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियमित सभी विधानों के समुचित कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना, जिससे महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता और राष्ट्र के विकास में समान भागीदारी निभाने के लिए समर्थ बनाया जा सके; और

(v) संवर्धन और शैक्षिक अनुसंधान कराना और महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना संबंधी प्रक्रिया में भाग लेना और उस संबंध में सलाह देना।

1.3 आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य–सचिव शामिल है। आयोग की संरचना **उपाबंध–I** पर दी गई है। अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम कार्यावधि तीन वर्ष तक है। आयोग की सहायता के लिए एक सचिवालय विद्यमान है। इसके अलावा अनुभाग/इकाइयां प्रशासनिक विषयों के संबंध में कार्यवाही करते हैं जिसमें सूचना के अधिकार से संबंधित मुद्दें, आई.टी., राजभाषा, जन सपंर्क आदि शामिल है। आयोग द्वारा दिन प्रतिदिन के कृत्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं:

(i) शिकायत और अन्वेषण

(ii) अनिवासी भारतीय

(iii) नीति, अनुवीक्षण और अनुसंधान

(iv) क्षमता निर्माण

(v) महिला सुरक्षा

(vi) स्वप्रेरणा

(vii) पूर्वोत्तर

(viii) महिला कल्याण

(ix) मनोरोग गृह/संरक्षण सुधार गृह

(x) विधिक प्रकोष्ठ

1.4 इस समय प्रकोष्ठों में वृत्तिक रखे गए हैं, जिनमें से अधिकांश संविदागत बाह्य स्रोत आधार पर नियोजित हैं, कुछ कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भी नियुक्त किया गया हैं। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **उपाबंध–II** में दिया गया है।

1.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग की 11 बैठकें हुई। आयोग की बैठकों और उसमें लिए गए प्रमुख निर्णयों का विवरण **उपाबंध–III** में दिया गया है।

1.6 राष्ट्रीय महिला आयोग ने तारीख 31 जनवरी, 2018 को अपनी स्थापना का 25वां वार्षिकोत्सव समारोह विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया। समारोह के भागरूप (i) घरेलू हिंसा निवारण; (ii) कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न; (iii) अनिवासी भारतीय विवाह और अभित्यजन; और (iv) एसिड हमला और बलात्संग (उत्तरजीवन के मुद्दे) विषयों पर मंत्रणा आयोजित की गई। इन मंत्राणांयों में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों ने भाग लिया। अपराह्न सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई। मंत्री महोदया ने आयोग द्वारा तैयार की गई काफी टेबल पुस्तक का भी विमोचन किया जिसमें आयोग की स्थापना के पश्चात् 25 वर्ष के सफर और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों तथा संसाधन व्यक्तियों के साथ व्यापक रूप से विचार–विमर्श किया। माननीय राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डा. वीरेन्द्र कुमार ने पूर्वाह्न में समारोह का शुभारंभ किया और आयोग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

1.7 आयोग ने अपने अधिदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान स्वयं अपनी ओर से और

अन्य संगठनों के साथ मिलकर महिलाओं की सुरक्षा, कल्याण और सशक्तिकरण को अग्रसर करने के लिए कई कदम उठाए। इसमें महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों के बारे में जनता को संवेदनशील बनाने के लिए कन्याकुमारी से श्रीनगर तक सफलतापूर्वक

पैदल चलने की सुश्री सृष्टि बख्शी का प्रयास भी है। आयोग ने तारीख 4 मार्च, 2018 को इंडिया गेट, नई दिल्ली में "रात्रि में महिलाओं की सुरक्षा को पुनः प्राप्त करने" से संबंधित समारोह आयोजित किया।

1.8 जेलों और अन्य संरक्षण गृहों में महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करने और अत्यधिक मानवीय हालत बनाने की दृष्टि से आयोग ने जेलों की हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक प्रोफार्मा तैयार किया है। जेल निरीक्षण के इस प्रोफार्मा को कारागार प्राधिकारियों और राज्य महिला आयोगों के साथ भी साझा किया गया है। अब इस प्रोफार्मा का उपयोग ऐसे संरक्षण गृहों के निरीक्षण और प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के विश्लेषण के द्वारा त्रुटियों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। आयोग केंद्रीय जेलों का निरीक्षण कर रहा है। राज्य महिला आयोगों द्वारा जिला और अन्य जेलों का निरीक्षण किया जा रहा है। राज्य महिला आयोगों से यह अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रोफार्मा का उपयोग करें। आयोग के निष्कर्ष और सिफारिशों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ साझा किया जाता है और उस पर की गई कार्रवाइयों का अनुवीक्षण किया जाता है।

1.9 आयोग ने महिलाओं से संबंधित सुसंगत मुद्दों पर वर्ष 2017–18 के दौरान 29 अनुसंधान अध्ययन के लिए निधि प्रदान की है जिससे महिलाएं देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में भाग ले सके। ऐसे कुल 165 अनुसंधान प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार सेमिनार प्रस्तावों के लिए प्राप्त 968 प्रस्तावों में से 83 प्रस्तावों के लिए निधि निर्मोचित की गई है।

1.10 आयोग क्षमता निर्माण कार्यक्रम और पुलिस कर्मचारियों के लिए जेंडर संवेदनशील कार्यक्रमों को सतत् रूप से आयोजित कर रहा है। आयोग ने वर्ष 2017–18 के दौरान पुलिस के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और जेंडर संवेदनशील कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आयोग ने इस वर्ष के दौरान महिलाओं से संबंधित विधियों पर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता भी आरंभ की है। देश भर में इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लगभग 525 महाविद्यालयों की प्रतिपूर्ति की गई।

1.11 वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग ने मणिपुर राज्य में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ करने का विनिश्चय किया। राज्य सरकार और एन.आई.आर.डी. के साथ, आयोग ने इस कार्यक्रम के ब्यौरों के संबंध में विचार–विमर्श किया और इस बाबत कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिया। यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों को सशक्त करने में मददगार होगा और वे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और कल्याण कार्यक्रमों की योजनाए कार्यान्वयन और अनुवीक्षण में आसानी से भाग ले सकेगी।

1.12 आयोग ने जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ मिलकर तारीख 24 जनवरी, 2018 को "भारत में एसिड हमले का सामना करनेः सामाजिक–विधिक पहलू" पर आयोग के परिसर में एक राष्ट्रीय

सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार के दौरान हुई चर्चा के आधार पर यह सिफारिश की गई कि एसिड हमले से संबंधित मामलों में अत्यधिक कठोर दंडादेश दिया जाए। इससे पहले विवाह–पूर्व करारों पर एक दिन का राष्ट्रीय परामर्श भी आयोजित किया गया था और इसकी सिफारिशों को सरकार के साथ साझा किया गया। आयोग ने राज्य महिला आयोगों के सहयोग से विधिक जागरूकता कार्यक्रम, महिला संसद व सेमिनार भी आयोजित किए।

1.13 आयोग ने, अपने अधिदेश के अनुसार, देश के विभिन्न भागों से प्राप्त महिलाओं की बहुत सारी शिकायतों से संबंधित मामलों का अन्वेषण किया है। आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों से उन शिकायतों पर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए संपर्क करके अनेक मामलों में शिकायतों का निपटारा कराने में सहायता की है। वर्ष 2017–18 के दौरान 15381 शिकायतों का पंजीकरण किया गया। इसमें ऐसी अन्य शिकायतें शामिल नहीं हैं जो आयोग के अधिदेश में सम्मिलित नहीं है। आयोग ने अनेक मामलों में, विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित शिकायतों और विधियों के अकार्यान्वयन के आधार पर और पीड़ितों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए स्वप्रेरणा से संज्ञान भी लिया है। आयोग संबंधित प्राधिकारियों के साथ ऐसे मामलों का अनुसरण करता है और उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्टें भी मंगाता है। गंभीर मामलों में, आयोग ने आयोग के सदस्यों की अध्यक्षता में जांच समितियों का गठन भी किया। आयोग ने इस दौरान जन सुनवाई भी की और इस बाबत पुलिस और जनता की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक थी। आयोग ने स्पष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेही और आयोग द्वारा जिन प्रशासन और अन्य विषयों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है का संवर्धन करने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत अधिक से अधिक जानकारी को सार्वजनिक क्षेत्र में डालना भी है।

1.14 आयोग ने संबंधित अन्य साझेदारों की भागीदारी के साथ डिजीटल साक्षरता का कार्यक्रम महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया है इसमें इंटरनेट/सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग भी शामिल है। वर्ष 2018–19 के दौरान इसे आरंभ किया जाएगा।

1.15 कुल मिलाकर इस वर्ष के दौरान आयोग द्वारा अपने अधिदेश को अग्रसर करने के लिए कई क्रियाकलाप आयोजित किए हैं।

****

अध्याय–2

शिकायत और अन्वेषण

2.1 महिलाओं के और उनके अधिकारों के रक्षोपाय के लिए अधिनियमित कानूनी अधिकारों से वंचित करने और अक्रियान्वयन से संबंधित परिवेदना और शिकायतों का निवारण करना आयोग द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में से एक है। व्यक्ति विशेष की चिन्ता को दूर करना जमीनी स्तर पर, संवैधानिक और महिलाओं के विधिक अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करने में बहुत योगदान देता है। कानून, अधिकार, हकदारी, योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाएं उतनी ही अच्छी है, जितना अच्छा इनका क्रियान्वयन होता है। इन सबका परिणाम एक तरफ शिकायतों की संख्या में कमी में दिखना चाहिए और दूसरी तरफ परिणामस्वरूप कम हुई शिकायतों का त्वरित निवारण होना चाहिए।

2.2 शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ पूरे देश से प्राप्त महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने/कानूनों का अक्रियान्वयन आदि से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करता है। इस प्रकोष्ठ को शिकायतें लिखित या ऑनलाइन, www.ncw.nic.in रूप से प्राप्त होती हैं। कुछ शिकायतें मौखिक रूप से भी आती है। आयोग शिकायतों के निपटान के लिए वृत्तिकों और विशेषज्ञों की सेवाओं जैसे मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सक, विधिक परामर्शियों का उपयोग करता है। वर्ष 2017–18 के दौरान इस प्रकोष्ठ में और अधिक नियुक्तियां करके मजबूत किया गया है।

2.3 आयोग शिकायतों पर कार्यवाही/प्रक्रिया करते समय राज्य पुलिस प्राधिकारियों, राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के साथ तालमेल बनाए रखता है। आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और अन्य आयोगों के भी साथ क्रियाकलापों में समन्वय बिठाया जाता है।

2.4 आयोग शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के क्षेत्र में अग्रणीय रहा है। आयोग ने आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in के माध्यम से शिकायतों के शीघ्र और सरल पंजीकरण के लिए वर्ष 2005 में ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया। इस सॉफ्टवेयर में निरन्तर सुधार किया जा रहा है जिससे कि वह परिवर्तित हो रही आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उपयोक्ता अनुकुल हो। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप शिकायतों के पंजीकरण और पावती जारी करने में तेजी आई है। जिस भी व्यक्ति को कोई शिकायत है वह कहीं से भी उक्त साइट पर लॉगइन करके अपनी शिकायत पंजीकृत कर सकता/सकती है। उक्त शिकायत को पंजीकरण सं. दी जाती है। तत्पश्चात् उस शिकायत का निपटान भी डाक द्वारा/दस्ती प्राप्त होने वाली शिकायतों आदि की तरह ही किया जाता है। इस प्रणाली से शिकायत के पंजीकरण के समय उन्हें दी गई विशिष्ट प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके शिकायतकर्ता अपने मामले की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

2.5 अंतर्ग्रस्त गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने विभिन्न प्रकार की शिकायतों पर पर्याप्त रूप से विचार करने की दृष्टि से उनके संबंध में कार्यवाही करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रोटोकाल तैयार किया है। इसके अनुसार शिकायतों को "गैर–अधिदेश" और "अधिदेश" में वर्गीकृत किया जाता है। आयोग के अनुभव के आधार पर व्यापक रूप से शिकायतें निम्नलिखित वर्गों के अधीन की जाती है:

(i) पुलिस की उदासीनता/निष्क्रियता संबंधी शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को मामले का समय पर और उचित अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित किया जाता है। उनसे शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ए.टी.आर.) मंगायी जाती है और उसकी परीक्षा की जाती है। आयोग वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के साथ मामले के संबंध में फोन पर या लिखित रूप में संपर्क बनाए रखता है और व्यक्तिगत शिकायतों की प्रगति को तब तक मानीटर करता है, जब तक उनका तर्कपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकलता है;

(ii) पारिवारिक/वैवाहिक विवादों को, जहां तक संभव हो, परामर्श के माध्यम से हल किया जाता है। कुछ मामलों में आयोग पक्षकारों के साथ परामर्श के माध्यम से कलह का हल करने का कम से कम एक बार प्रयास करता है। बाहर के दम्पतियों/परिवारों की दशा में स्थानीय प्राधिकारियों/राज्य महिला आयोगों/एस.एल.एस.ए./डी.एल.एस.ए./ संरक्षण अधिकारियों से सहायता ली जाती है। शीघ्रतापूर्वक मामलों को हल करने की दृष्टि से किसी राज्य से संबंधित मामलों पर जन सुनवाई के दौरान भी विचार किया जाता है जहां ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, अन्य अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी शामिल है, मौजूद रहते हैं।

(iii) गंभीर अपराधों की दशा में आयोग जांच समिति गठित करता है। ऐसी समिति घटनास्थल पर जाकर जांच करती है, विभिन्न साक्षियों की परीक्षा करती है, साक्ष्य संगृहीत करती है और आयोग को अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसे अन्वेषण से हिंसा और अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को तुरन्त राहत और न्याय प्रदान करने में सहायता मिलती है। आयोग जांच समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करता है और न्यायालय में आरोपपत्र फाइल होने तक राज्य सरकारों/प्राधिकारियों के साथ ऐसे मामलों में अनुकरण करता रहता है या जहां शिकायत किए गए अभिकथन अन्वेषण के पश्चात् साबित नहीं होते हैं वहां मामले को बंद कर दिया जाता है।

(iv) कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की बाबत आयोग संबंधित संगठन/ विभाग/प्राधिकरण को ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार आन्तरिक समिति गठित करने की सलाह देता है। ऐसे सभी संगठनों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे आंतरिक समिति की रिपोर्ट की प्रति आयोग को उसके

परिशीलन के लिए प्रस्तुत करें। आयोग मीडिया/ कार्यशालाओं/सेमिनारों के माध्यम से अधिनियम के उपबंधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सक्रिय कदम भी उठाता है।

(v) आयोग, ऐसी शिकायतों को जो प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने से संबंधित नहीं हैं उन्हें राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग तथा तत्संबंधी राज्य आयोगों को समुचित कार्रवाई के लिए प्रेषित करता है। अन्य मामलों में शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को कार्रवाई के लिए, यथोचित, प्रेषित किया जाता है।

2.6 सामान्यतः निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतों/मामलों को ग्रहण नहीं किया जाता है, तथापि, ऐसे मामलों को जहां आयोग अधिकारों का अतिलंघन पाता है वहां विधि और प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्दिष्ट करता है।

(i) अपठनीय या अस्पष्ट, अनाम या छदम नाम वाली शिकायतें;

(ii) जब उठाया गया मुद्दा पक्षकारों के बीच संविदात्मक अधिकारों, बाध्यताओं आदि जैसे सिविल विवादों से संबंधित हो;

(iii) जब उठाए गए विवाद्यक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित न होकर सेवा संबंधी मामलों से जुड़े हों;

(iv) जब उठाया गया मुद्दा महिलाओं को अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित न होकर श्रम संबंधी/औद्योगिक मुद्दे से जुड़ा हो;

(v) जब मामला न्यायाधीन हो;

(vi) ऐसे मामले जो किसी राज्य आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो;

(vii) जब आयोग ने मामले में विनिश्चय पहले ही कर दिया हो;

(viii) जब मामला किसी अन्य आधार पर आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हो;

(ix) जब उठाया गया मुद्दा संपत्ति विवाद से संबंधित हो।

2.7 इस समय आयोग में प्राप्त और पंजीकृत होने वाली अधिदेश शिकायतों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में पंजीकृत किया जाता हैः–

(i) महिलाओं के विरूद्ध हिंसाः–

(क) बलात्संग का प्रयास;

(ख) बलात्संग;

(ग) लैंगिक हमला; और

(घ) तेजाब हमला;

(ii) लिंग चयनित गर्भपात; मादा भ्रूण हत्या/गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच;

(iii) लैंगिक उत्पीड़न जिसमें कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न भी शामिल है;

(iv) महिला अधिकारों के प्रति अपमानजनक परंपरागत प्रथाएं अर्थात् सती प्रथा, देवदासी प्रथा और चुड़ैल हत्या करना;

(v) स्त्री का अशिष्ट रूपेण प्रदर्शन;

(vi) दहेज उत्पीड़न/ दहेज हत्या;

(vii) महिलाओं का दुर्व्यापार/ वेश्यावृत्ति;

(viii) महिलाओं की लज्जा भंग करना;

(ix) पीछा करना/रतिदर्शन;

(x) महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध;

(xi) द्विविवाह/बहुविवाह;

(xii) विवाह में साथी चुनने का अधिकार;

(xiii) गरिमा के साथ जीवनयापन जिसमें,

(क) घरेलू हिंसा;

(ख) क्रूरता;

(ग) उत्पीड़न, भी शामिल है;

(xiv) महिलाओं का विवाह–विच्छेद की दशा में बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार;

(xv) लैंगिक (जेंडर) भेदभाव शिक्षा एवं कार्य का समान अधिकार;

(xvi) महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता;

(xvii) महिलाओं की निजता और इससे संबंधित अधिकार;

(xviii) महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता;

(xix) महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अधिकार;

2.8 वर्ष 2017–18 के दौरान अधिदेश के अन्तर्गत लगभग 15,381 शिकायतों/मामलों को पंजीकृत किया गया। अप्रैल 2017–मार्च 2018 के दौरान आयोग द्वारा जिन शिकायतों को पंजीकृत किया गया था उनका प्रकृति–वार और राज्य–वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष 2017–2018 के दौरान प्राप्त शिकायतों की प्रकृति–वार सूची

क्रम सं.	प्रकृति	कुल
1	द्विविवाह/बहुविवाह	167
2	महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध	339
3	दहेज उत्पीड़न/ दहेज हत्या	2371
4	महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता	297
5	लैंगिक भेदभाव शिक्षा एवं कार्य का समान अधिकार	49
6	स्त्री का अशिष्ट रूपेण प्रदर्शन	108
7	महिलाओं की लज्जा भंग करना	967
8	महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता	1896
9	महिलाओं की निजता और इससे संबंधित अधिकार	145
10	महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य का अधिकार	69
11	विवाह में विकल्प देने का अधिकार	403
12	गरिमा के साथ जीवनयापन का अधिकार	5770
13	लिंग चयनित गर्भपात/मादा भ्रूण हत्या/गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच	45
14	लैंगिक उत्पीड़न जिसमें कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न भी शामिल है	666
15	पीछा करना/रतिदर्शन	149
16	महिला अधिकारों के प्रति अपमानजनक परंपरागत प्रथाए अर्थात् सती प्रथा, देवदासी प्रथा, चुड़ैल करार करना	29
17	महिलाओं के साथ दुर्व्यापार/ वेश्यावृत्ति	83
18	महिलाओं के विरूद्ध हिंसा	1787
19	विवाह–विच्छेद की दशा में बच्चों की अभिरक्षा का महिलाओं का अधिकार	41
	कुल	**15381**

वर्ष 2017–2018 के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्य–वार ब्यौरा

क्रम सं.	प्रकृति	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	3
2	आन्ध्र प्रदेश	115
3	अरूणाचल प्रदेश	0
4	असम	43
5	बिहार	559
6	चंडीगढ़	36
7	छत्तीसगढ़	90
8	दादरा और नागर हवेली	3
9	दमन और दीव	2
10	दिल्ली	1664
11	गोवा	7
12	गुजरात	103
13	हरियाणा	901
14	हिमाचल प्रदेश	49
15	जम्मू और कश्मीर	43
16	झारखंड	182
17	कर्नाटक	307
18	केरल	63
19	मध्य प्रदेश	442
20	महाराष्ट्र	433
21	मणिपुर	3
22	मेघालय	3
23.	मिजोरम	0
24	नागालैंड	0
25	ओडिशा	90
26	पुडुचेरी	8
27	पंजाब	225
28	राजस्थान	661
29	सिक्किम	1
30	तमिलनाडु	228
31	तेलंगाना	138
32	त्रिपुरा	4
33	उत्तर प्रदेश	8454
34	उत्तराखंड	253
35	पश्चिम बंगाल	268
	कुल	**15381**

2.9 इसका विश्लेषण करने के पश्चात् यह पता चला कि गरिमा के साथ जीवन यापन करने के अधिकार, देहज उत्पीड़न/विवाहित महिला के साथ क्रूरता और पुलिस की उदासीनता से संबंधित शिकायतें बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। सबसे अधिक संख्या में जिन दस शिखर वर्गों से शिकायतें प्राप्त हुई उसे निम्नलिखित सारणी में उपदर्शित किया गया है:

दस शिखर वर्ग जिसमें शिकायतें दर्ज की गई

क्रम सं.	वर्ग	शिकायतों की संख्या
1.	गरिमा के साथ जीवन यापन	5770
2.	दहेज उत्पीड़न/ विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता	2371
3.	महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता	1896
4.	महिलाओं के विरूद्ध हिंसा	1787
5.	महिलाओं की लज्जा भंग करना	967
6.	लैंगिक उत्पीड़न जिसमें कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न भी शामिल है	666
7.	विवाह में विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार	403
8.	महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध	339
9.	द्विविवाह/बहु विवाह	167
10.	पीछा करना/रतिदर्शन	149

टिप्पणी : प्रकीर्ण और/गैर अधिदेश वर्ग के अधीन पंजीकृत की गई शिकायतों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

2.10 प्राप्त हुई शिकायतों के आकड़ें से यह प्रकट हुआ है कि उत्तरी राज्य से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिन दस राज्यों से सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है उन्हें नीचे दर्शित किया गया है:

दस शिखर राज्य जहां से सबसे अधिक शिकायतें मिली

क्रम सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	8454
2.	दिल्ली	1664
3.	हरियाणा	901
4.	राजस्थान	661

5.	बिहार	559
6.	मध्य प्रदेश	442
7.	महाराष्ट्र	433
8.	कर्नाटक	307
9.	पश्चिम बंगाल	268
10.	उत्तराखंड	253

टिप्पण: प्रकीर्ण/गैर–अधिदेश शिकायतों/पृष्ठांकनों को शामिल नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा कुछ सफल हस्तक्षेप

2.11 एक महिला ने राष्ट्रीय महिला आयोग में यह अभिकथन करते हुए शिकायत दर्ज कराई कि उसकी गर्भावस्था के कारण उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। संबंधित संगठन (दिल्ली स्थित एक प्राइवेट तकनीकी संस्था) के समक्ष इस मामलें को उठाया गया और संगठन के संबंधित मानव संसाधन प्रमुख को निदेश दिया गया कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के आज्ञापक उपबंधों का अनुपालन किया जाए। आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात् शिकायतकर्ता को संगठन ने बहाल कर दिया और उसे प्रसूति प्रसुविधा अधिनियिम, 1961 के अनुसार प्रसूति छुट्टियां और प्रसुविधाएं देने का भी आश्वासन दिया।

2.12 राष्ट्रीय महिला आयोग को पूरे देश से ऐसी महिलाओं से बडी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिन्हें उनके नियोजकों द्वारा 2017 में यथासंशोधित प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार प्रसूति छुट्टी या अन्य प्रसुविधाएं देने से इंकार किया है। इन महिलाओं में से अधिकतर महिलाएं विभिन्न सरकारी और प्राइवेट संगठनों में संविदात्मक, अस्थायी, दैनिक मजदूर, अनौपचारिक और तदर्थ आधार पर नियोजित हैं। ऐसी प्रक्रिया का संज्ञान लेने के पश्चात् अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के साथ बैठक की। इसके पश्चात् आयोग द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों को श्रम और रोजगार मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम आयुक्तों को प्रभावी रूप से प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के उपबंधों को प्रवृत्त करने और व्यतिक्रमी नियोजकों के विरूद्ध कठोर दांडिक कार्रवाई करने के लिए उचित निदेश जारी किए गए हैं।

2.13 आयोग को गुरूग्राम, हरियाणा के एक आवासीय काम्पलेक्स में अनुकूल–इतर पर्यावरण की बाबत एक शिकायत प्राप्त हुई। जिसमें वहां रह रही महिलाएं उत्पीड़न महसूस कर रही है। आयोग ने पुलिस आयुक्त और संबंधित अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ लिखित में और टेलीफोन के माध्यम से इस विषय को उठाया। पुलिस प्राधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और आयोग को सूचित किया कि आवश्यक कार्रवाई की गई तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।

2.14 आयोग को एक नवयुवती से, उसके पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के संबंध में की गई शिकायत की बाबत पुलिस निष्क्रियता की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष इस मामलें को उठाया गया और आयोग के समक्ष इस संबंध में रिपोर्ट भेजने और हाजिर होने के लिए समन भेजा। आयोग के हस्तक्षेप और नियमित पर्यवेक्षण के कारण पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने यह सूचना दी है कि आरोपपत्र फाइल कर दिया गया है और यह मामला न्यायालय के समक्ष है।

2.15 तारीख 16 अक्टूबर, 2017 को मानसिक आघात की दशा में एक नवयुवती आयोग में आई। मनोचिकित्सक के साथ परामर्श करने के पश्चात् वह यह कथन करने में सक्षम हो सकी कि एक लड़का निरंतर रूप से उसका मानसिक और यौन उत्पीड़न, यह धमकी देकर कर रहा है कि वह उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियों इंटरनेट पर अपलोड कर देगा और उसके परिवार को इनके ब्यौरे बता देगा। इस लड़की ने बताया कि उसके पास अपने माता–पिता या पुलिस को इस बाबत जानकारी देने की हिम्मत नहीं है। आयोग ने तुरंत लड़के और संबंधित पुलिस कर्मचारियों को बुलाया। पुलिस ने शिकायतकर्ता के कथन को अभिलिखित किया और तुरंत अन्वेषण आरंभ कर दिया। इसके पश्चात् पुलिस ने यह सूचित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन शिकायतकर्ता का कथन लेखबद्ध कर लिया गया है और इस समय अभियुक्त जेल में हैं।

2.16 आयोग को टेलीफोन पर बलात्संग की पीडिता ने यह अभिकथन किया कि वह दिल्ली में एक पुलिस थाने में बैठी हुई है और पुलिस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अनिच्छुक है। टेलीफोन पर तुरंत पुलिस उपायुक्त और संबंधित पुलिस थाना अधिकारी से संपर्क किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 376/328/509/506/34 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई और उसी दिन अभियुक्त के विरूद्ध वारंट जारी किए गए।

2.17 शिकायतों की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी और शीघ्रता और प्रभावी रूप से इनका निपटान करने के संबंध में विचार करने के पश्चात् राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिला विधिक प्राधिकरण और पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अगस्त, 2016 से एक प्रायोगिक परियोजना ''महिला जन सुनवाई'' आरंभ की है। वित्तीय वर्ष, 2017–18 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश के विभिन्न जिलों में 27 महिला जन सुनवाइयां आयोजित की गई। इन जन सुनवाइयों की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों द्वारा की जाती है। मामलों की स्थल पर ही सुनवाई करके कई शिकायतों को निपटाया गया। वर्ष 2017–18 के दौरान जन सुनवाइयों में जिन मामलों को निपटाया गया है उनके ब्यौरे नीचे दिए गए है:

राज्य वार ब्यौरे

आंध्र प्रदेश

क्रम सं.	राज्य	जिला	अवधि	निपटाए गए मामलों की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	11–12 अप्रैल 2017	80
2.	आंध्र प्रदेश	विजयवाडा	16 मार्च 2017	95
3.	असम	गुवाहाटी	19–20 मई 2017	90
4.	असम	गुवाहाटी	22 फरवरी 2018	85
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	28–29 अप्रैल 2017	80
6.	दिल्ली	केंद्रीय जिला	17 जनवरी 2018	85
7.	दिल्ली	उत्तर पश्चिम दिल्ली	11 जनवरी 2018	99
8.	हरियाणा	रोहतक	27–28 अप्रैल 2017	89

9.	कनार्टक	बैंगलोर	10 मार्च 2018	80
10.	मध्य प्रदेश	भोपाल	23 मार्च 2018	90
11.	महाराष्ट्र	पुणे	27–28 जून 2017	90
12.	महाराष्ट्र	मुंबई	29–30 जून 2017	85
13.	उडीसा	भुवनेश्वर	21 फरवरी 2018	87
14.	पंजाब	अमृतसर	17 जून 2017	90
15.	पंजाब	जालंधर	19 जून 2017	100
16.	राजस्थान	जोधपुर	30–31 मार्च 2017	85
17.	तमिलनाडु	चैन्नई	25–26 अप्रैल 2017	80
18.	तमिलनाडु	कोयंबटूर	16 मई 2017	95
19.	तेलंगाना	हैदराबाद	28–29 जून 2017	85
20.	उत्तर प्रदेश	गौतमबुद्ध नगर	18–19 अप्रैल 2017	100
21.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	13 जून 2017	90
22.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	15 जून 2017	99
23.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	20 जून 2017	95
24.	उत्तराखंड	देहरादून	15–16 मई 2017	80
25.	उत्तराखंड	हलद्वानी	17–18 मई 2017	80
26.	संघ/राज्य क्षेत्र	चंडीगढ़	31 मई– 1 जून 2017	98

****

अध्याय-3

अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित मुद्दे

3.1 वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति का क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय सीमा के पार आवागमन और अन्तः संबंध में रूकावट काफी हद तक कम हो गई है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सीमा के पार आवागमन तथा कार्य, व्यापार और विवाह के लिए देशांतरण अब कोई असामान्य बात नहीं रही है। भारतीयों के बीच विवाह के लिए एक देश से दूसरे देश में जा कर बसना भी अब एक सामान्य बात है। इसके परिणामस्वरूप समय समय पर ऐसे मुद्दें उठते रहे हैं जिनमें विशेष रूप से अनिवासी भारतीय विवाहों में कम से कम विवाह के पक्षकारों में से एक पक्षकार भारतीय नागरिक होता है।

3.2 अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित विवादों में इस तथ्य के कारण विधिक जटिलताएं अंतर्ग्रस्त होती है कि ऐसे विवाह न केवल भारतीय विधियों द्वारा शासित होते हैं अपितु इसमें उस देश की विधिक प्रणाली जहां दूसरी पार्टी जो भारतीय नागारिक हो या ऐसे अन्य देश का नागरिक हो जो भारत के बाहर किसी और देश में रह रहा हो। ऐसे विवाहों में अलग रहना/विवाह–विच्छेद, भरणपोषण, बच्चों की अभिरक्षा और उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधियों की अधिकारिता और विवाद उद्भुत होते रहते हैं। ऐसे विवाहों में महिलाओं की दुर्बलता, जैसे कि घरेलू हिंसा, परित्याग, एकपक्षीय विवाह–विच्छेद, विदेशी न्यायालयों की डिक्री के माध्यम से बच्चों की अभिरक्षा और पत्नी और बालकों का भरणपोषण न करना, जैसे विभिन्न तरीकों से प्रतिबिम्बित होती है।

3.3 अप्रैल 2009 में भारत सरकार द्वारा अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विभिन्न सहयोगियों के साथ समन्वय प्रयासों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को राष्ट्रीय समन्वय अभिकरण के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया था। तारीख 24 सितंबर, 2009 को आयोग ने एक अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ की स्थापना की। आयोग द्वारा अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मामलों में काफी बडी संख्या में हुई बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017–18 के दौरान इस प्रकोष्ठ को और अधिक मजबूत किया गया।

3.4 अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ को सौंपे गए मुख्य कृत्य निम्नलिखित हैं:

(i) ऐसी भारतीय महिलाओं, जिनका अनिवासी भारतीय/विदेशी पतियों ने परित्याग कर दिया है, से शिकायतें प्राप्त करना, उन पर कार्यवाही करना और ऐसी शिकायतकर्ताओं को हरसंभव सहायता प्रदान करना। इसमें पक्षकारों के बीच सुलह/हस्तक्षेप करना, विधिक मामलों में सहायता प्रदान करना, बाहर के मिशन/दूतावासों के साथ इन मामलों को उठाना, विभिन्न सहयोगियों, राज्य सरकारों, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस प्राधिकारियों, एस.एल.एस.ए./डी.एल.एस.ए., संबंधित मंत्रालयों और भारत और

विदेश में गैर–सरकारी संगठनों/सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय करना। शीघ्र कार्रवाई किए जाने को ध्यान मे रखते हुए संबंधित प्राधिकारियों से उन्हें निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में ''की गई कार्रवाई रिपोर्ट'' मंगाई जाती हैं।

(ii) आयोग के ध्यान में लाई गई किसी मुद्दे पर स्व–प्रेरणा से संज्ञान लेना।

(iii) मध्यस्थता नीति के लिए आयोग के पास पंजीकृत मामलों के डाटा बैंक/अभिलेख को बनाए रखने का प्रयास करना।

(iv) अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न सहयोगियों जैसे कि न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन को संवेदीग्राही करने के लिए उचित प्रशिक्षण माड्यूल बनाने का प्रयास करना और आम जनता के बीच जागरूकता सृजित करना।

3.5 सेवाओं के आंतर–अभिकरण, अभिसरण और विभिन्न सहयोगियों जैसे पुलिस, मंत्रालयो, भारतीय दूतावासों और विदेशों में हमारे मिशन तथा स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से आयोग परिवेदनाओं के उपचार को सुकर बनाता है। आयोग, व्यथित महिलाओं की सहायता विदेश मंत्रालय की योजना अर्थात् ''विदेशी भारतीय पतियों द्वारा अभित्यक्त भारतीय महिलाओं को विधिक और वित्तीय सहायता'' के अधीन प्रदान की गई सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सहायता करता है। विदेश मंत्रालय की इस योजना को सूचीबद्ध संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। आयोग भारतीय मिशन के साथ इन मामलों को उठाता है और यह अनुरोध करता है कि वे व्यथित महिलाओं के साथ संपर्क करें और उन्हें सूचीबद्ध संगठनों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यथाअपेक्षित कोई अन्य सहायता प्रदान कराए। आयोग से जारी किए गए समनों और वारंटों या उपयुक्त न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों और अन्य सुसंगत विषय पर जहां कहीं और जब कभी भी आवश्यक हो, गृह मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय के साथ भी पत्र व्यवहार करता है।

3.6 अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में पूरे देश से और विदेशों में भी निवास कर रही महिलाओं से अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों पर शिकायतें प्राप्त होती है। नीचे दी गई सारणी में 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक पंजीकृत शिकायतों के राज्य वार ब्यौरे संक्षेप में दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान पंजीकृत अनिवासी भारतीय मामले

राज्य	शिकायतों की संख्या
आंध्र प्रदेश	18
असम	1
बिहार	9
चंडीगढ़	6
छत्तीसगढ़,	3
दिल्ली	54
गुजरात	24
हरियाणा	42
हिमाचल प्रदेश	5
जम्मू – कश्मीर	3
झारखंड	3
कर्नाटक	36
केरल	15
मध्य प्रदेश	13
महाराष्ट्र	52
ओडिशा	3
पुडुचेरी	1
पंजाब	67
राजस्थान	14
तमिलनाडु	34
तेलंगाना	36
उत्तर प्रदेश	59
उत्तराखंड	4
पश्चिम बंगाल	10
कुल	**512**

3.7 अनिवासी भारतीय विवाहों के मामलें में भारत में रह रही व्यथित महिलाओं से अधिकतर शिकायतें निम्न विषयों पर प्राप्त हुई हैं:

भारत में रह रही व्यथित महिलाओं के मामलें में शिकायतों के आधार

- अभित्यजन
- पति और ससुराल वालों द्वारा घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न
- विवाह–विच्छेद और बालक अभिरक्षा पर विदेशी न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय
- पति/ससुराल वालों द्वारा शिकायतकर्ता के पासपोर्ट/अन्य दस्तावेजों को बलपूर्वक कब्जे में लेना
- शिकायतकर्ता को पति के अते पते के बारे में जानकारी न होना
- पति द्वारा देश छोड़ने के बारे में शिकायतकर्ताओं की आशंका
- शिकायतकर्ता और उसके बालकों का भरणपोषण
- विदेश में विधिक दस्तावेजों की तामील

3.8 विदेश में रह रही महिलाओं से जो शिकायतें प्राप्त होती हैं वे व्यापक रूप से निम्नलिखित से संबंधित है:

विदेश में रह रही महिलाओं की शिकायतों के आधार

- अभित्यजन
- पति और ससुराल वालों द्वारा घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न
- पति/ससुराल वालों द्वारा शिकायतकर्ता के पासपोर्ट/अन्य दस्तावेजों को जबरदस्ती कब्जे में लेना
- पति द्वारा आरंभ किए गए विवाह–विच्छेद या बाल अभिरक्षा से संबंधित मामलों का न्यायालय में प्रतिवाद करने के लिए सहायता न मिलना
- पति द्वारा शिकायकर्ता के विरूद्ध घरेलू हिंसा के मिथ्या मामलें फाइल करना

3.9 आयोग, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मामलों में काफी बडी संख्या में व्यथित महिलाओं को, न्याय दिलाने में सफल रहा है। उदारणार्थ, एक मामले में जिसमें पति और ससुराल के व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज होने और उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त पति के विरूद्ध अजमानतीय वारंट जारी करने के पश्चात्, इसके निष्पादन में विलंब हो रहा था। आयोग द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष इस मामले को उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप जब अभियुक्त भारत आया तब मई, 2017 में उसे गिरफ्तार

कर लिया गया। एक अन्य मामले में अभियुक्त पति का पासपोर्ट परिबद्ध किया गया था और आयोग के हस्तक्षेप करने के परिणामस्वरूप अवेक्षण परिपत्र (लुक आउट सरकुलर) जारी किया गया। तत्पश्चात् अभियुक्त को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। एक और अन्य मामले में भी अमेरिका में एक महिला का अभित्यजन उसके पति द्वारा किया गया था। आयोग ने भारत के महाकौंसलावास के माध्यम से इस महिला को अस्थायी आश्रय गृह दिलाने में सहायता प्रदान की। इस महिला को अमेरिकी न्यायालय में बालक अभिरक्षा के मामले का प्रतिवाद करने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा वित्तीय और विधिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही योजना के अधीन सहायता भी प्रदान की जा रही है। एक और अन्य मामले में भी आयोग के हस्तक्षेप से व्यथित महिला और उसके पति तथा ससुराल के व्यक्तियों के बीच समझौता हो जाने के पश्चात् महिला अपने दंपत्ति गृह में चली गई।

3.10 कई वर्षों से पंजाब में अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पंजाब राज्य महिला आयोग के सहयोग से चंडीगढ़ में तारीख 20 अप्रैल, 2017 को 'अनिवासी भारतीय विवाहः मुद्दे, चुनौती और आगे का रास्ता' मुद्दे पर एक दिन का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। आयोग ने तारीख 16 जून, 2017 को अमृतसर, पंजाब में अनिवासी भारतीय विवाहों पर एक दिन का एक और सेमिनार भी आयोजित किया। इन दोनों कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में सहयोगियों की पृच्छाओं को स्पष्ट किया गया था।

3.11 विधियों और अधिकारिता में संघर्ष के कारण अनिवासी भारतीय विवाहों में अंतर्ग्रस्त जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सहयोगियों के साथ संवाद करने के लिए व्यथित महिलाओं को एक सामान्य मंच प्रदान किया। राष्ट्रीय महिला आयोग में तारीख 27 मार्च, 2018 को इस विषय पर परामर्श बैठक आयोजित की गई जिसमें हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली से व्यथित महिलाओं या उनके प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए और अपनी समस्याएं और अनुभव को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था जिससे इस विषय से संबंधित विभिन्न मुद्दों को समझा जा सके और संभव हल निकाला जा सके। इस बैठक के आयोजन से शिकायतकर्ताओं के मन में काफी संदेहों और आशंकाओं को दूर करने में सहायता मिली। सभी सहयोगियों के दृष्टिकोण को समझनें में भी सहायता मिली।

****

अध्याय-4

स्वप्रेरणा से मामलों/घटनाओं का संज्ञान

4.1 राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों के वंचन और अधिलंघन के बारे में समाचारपत्रों, इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया में दर्शाई जाने वाली रिपोर्टों के आधार पर मामलों का संज्ञान स्वप्रेरणा से लेता है और ऐसे मामलों में जांच करने के लिए कार्रवाई आरंभ करता है। उन मामलों में जहां महिलाओं के अधिकारों का गंभीर अतिक्रमण होता है, आयोग जांच अथवा तथ्यों को देखने के लिए समितियों का भी गठन करता है। इस प्रकार गठित की गई समितियां/दल मामले का अन्वेषण करते हैं और विवाद्यकों को हल करने के लिए आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते है।

4.2 ऐसे मामलों की संख्या, जहां आयोग द्वारा 2017–18 के दौरान स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया है और जिन मामलों में की गई कार्रवाई की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं तथा जिन मामलों को बंद कर दिया गया है, की संख्या नीचे दी गई है:

2017–18 के दौरान स्व–प्रेरणा मामलें

क्रम सं.	संज्ञान लिए गए मामलों की संख्या	ऐसे मामलों जिनमें की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है (पुराने+नए)	बंद किए गए मामलों की संख्या
1.	151	119	35

4.3 उन मामलों का जहां राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2017–18 के दौरान स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया है और जांच समिति/तथ्य पता लगाने वाले दलों का गठन किया है, का सारांश नीचे है।

पटियाला, पंजाब में तारीख 20.4.2017 को अभिकथित दहेज मृत्यु

4.4 आयोग ने तारीख 17.4.2017 के एक ई–मेल के आधार पर सामना जिले, पटियाला में एक महिला की अभिकथित मृत्यु से संबंधित मामले की जांच की। आयोग को यह जानकारी मिली थी कि और अधिक धन लाने के लिए महिला को यातना दी गई थी और यह एक पूर्व–योजनानुसार की गई हत्या थी। संबंधित प्राधिकारियों से सलाह–मशविरा करने के पश्चात् आयोग ने यह सिफारिश की कि पुलिस को ऐसे मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और किसी विशेषज्ञ फोरेंसिक दल द्वारा शव–परीक्षा की जानी चाहिए। समिति के संप्रेक्षण और सिफारिशों को उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के साथ साझा किया गया था।

निर्मल छाया, दिल्ली की परिस्थिति

4.5 3 मई, 2017 के टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में, लड़कियों के प्रेक्षण गृह, निर्मल छाया के बारे में छपी एक रिपोर्ट के आधार पर आयोग द्वारा एक पांच सदस्यों की जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

(क) लड़कियों के ईलाज के लिए आने वाले डाक्टरों द्वारा उनके उपचार, रोगनिदान, औषधियों के बारे में उचित रूप से जानकारी नहीं दी जा रही थी, इसलिए यह सलाह दी गई कि जानकारी को बेहतर ढंग से देने के लिए, तंत्र स्थापित करने की आश्यकता है।

(ख) यह भी सिफारिश की गई कि दुरूपयोग की रिपोर्ट करने के लिए हाटलाइन की व्यवस्था की जाए, और

(ग) लड़कियों की शिकायतों का उपचार करने के लिए एक उचित प्रणाली विकसित की जाए।

4.6 समुचित कार्रवाई करने के लिए समिति के मत और सिफारिशों को सरकार के साथ साझा किया गया।

बुलंदशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्संग

4.7 राष्ट्रीय महिला आयोग के एक दल ने समाचारपत्रों में, बुलंदशहर, जिला उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार महिला यात्रियों को लूटने और सामूहिक बलात्संग के बारे में, छपी रिपोर्टें पर जांच पड़ताल की। जांच दल ने यह मत व्यक्त किया कि अन्य बातों के साथ–साथ कुल मिलाकर प्रशासन और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कुशलतापूर्वक और व्यावसायिक रीति से कार्यवाही की गई है। जांच दल ने अन्य बातों के साथ–साथ यह सिफारिश भी की कि बालिका के लिए अंतरिम सहायता और विभिन्न योजनाओं के अधीन दी जाने वाली मदद, जिसमें शैक्षणिक प्रोत्साहन भी है तुरंत दिए जाएं और सोलर प्रकाश के माध्यम से अंधेरी सड़क को अत्यधिक प्रकाशवान किया जाए तथा फोरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई की जाएं। जांच दल के मत और सिफारिशों को सरकार के साथ उचित कार्रवाई करने के लिए साझा किया गया। इस मामले में आरोपपत्र फाइल कर दिया गया है।

रोहतक में महिला के साथ सामूहिक बलात्संग और हत्या

4.8 आयोग ने मीडिया रिपोर्ट में छपे शीर्षक ''रोहतक में महिला के साथ क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्संग और विवाह प्रस्ताव को नामंजूर करने के पश्चात् हत्या'' का संज्ञान लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित जांच समिति ने मामले का अन्वेषण किया और अन्य बातों के साथ–साथ यह भी सिफारिश की कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और शव परीक्षण रिपोर्ट की एक

प्रति तुरंत पीड़िता के परिवार को दी जाए; शीघ्रतापूर्वक राज्य सरकार की निधि से और केंद्रीय सरकार की निधि से पीड़िता के परिवार को प्रतिकर का भुगतान किया जाए, शीघ्रता से अन्वेषण किया जाए और आरोपपत्र फाइल किए जाए और मामले का त्वरित न्यायालय के माध्यम से विचारण किया जाए जिससे कि पीड़िता के परिवार को समय पर न्याय मिल सके। समिति के मत और सिफारिशों की उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार के साथ साझा किया गया।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में की लड़कियों पर लाठी चार्ज

4.9 विश्वविद्यालय परिसर और छात्रावास क्षेत्र में लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के विरूद्ध विरोध कर रही महिला विद्यार्थियों की पुलिस द्वारा पिटाई करने के पश्चात् बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुए तनाव की बाबत मीडिया रिपोर्टों पर आयोग द्वारा स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया गया। जांच समिति ने मामले की जांच करने के लिए और बी.एच.यू. में की महिला विद्यार्थियों की चिंता दूर करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ बातचीत की। विद्यार्थियों के साथ हुई बातचीत के दौरान जिन समस्याओं की पहचान की गई उन मुद्दों को विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष उठाया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन का रूख सकारात्मक था और समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों पर बी.एच.यू. प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही की। समिति के मत और सिफारिशों को संबंधित मंत्रालय के साथ साझा किया गया।

खाड़ी देशों से आए पुरूषों को भारतीय बाल वधुओं को बेचा जाना

4.10 आयोग ने खाडी देशों से आए पुरूषों को पैकेज सौदे में भारतीय बाल वधुओं को बेचे जाने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया और इस मामले का अन्वेषण करने के लिए दो सदस्य जांच समिति का गठन किया। समिति ने विस्तृत अन्वेषण के पश्चात् ब्यौरेवार सिफारिशें की हैं जिन्हें संबंधित मंत्रालयों और तेलंगाना सरकार के साथ उनका मार्गदर्शन करने के लिए साझा किया गया है। यह प्रत्याशा है कि ये सिफारिशें अवयस्कों का मानवीय दुर्व्यापार/शोषण से संबंधित मुद्दों का सामना करने के लिए उपयोगी साबित होगी। आयोग इस विषय को संबंधित प्राधिकारियों के साथ आगे ले जाने के लिए कदम उठा रहा है।

एक निर्माण मजदूर द्वारा महिला के साथ बलात्संग और उसे ब्लैकमेल करना

4.11 आयोग ने, पश्चिमी बंगाल में एक निर्माण मजदूर द्वारा महिला के साथ बलात्संग करके उसे ब्लैकमेल करने के कारण महिला द्वारा आग लगाकर स्वयं को जलाने से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया और इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की। समिति ने बोलपुर सियान अस्पताल में ड्यूटी पर उपस्थित व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के सुसंगत उपबंधों का अबलंब लेने की सिफारिश की क्योंकि उन्होंने समय पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने में उपेक्षा की थी। यह भी पाया गया कि अस्पताल प्राधिकारियों ने मृत्यु

प्रमाणपत्र जारी नहीं किया था। समिति ने यह सिफारिश की कि व्यथित परिवार की पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति की जाए क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री को इसलिए खोया है कि उसे कई बार धमकी दिए जाने के बावजूद भी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। समिति के मत और सिफारिशों को राज्य सरकार के साथ उचित कार्रवाई किए जाने के लिए साझा किया गया था।

4.12 जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है आयोग, महिलाओं के अधिकारों का रक्षोपाय करने के लिए और प्रभावित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ताकि ऐसे मामलों में शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई हो, सक्रिय कदम उठाता रहा है।

****

अध्याय–5

नीति, निगरानी और अनुसंधान

5.1 राष्ट्रीय महिला आयोग अन्य बातों के साथ–साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवर्धनात्मक और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करता है। आयोग द्वारा या अन्य भागीदार संस्थाओं के माध्यम से कराए गए ऐसे अध्ययनों से महिलाओं की उन्नति और सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में उनकी प्रभावी भागीदारी में अड़चन डालने वाले कारणों का पता लगाने में सहायता मिलती है। आयोग का नीति, निगरानी और अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार से होने वाली विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का अन्वेषण करने के लिए संवर्धनात्मक और शिक्षा संबंधी अनुसंधान से संबंधित मामलों को देखता है। ऐसे अध्ययनों से रूकावटों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए रणनीति बनाने की सिफारिश करने में सहायता मिलती है। वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग ने महिलाओं के उबाउपन और व्यवसायिक स्वास्थ्य परिसंकटों के लिए जिम्मेदार बातों का विश्लेषण करने से संबंधित कई क्रियाकलापों, जिसमें सेमिनार और कार्यशालाएं तथा अनुसंधान अध्ययन भी शामिल हैं, के लिए वित्त पोषण किया है। ये क्रियाकलाप विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी में आरंभ किए गए हैं।

5.2 आयोग ने अगस्त, 2017 मास में सेमिनार आयोजित करने और अनुसंधान अध्ययन करने के लिए आनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। इसकी अच्छी प्रतिक्रिया हुई और 165 तथा 968 संगठनों/अनुसंधानकर्ताओं ने क्रमशः अनुसंधान अध्ययन और सेमिनार आयोजित करने के लिए आवेदन किया। प्रस्तावों की संवीक्षा करने के पश्चात् आयोग द्वारा वित्त पोषण करने के लिए 29 अनुसंधान अध्ययनों और 83 सेमिनारों का अनुमोदन किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सेमिनार/अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए संगठनों और चयन किए गए विषयों की सूची क्रमशः **उपाबंध–IV** और **V** पर है।

5.3 वर्ष 2017–18 के दौरान पूरे किए गए अनुसंधान अध्ययन/सेमिनार/कार्यशालाओं के संक्षिप्त ब्यौरे, जिसमें मुख्य सिफारिशें भी शामिल हैं, को नीचे के पैराओं में दिया गया है।

5.4 मद्रास विश्वविद्यालय, सेनटनरी भवन, चैपक, चैन्नई द्वारा ''देवदासी के रूप में महिलाओं का शोषण और इससे संबद्ध कुरीतियां'' पर किए गए अनुसंधान अध्ययन में जो मुख्य सिफारिशें की गई हैं वे निम्नलिखित है:

(i) देवदासियों की नियत संख्या के संबंध में कोई सरकारी आकड़ें उपलब्ध नहीं है। इसलिए, भारत में देवदासी प्रथा के जो विद्यमान विभिन्न रूप है उनकी पहचान करने का सुझाव दिया गया है।

(ii) देवदासियों के समर्पण का निवारण और उनके पुनर्वास के लिए जो पहले से ही विद्यमान विधान, नीतियां और कार्यक्रम है उन्हें सख्ती के साथ कार्यान्वित किया जाए।

(iii) देवदासी महिलाओं को, जो सामान्य नाम जैसे वासाविस, जोगनी, मथम्मा नाम दिए जाते हैं उससे बुनियादी मानव अधिकारों का अतिक्रमण होता है। महिलाओं को शिक्षित किया जाए जिससे कि वे अपनी पहचान के महत्व को समझ सके और अपने व्यक्तिगत नाम से ज्ञात हो।

(iv) रूढ़िगत प्रथाओं जैसे थाली, मोती, टोकरी उठाना, को रोकने के लिए और कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के देवदासी बहुल जिलों में सामान्य नाम जैसे वासाविस, जोगनी और मथम्मा आदि को समाप्त करने के लिए अभियान आरंभ किया जाएं।

(v) देवदासियों के बारे में लड़कियों और उनके माता पिता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान आरंभ किया जाना चाहिए।

(vi) देवदासी प्रथा के बुरे प्रभावों के बारे में विशेष रूप से येल्लामा, माथम्मा आदि के पुजारियों, मंदिर के न्यासियों और पुरानी देवदासियों तथा स्थानीय धनवान जमींदारों को शिक्षित किया जाना चाहिए।

(vii) मंदिर के पुजारियों और ग्राम स्तर के सरकारी कर्मचारियों को देवदासी के रूप में नई लड़कियों को समर्पित किए जाने से पहले ही तुरंत रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए।

(viii) पुलिस कार्यवाही से बचने के लिए विभिन्न रूप में देवदासियों को समर्पित करने के बारे में जागरूक रहने के लिए सहभागियों को प्रशिक्षित किया जाए। कुछ मामलों में लड़कियां मंदिर में मौजूद नहीं होती है किंतु वहां पर मोती रखे हुए होते है जिन्हें बाद में लड़कियों के घर पर बांध दिया जाता है।

(ix) इस प्रथा को समाप्त करने के लिए गरीबी निवारण, विकास और साक्षरता कार्यक्रम/योजनाएं को गति दी जानी चाहिए।

(x) लड़कियों को शिक्षित किया जाए और महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से आर्थिक क्रियाकलापों और विनिश्चय करने में उनके पूरे तरीके से भाग लेना का मार्ग प्रशस्त होगा।

(xi) देवदासियों की लड़कियों के लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना में एक विशेष उपबंध किया जाना चाहिए।

(xii) देवदासियों के साथ विवाह करने के लिए मिलने वाले फायदों/प्रोत्साहन के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और ऐसे पति या पत्नी में से कम से कम एक को रोजगार दिया जाना चाहिए जिससे कि वे खुशहाल और गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सके।

(xiii) किसी सक्षम अधिकारी द्वारा विवाह की शपथ दिलाई जानी चाहिए और विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए।

(xiv) किसी आधार रेखा सर्वेक्षण के माध्यम से अवधारित कौशल के आधार पर ऐसी महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि रोजगार के अवसर उनके लिए सुलभ हो सकें।

(xv) छोटे पैमाने पर कारबार आरंभ करने के लिए बैंको और सहकारिता सोसाइटियों के माध्यम से उधार प्रदान करने के संबंध में सरकार को पहल करनी चाहिए। देवदासी बहुलीय जिलों में देवदासियों के स्व–सहायता समूहों को स्थापित किया जाएं।

(xvi) देवदासियों के बच्चों के बारे में उनके ब्यौरों को न पूछने के संबंध में विद्यालय प्राधिकारियों को संवेदीग्राही किया जाए और वे ऐसे ब्यौरों को अन्य व्यक्तियों को न बताएं।

(xvii) देवदासियों के बच्चों को अनन्य आवासीय विद्यालय, छात्रावास सुविधाएं और मुफ्त किताबें और वर्दियां प्रदान की जाएं।

(xviii) सभी संबंधित व्यक्तियों को जिसमें स्थानीय स्तर के सरकारी कृत्यकारी भी है, देवदासी प्रतिषेध पर केंद्रीय विधानों के बारे में जो जानकारी दी जाए और उसका प्रचार किया जाएं।

(xix) पुजारियों, महिलाएं जो देवदासी प्रथा के लिए लड़कियों को उपलब्ध कराती हैं, वेश्यालय के दलाल, वृद्ध देवदासी और ग्राम में रह रही वेश्याएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निहित हित के लिए इस प्रथा को आगे बढाने का समर्थन करती हैं उनके विरूद्ध सख्ती के साथ विधिक उपबंधों को प्रवृत्त किया जाना चाहिए।

(xx) पेंशन योजना, आवासन और भूमि योजना आदि के बारे में ब्लाक से राज्य स्तर तक के विभिन्न स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

(xi) देवदासी प्रथा से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए स्थानीय पुलिस, गैर सरकारी संगठनों और उच्चतर प्राधिकारियों के साथ समय समय पर बैठकें की जानी चाहिए।

(xii) देवदासियों की अपेक्षाओं के बारे में आवश्यकता के आधार पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जिससे कि देवदासियों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों को नए सिरे से बनाया जा सके।

(xiii) ऐसे क्षेत्रों में जहां देवदासी की प्रथा बहुत अधिक है वहां पर देवदासियों के परिवार के सदस्यों को मंदिरों में लड़कियों को समर्पित करने की संख्या को कम करने के लिए संवेदीग्राही बनाया जाना चाहिए। मंदिर के पुजारियों, स्थानीय प्रभावशाली लोग, रेड लाइट क्षेत्रों में के वेश्यालय के क्रियाकलापों को जो देवदासियों/वेश्यावर्ती में लिप्त करने के मुख्य अड्डे होते हैं उन्हें इस प्रथा को कम करने में सहायता करने के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

(xiv) देवदासियों को बचाए जाने के पश्चात् उनके सुधार और पुनर्वास के लिए यदि सरकार आश्रयगृहों/स्थायीगृहों का निर्माण करे तो बचाई गई देवदासियों के लिए यह बेहतर रूप से प्रभावी हो सकता है। ऐसे गृहों में बचाई गई देवदासियों की सहायता के लिए अनौपाचिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा, विधिक और वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(xxv) बचाई गई देवदासियों का उनकी सहमति से गुप्तरोग जैसे कि एस.टी.डी./एच.आई. वी./ए.आई.डी.एस. का परीक्षण किया जाना चाहिए और चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(xxvi) विधिक सहायता, यदि ऐसी देवदासियों द्वारा अपेक्षा की गई है, उन्हें उपलब्ध कराई जाए।

(xxvii) देवदासियों को फिर से इस व्यवसाय में वापस लौटने से रोकने के लिए समय समय पर पुनर्वासित देवदासियों के बारे में पता लगाया जाना चाहिए।

(xxviii) ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास और सुधार केंद्रों जिनका प्रबंध शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है ऐसे गृहों को चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता की व्यवस्था स्वैच्छिक संगठनों द्वारा की जानी चाहिए।

(xxix) देवदासियों को फिर से परिवार में बसाया जाना चाहिए क्योंकि परिवार में सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए यह इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस वजह से वे दलालों और मानव दुर्व्यापार करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बच सकती है।

(xxx) देवदासियों और काफी हद तक समुदाय के बीच प्रभावी रूप से चेतना जागृत करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें टेलीविजिन भी है का प्रयोग किया जा सकता है। इनमें लड़कियों को समर्पित न करने के कार्यक्रम और परामर्श देने का सत्र भी शामिल है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां बनाई जा सकती है।

(xxxi) देवदासियों और देवदासियों के रूप में कार्यरत विपरीतलिंगियों के लिए पुनर्वास योजनाओं के लिए उनकी पहचान स्थापित करने के दस्तावेजों को तैयार करने के संबंध में तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए।

(xxxii) कारावास की अवधि पांच वर्ष की अवधि तक बढ़ाई जानी चाहिए और अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध को संज्ञेय और अजमानतीय बनाया जाना चाहिए। दलालों, पुजारियों और अन्य सहभागियों को अधिक कठोर दंड दिया जाना चाहिए।

(xxxiii) राष्ट्रीय महिला आयोग को अन्वेषण, निगरानी और देवदासियों के लिए उपबंधित रक्षापायों का मूल्यांकन करने के लिए तथा विद्यमान देवदासियों के अधिकारों का अतिक्रमण करने की विनिर्दिष्ट शिकायतों के संबंध में जांच करने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

5.5 सामाजिक विज्ञान का टाटा संस्थान, मुंबई ने 'कार्यस्थल पर जेंडर समानता का मानचित्रण: भारत सरकार के कुछ विभागों का विशेष अध्ययन' पर एक अनुसंधान अध्ययन किया था। इस अध्ययन से जो मुख्य सिफारिशें उद्‌भुत हुई थी वे निम्नलिखित है:

(i) कोटे के माध्यम से लोक नियोजन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में और सभी पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाएं।

(ii) विनिर्दिष्ट कार्य और काडर में नारी/पुरूष के बीच असमानता को समाप्त किया जाएं।

(iii) ऐसी बातों की पहचान की जाए जो महिलाओं के वरिष्ठ पदों पर पहुंचने की राह में अड़चन डालते हैं।

(iv) चयन पैनलों को जेंडर संतुलित बनाया जाएं।

(v) पारदर्शिता और तैनाती, स्थानांतरण और प्रोन्नति के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्टों में जो कमियां है उन्हें दूर किया जाएं।

(vi) कार्यस्थल पर जेंडर समानता के सामर्थ्य के लिए जेंडर संवेदनशील भर्ती, मूल्यांकन, तैनाती, स्थानांतरण और प्रोन्नति प्रक्रिया जिसमें सकारात्मक भेदभाव भी है के स्थान पर जेंडर तटस्थ नीतियां बनाए जाएं।

(vii) विवाहित पुरूष कर्मचारियों को बाल देखरेख छुट्‌टी दी जाएं।

(viii) महिलाओं को क्लबों, व्यायामशाला या किसी अन्य सुविधा के लिए, जो अन्यथा सदस्यता फीस का भुगतान करके उपलब्ध होती है, नि:शुल्क सदस्यता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए औपचारिक नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए।

(ix) विभागों में महिला कर्मचारियों की एसोसिएशन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें महिलाएं अपने मुद्दों और समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर सकें।

(x) कार्यस्थल पर जेंडर संबंधों के बारे में शिक्षित करने के लिए पुरूष और महिला दोनों कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित करना चाहिए। शिकायतकर्ता समिति के सदस्यों को शिक्षित किया जाना चाहिए जिससे कि वे सही परिपेक्ष्य में नीतियों को कार्यान्वित कर सकें।

(xi) जेंडर साम्य विधि, नीति और संरचनाओं के संबंध में प्रचार किया जाए।

(xii) एक ऐसी लिखित जेंडर नीति, जिसमें एक प्रचालन योजना के साथ जेंडर समानता की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया गया हो और इसमें प्रत्येक विभाग द्वारा उत्तरदायित्व और निगरानी के लिए समय का आबंटन शामिल है, विरचित की जानी चाहिए।

(xiii) समय समय पर केंद्रीय मंत्रालयों और स्वशासी निकायों के लिए वार्षिक रिपोर्ट फार्मेट की बाबत जानकारी को वेबसाइट पर अद्यतन किया जाना चाहिए।

5.6 केरल विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तिरूवंतपुरम द्वारा ''घरेलू हिंसा पर भूमि अधिकारों, पहल और अवसरों का असर'' पर किए गए अनुसंधान अध्ययन में निम्नलिखित सिफारिश की गई है:

(i) केरल में नायर और साइरन इसाई समुदायों की महिलाओं के सामाजिक उत्थान में समुदाय और इसके नेतृत्व ने सकारात्मक और प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्य समुदायों और राज्य तथा देश के अन्य भागों में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए इसका उपयोग एक प्रतिमान के रूप में किया जा सकता है।

(ii) भारत सरकार को भूमि अधिकारों, शिक्षा, कौशल विकास पहल और रोजगार से संबंधित सभी विधियों/नीतियों/योजनाओं में एक मजबूत महिलानुमुखी रास्ता अपनाना चाहिए।

(iii) शैक्षणिक संस्थाओं की व्यापक पहुंच के कारण नायर और साइरन ईसाई दोनों समुदायों की महिलाओं को बेहतर शिक्षा संबंधी अवसर उपलब्ध हुए हैं। इससे पारिवारिक जीवन में उनकी सामाजिक स्थिति और आत्म सम्मान में बढ़ोत्तरी हुई है। महिला शिक्षा को अधिमानता देकर इसे कहीं भी दोहराया जा सकता है।

(iv) भू–स्वामित्व के लिए विधिक सुरक्षा देने और भूमि अधिकारों पर महिला को मान्यता देने का उपबंध किया जाएं। महिलाओं को भूमि पर समान अधिकार और अन्य प्राकृतिक संसाधनों, संपत्ति, आवासन के संबंध उत्तराधिकार दिया जाएं।

(v) उत्तराधिकार और भूमि पर कब्जे के स्वामित्व में महिलाओं को समान भूमि अधिकार देने के लिए राज्य सरकार को भूमि सुधार आरंभ करने चाहिए।

(vi) भूमि और इसके कब्जे के स्वामित्व के अधिकार के कारण घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी आएगी और इससे महिलाओं को सशक्त करने में सहायता मिलेगी तथा महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। सभी धर्मों और जातियों में महिलाओं के भूमि स्वामित्व के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विधिक उपबंध बनाए जाने चाहिए।

(vii) संसद् और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण करने का उपबंध किया जाना चाहिए।

(viii) राज्य सरकार को अधिक महिलाओं के लिए कारबार आरंभ करने के कार्यक्रमों में तरजीह दी जानी चाहिए और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(ix) केरल के कुदुम्बश्री आदर्श समुदाय उन्मुखी पहल को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(x) महिलाओं को सशक्त करने के लिए सफल सामुदायिक पहल/भूमि स्वामित्व माडल/ अध्ययनों को प्रकाशित किया जाना चाहिए और इस संबंध में विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

(xi) ग्राम स्तर में सभी समुदायों की महिलाओं को कुदुम्बश्री कार्यक्रम का प्रसार करने के लिए शामिल करना चाहिए।

(xii) स्थानीय सरकारों में विनिश्चय करने के लिए पुरूषों के 50 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। शासन में महिलाओं की स्थिति और शक्ति को मान्यता दी जानी चाहिए।

(xiii) सामुदायिक ग्राम स्तर पर कारबार आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

5.7 सामाजिक अनुसंधान केंद्र, वसंत कुंज, दिल्ली द्वारा आयोजित ''महिलाओं का वित्तीय समावेश: पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की बैंककारी आवश्यकताओं, आदतों और परिपाटियों पर एक अध्ययन'' पर अनुसंधान अध्ययन में निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गई है:

(i) केंद्रीय सरकार को महिलाओं के वित्तीय समावेश का निदेश करना चाहिए।

(ii) ''महिलाओं द्वारा गृहस्थी को बनाए रखने'' के लिए विशेष रूप से महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुसार समाज के गरीब तबके से आने वाली महिलाओं के लिए नीति आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक साथ मिलकर विनिर्दिष्ट वित्तीय नीति और मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाने चाहिए।

(iii) केंन्द्रीय सरकार और बीमा कंपनियों को महिलाओं के वित्तीय समावेश के लिए एक ऐसा उपयुक्त बीमा उत्पाद बनाना चाहिए जो वहनीय हो और इसके प्रीमियम को इस प्रकार रखा जाए जिससे कि महिलाओं का वह वर्ग जो इससे बाहर है इसमें सम्मिलित हो सके।

(iv) वित्तीय साक्षरता और उधार परामर्शी केंद्र (एफ.एल.सी.सी.) की संकल्पना के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि यह एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य कर सके।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक को महिलाओं के वित्तीय समावेश को सम्मिलित करते हुए एक प्रशिक्षण प्राथमिकता के आधार पर आरंभ करना चाहिए और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं को सलाह देनी चाहिए।

(vi) बैंकों को विशेष रूप से गरीब तबके के लिए ''बचत खाते से संबद्ध ऑवरड्राफ्ट सुविधा'' उपलब्ध कराने के लिए विचार करना चाहिए।

(vii) ऐसी महिलाओं को उनकी साप्ताहिक बचत की औसत के चार गुणे तक की समतुल्य सीमा तक एक पासबुक और 'क्रेडिट कार्ड' जारी करना चाहिए।

(viii) भारतीय रिजर्व बैंक महिलाओं की सूक्ष्म बचत को भी बैंकों में डालने के लिए विचार कर सकता है जिससे कि कारोबारी संस्था का उपयोग करके कम लागत में औपचारिक बैंककारी पद्धति में उन्हें सम्मिलित किया जा सके।

(ix) भारतीय रिजर्व बैंक उचित प्रशिक्षण आवश्यकता का निर्धारण करने के पश्चात् अपने कर्मचारियों के लिए जेंडर संवेदीग्राही प्रशिक्षण तैयार के संबंध में विचार कर सकता है।

(x) सप्ताह या मास के किसी विशेष दिन पर दूरस्थ और पिछड़ें स्थानों पर 'चलती फिरती बैंककारी इकाई' भेजी जानी चाहिए।

(xi) लड़कियों के लिए शिक्षा के संवर्धन और विद्यालय छोड़ने का निवारण करने के लिए महिलानुमुखी उधार स्कीम आरंभ की जानी चाहिए।

5.8 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए.), नई दिल्ली द्वारा 'जीडीपी में महिलाओं के योगदान का आर्थिक मूल्य का प्राक्कलन करने की संभावना का पता लगाना' से संबंधित अनुसंधान अध्ययन में निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गई है उन्हें नीचे के पैराओं में दिया गया है:

(i) बडी संख्या में ऐसी महिलाओं को जो आर्थिक क्रियाकलापों जैसे कृषि, पशुपालन, गृह आधारित कार्य, व्यापार और सेवाओं आदि में अपना योगदान प्रदान करती हैं उन्हें जनसंख्या और एन.एस.एस.ओ. के प्राक्कलनों में कर्मकारों के रूप में सम्मिलित नहीं

किया जाता हैं। गणनाकारों को यह चाहिए कि जब वे परिवार से संबंधित जनसंख्या के प्रश्न सं. 15 की बाबत जानकारी भरते समय अनुसूची ख से संबंधित कार्य के संबंध में महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्य को अभिनिश्चित करें।

(ii) ऐसी महिलाएं जो ऐसे किसी क्रियाकलाप, जैसे कि जुताई के लिए भूमि को तैयार करना, बीज बोना, निराई करना, पौधे लगाना और प्रतिरोपण करना, उर्वरक डालना, खाद डालना, कीटनाशक दवाईयां डालना, कृमिनाशी दवाई डालना, पौधों को पानी देना/सिंचाई करना, घास काटना, छंटाई करना, पौधों को फैलाना, जुताई करना, फसल की कटाई करना, थ्रैशिंग करना, भूसा निकालना, सफाई करना, भंडारण और संग्रहण तथा अगली फसल के लिए बीजों का भंडारण करना, पशु शेडों की सफाई करना, पशुओं के लिए खाद्य खरीदना/तैयार करना, चारा इकट्ठा करना, पशुओं को खिलाना या चराने के लिए उन्हें ले जाना, दूध निकालना, गाय के गोबर के उपले बनाना, पशुओं के पैदा हुए नए बच्चों की देखभाल करना या पशुओं को नहलाना, किसी घरेलू आधारित कार्य में योगदान जैसे कि बीड़ी बनाना, या ऐसे उत्पाद बनाना जैसे कि वड़ी, पापड़, गोलगप्पा, तोरण, आयुर्वेदिक ओषधि बनाना, बेचने के लिए लकड़ी से इतर वन उत्पाद एकत्रित और प्रसंस्करण करना, घर पर परचून की दुकान चलाना आदि, में योगदान कर रही हैं उन्हें जनसंख्या की घरेलू अनुसूची के प्रश्न सं. 15 के उत्तर में कर्मकार के रूप में अभिलिखित किया जाना चाहिए।

(iii) किसी एस.एच.जी. कार्य में नियुक्त महिला सदस्य को एक कर्मकार के रूप में आय अर्जित करने से संबंधित क्रियाकलापों में अभिलिखित किया जाए।

(iv) ऐसी महिला जो प्रतिदिन किसी आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित कार्य में समय व्यतीत करती है उसकी गणना एस.एन.ए.–2008 की उत्पादन सीमा के भीतर जनसंख्या और एन.एस.एस. प्राक्कलनों में कर्मकार के रूप में की जाएगी।

(v) गंदी बस्ती क्षेत्रों में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (एस.डी.ई.पी.) में सहायता करने की योजना और अन्य सरकारी कार्यक्रमों के अधीन महिलाओं को बेहतर डिजाइनों के अनुसार उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे कि वे बाजार में बेहतरीन उत्पाद उपलब्ध करा सकें। बेहतर उत्पादों के मामले में उपहार या कुटीर उद्योग और हाटों के साथ मिलकर कारपोरेट सेक्टर से संपर्क करें जिससे की उन्हें बेहतर उत्पादों के लिए अच्छा लाभ मिल सके। एस.एस. एच.जी. महिलाओं को बैंकों से ब्याज की कम दरों पर उधार आसानी से मिल सके। ऐसा कौशल होना चाहिए जिससे महिलाओं के कार्य के मूल्य में इजाफा हो सका और उनका उत्थान करने के लिए मूल्य श्रृंखला को मान्यता दी जानी चाहिए।

(vi) मनरेगा में सुधार करके उसे कार्यान्वित किया जाए और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाए और समय के नियमित अंतराल पर जॉब कार्डों को अद्यतन किया जाएं। मनरेगा की बाबत जानकारी प्रदान करने के लिए एसएचजी समूहों और एन.आर.एल. एम. सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की सेवाओं का प्रयोग किया जाएं।

(vii) ऐसे क्षेत्रों में अर्थात् सिलाई, खिलौने बनाना, वड़ी, पापड़, आचार, सॉस, जैम, कागज की कलाकृतियां, चॉकलेट रेपिंग, ड्राइविंग, कुक्कुट, खेतीबाडी, मशरूम उगाना, कृषि की विस्तार सेवाएं, अध्यापन प्रशिक्षण, व्यस्क शिक्षा, निर्माण और वास्तुशिल्पीय कौशल, परिचर्या आदि के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं।

(viii) ऐसी महिलाओं के बाबत जो घरेलू सहायक के रूप में कार्य करती है उनके साथ औपचारिक संविदा/काम करने की सुरक्षा प्रदान करके न्यूनतम मजदूरी लागू की जाएं और चिकित्सीय रूप से उनकी देखरेख की व्यवस्था की जाए।

5.9 साहस ब्रदरहुड अपलिफ्टिंग, शिमला द्वारा 'महिलाओं के भूमि अधिकारः हिमाचल प्रदेश में इसका असर और चुनौतियां' पर किए गए अनुसंधान अध्ययन में निम्नलिखित सिफारिशें की गई है:

(i) ऐसी महिलाएं जो हाशिए पर पड़े हुए समूह की हैं उन्हें भूमि और अन्य उत्पादक संसाधनों तक पुरूषों के समान पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए सबसे नीचे के स्तर के अभिकरणों द्वारा जैसे कि ब्लाक विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) द्वारा, इस बात की पहचान की जानी चाहिए कि पहुंच की बाबत हाशिए पर कौन है और भूमि तक पहुंच, उपयोग और नियंत्रण कौन कर रहा है, निर्धारण किया जाना चाहिए।

(ii) पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए सामूहिक जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए।

(iii) वैवाहिक संपत्ति का समन्वित प्रशासन, विशेष रूप से स्थावर संपत्ति के लिए, कदम उठाए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी संपत्ति का अंतरण या विक्रय करने से पहले पति या पत्नी की लिखित सहमति की अपेक्षित सूचना दी गई है या नहीं।

(iv) यह सुनिश्चित किया जाए कि विधिक साक्षरता अभियान और कार्यक्रम को महिलाओं के फायदों के लिए बनाया जाए और उनकी पहुंच के लिए ऐसे अभियानों और कार्यक्रमों को उनकी भाषा में ही आयोजित करने चाहिए जिससे कि उनकी समझ में उत्पादन संसाधनों और उनके नियंत्रण तक की पहुंच के अधिकारों के बारे में पता चल सकें।

(v) भूमि, मकान और संपत्ति के संयुक्त हक/संयुक्त पंजीकरण में और उत्पादक संसाधनों में कोई व्यतिक्रम न हो और यह सुनिश्चित किया जाएं कि विवाहित महिलाएं और अविवाहित महिलाओं को समान रूप से हकदारी और पंजीकरण कार्यक्रमों का फायदा मिलें।

(vi) महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान आयोजित करने चाहिए जिससे कि विधियों, प्रथाओं और परिपाटियों के अनुसार भूमि तक उनकी पहुंच को सुकर बनाया जा सके।

5.10 सामाजिक न्याय संस्था लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली द्वारा, 'कर्मकार महिलाओं के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय लोक परिवहन सुविधा का महत्व' पर किए गए अनुसंधान अध्ययन में जो मुख्य सिफारिशें की गई उन्हें नीचे दिया गया है:

(i) डी.एम.आर.सी. और डी.टी.सी. को इस बाबत निगरानी और समीक्षा करनी चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोत्तरी हुई है या नहीं तथा सुरक्षा में हो रही त्रुटियों के लिए प्राधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएं।

(ii) महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 8 बजे अपराह्न के पश्चात् मेट्रो स्टेशनों के बाहर पी.सी.आर. वेन को तैनात की जाएं तथा स्टेशनों के बाहर पर्याप्त पुलिस कार्मिकों को तैनात किया जाएं।

(iii) बसों/मेट्रों रेलगाडी के अंदर और मेट्रों स्टेशनों के भीतर विनिर्दिष्ट रूप से यह नियमित घोषणा की जानी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने के किसी क्रियाकलाप में अंतर्ग्रस्त है या सहायता कर रहा हैं, जो उत्पीड़न या छेड़छाड़ तक ही सीमित नहीं है, यह अपराध कारावास से दंडनीय है।

(iv) प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर कम से कम एक ऐसी महिला अधिकारी तैनात की जानी चाहिए जो कि विशेष रूप से ऐसे मामलों को संभालने के लिए प्रशिक्षित और हथियारों से लैस हो, जिसके अंतर्गत अपराधों का पंजीकरण और पीड़िता को परामर्श आदि देना भी है।

(v) प्रत्येक मेट्रो स्टेशन के महत्वपूर्ण स्थानों पर जैसे कि टिकट काउंटर के पास ऐसी सूचना पट्टिकाएं लगाई जानी चाहिए जिनमें उत्पीड़न करने की घटनाओं के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए ब्यौरेवार दिशानिर्देश हो और आपातकाल में दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों से संपर्क करने का भी नंबर लिखा हुआ हो तथा उत्पीड़न और अन्य आवश्यक सूचनाएं लेखबद्ध की गई हो।

5.11 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज, एचएमटी कॉलोनी पीओ कलामअस्सारी, कोच्चि, केरल द्वारा ''घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन संरक्षण

अधिकारीः वे कहां तक पीड़िता को दिलासा देने में सफल रहे हैं'' पर किए गए अनुसंधान अध्ययन से जो मुख्य सिफारिशें उभर कर सामने आई है उन्हें नीचे दिया गया हैः

(i) जनता को पर्याप्त सूचना प्रदान करने के लिए संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदायकों, आश्रय गृह और कार्यालयों के स्थानों के ब्यौरों को प्रकाशित किया जाना चाहिए।

(ii) महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत संरक्षण अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ और उनके बीच सामंजस्य विकसित करने के लिए मासिक बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

(iii) घरेलू हिंसा की पीड़ितों को तुरंत राहत देने की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त संरक्षण अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(iv) संरक्षण अधिकारियों के कार्यों की समय समय पर संवीक्षा करना अनिवार्य है और ऐसी महिलाओं को जिन्हें सहायता की आवश्यकता है उन्हें प्रभावी और समय पर सहायता प्रदान करने वाले संरक्षण अधिकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(v) सभी पहलुओं पर संरक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए और उन्हें वार्षिक और अर्धवार्षिक रिपोर्टें अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए।

(vi) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों को अपने कर्त्तव्यों का निवर्हन करने के लिए जिन सुविधाओं का वे उपयोग कर सकते हैं उनके बारे में पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए।

(vii) संरक्षण अधिकारियों के कृत्यों का निरीक्षण करने के लिए यदा–कदा उनके कार्यालयों का दौरा करना चाहिए।

(viii) विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से घरेलू हिंसा के मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालतें आयोजित करने के लिए पहल करनी चाहिए।

(ix) डी.आई.आर. फाइल करने के बारे में और अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए तथा न्यायालय की सहायता करने के लिए संरक्षण अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(x) पीडितों को तुरंत राहत उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाता केंद्रों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(xi) सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जेंडर संवेदनशील कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

(xii) सामाजिक न्याय विभाग को संरक्षण अधिकारियों को यह निदेश करना चाहिए कि वे वार्षिक रिपोर्ट के साथ सुलझाएं गए मामलों के ब्यौरेवार आकड़ें प्रस्तुत करें।

(xiii) न्यायिक अधिकारियों को प्रथम दृष्टियां अंतरिम आदेश पारित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो कि पीड़ितों के लिए मददगार होगा। अधिकतर मजिस्ट्रेट पीड़ितों को अंतरिम आदेश प्रदान करने के इच्छुक नहीं होते हैं। इस विचारधारा को बदला जाना चाहिए।

(xiv) संरक्षण अधिकारियों के पद के लिए अर्हता के रूप में एल.एल.बी. की डिग्री विहित कि जानी चाहिए और इस समय जो संरक्षण अधिकारी हैं और जिनके पास एल.एल.बी. की डिग्री नहीं है उन्हें उचित विधिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(xv) संरक्षण अधिकारियों के विद्यमान रिक्त पदों को विशेष रूप से कन्नुर, थ्रिसुर और मल्लापुरम जिलों में भरा जाना चाहिए जिससे इन जिलों में जिन अधिकारियों को अतिरिक्त भारसाधन दिया गया है वे उससे मुक्त हो सकें।

(xvi) पर्याप्त संख्या में संरक्षण अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे कि जिन अधिकारियों के पास दो जिलों का भार साधन है और कुछ जिलों में संरक्षण अधिकारी नहीं है उन जिलों में ऐसे संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जा सकें। कई संरक्षण अधिकारियों को न्यायलय के समक्ष सीधे उचित डीआईआर फाइल करने की और जब आवश्यक हो न्यायालय को सहायता प्रदान करने की जानकारी नहीं है इसलिए उन्हें भी प्रशिक्षित करना चाहिए।

(xvii) संरक्षण अधिकारियों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए शीघ्रतापूर्वक अधीनस्थ अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए।

(xviii) लोक सेवा आयोग के माध्यम से संरक्षण अधिकारियों को नियुक्त करने में विलंब होने की दशा में 6 मास की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त करने की आनुकल्पिक व्यवस्था का अवलंब लिया जाना चाहिए। यदि समय सीमा के भीतर नियुक्ति नहीं की जा सकती है तब विद्यमान संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवा को 6 मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(xix) शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के अलावा, संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, आश्रय गृहों और कार्यालयों के स्थानों के ब्यौरों को समय समय पर प्रकाशित करना चाहिए जिससे कि जनता को पर्याप्त सूचना मिल सके।

(xx) संरक्षण अधिकारियों के कार्यालयों में स्थायी सहायकों जैसे विधिक और पारिवारिक सलाहकारों को नियुक्त करना चाहिए। अधिकारियों की सहायता करने के लिए एक परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(xxi) संबंधित राज्य मंत्रालय से उचित रूप से निगरानी और समर्थन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(xxii) अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग, नोडल अभिकरणों के सदस्यों के बीच जेंडर संवेदनशीलता पैदा की जानी चाहिए।

(xxiii) अधिनियम के अधीन शक्ति प्राप्त अधिकारियों और सभी सहयोगियों को समय समय पर जेंडर संवेदनशीलता का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(xxiv) अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त संरचना, जिसमें कर्मचारी और सामग्री भी शामिल है, की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(xxv) चूंकि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति स्थायी प्रकृति की है इसलिए ऐसे अधिकारियों को उनके द्वारा आयोजित की गई जागरूकता कक्षाओं या कार्यशालाओं की संख्या का गहन परिशीलन करने के पश्चात् ही प्रोन्नत या वेतनवृद्धि दी जानी चाहिए। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पीड़ितों को दिलासा देने में उनकी वास्तविक भूमिका क्या थी।

(xxvi) संरक्षण अधिकारियों को पुलिस और अन्य सहयोगियों से तुरंत और समय पर सहायता मिलने को सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में सभी सहयोगियों को उचित अभिलेख बनाए रखना चाहिए और नोडल अभिकरण को छमाही और वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करनी चाहिए।

(xxvii) पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, आश्रयगृहों को ये निदेश जारी करने चाहिए कि उन्होंने जिन मामलों पर कार्यवाही की है उनकी रिपोर्टें सामाजिक न्याय विभाग को प्रस्तुत करें।

(xxviii) केरल सरकार द्वारा अधिनियम को कार्यान्वित करने के पहलु पर एक सर्वेक्षण करना चाहिए।

(xxix) न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों की संख्या जिनके संबंध में उन्होंने कार्यवाही की है उनके ब्यौरें और कहां तक वे पक्षकारों को न्याय प्रदान करने में सफल रहे हैं इस बाबत एक सर्वेक्षण भी किया जाना चाहिए।

(xxx) अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे कि संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता केंद्र उन मामलों के ब्यौरें जिन्हें सुलझा लिया गया है, के आकड़ों के साथ मासिक, छमाही और वार्षिक रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य सरकार और सामाजिक न्याय विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

(xxxi) अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं और वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जाए कि जिससे वे और प्रभावी रीति में पीड़ितों की शिकायतों को दूर कर सकें।

(xxxii) अधिनियम को कार्यान्वित करने की लागत की पूर्ति केंद्र और राज्य के बीच निधि को सांझे करने के विनिर्दिष्ट अनुबंध, विशेष रूप से संरक्षण अधिकारियों को नियुक्त करने की बाबत, बनाए जाएंगे।

(xxxiii) प्रत्येक राज्य में विनिर्दिष्ट स्थितियों का सामना करने के लिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन नियम विरचित करने की शक्ति राज्य सरकार को दी जाए।

(xxxiv) अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित और राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए जो कदम उठाए गए है उनके बारे में राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाए।

(xxxv) विभिन्न महिला कल्याण संगठनों को इसमें सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और पीड़ितों को तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए उनसे सहायता ली जाए।

सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मलेनों की सिफारिशें

5.12 आनन्दाथा; सतत् कृषि विकास सोसाइटी, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित 'अकेली महिला और विभिन्न परिस्थितियों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां और समाधान से संबंधित मुद्दें' पर एक दिन के सेमिनार में जो मुख्य सिफारिशें की गई है उन्हें नीचे दिया गया है:

(i) स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को इस बाबत संवेदीग्राही बनाया जाएं कि वे भूखंड/मकान, पेंशन, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ऋण, राशन कार्ड, व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करने के लिए निधि को मंजूर करते समय अकेली महिला आवेदकों को अधिमानता दे।

(ii) एकल या विवाह–विच्छेद/परित्यक्त महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए राज्य नीति तैयार की जाए।

(iii) महत्वपूर्ण उपजीविका अवसरों के माध्यम से आर्थिक राहत और पुनर्वास के निबंधनों के अनुसार अपराध की पीड़ित महिलाओं की सहायता की जाए।

(iv) ग्राम प्रधान को ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं के भाग लेने के लिए संवेदीग्राही बनाया जाएं।

(v) शैक्षणिक संस्थाओं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उचित महिलाओं के अनुरूप संरचना सुविधाओं की व्यवस्था की जाएं।

(vi) विधि और विधिक अधिकारों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं और सहभागियों के बीच कार्यान्वयन के संबंध में जो फर्क है उसकी पहचान की जाएं।

(vii) कठिन परिस्थितियों में की अकेली महिलाओं का पुनर्वास सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यरत महिला हॉस्टलों में तब तक किया जाए जब तक की उन्हें उचित नौकरी नहीं मिल जाती है।

(viii) नौकरी के लिए प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना सृजित की जाएं और अकेली महिलाओं के लिए प्रशिक्षुता को प्रोत्साहन दिया जाएं।

(ix) रोजगार कार्यालयों को कैरियर मार्गदर्शन केंद्रों के रूप में फिर से संरचित किया जाए जिससे कि महिला अभ्यार्थियों को नौकरी, प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शन मिल सके।

5.13 तेलंगाना राज्य आयोग, हैदराबाद और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित 'कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' को कार्यान्वित करने के लिए आयोजित परामर्श में जो मुख्य सिफारिशें की गई है उन्हें नीचे दिया गया है:

(i) सभी कार्यालयों और संगठनों, जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र तथा सभी शैक्षणिक संस्थाएं शामिल हैं, में तुरंत आतंरिक शिकायत समिति/स्थानीय शिकायत समिति नियुक्त की जाएं।

(ii) संगठन अपने सूचना पट्टिकाओं पर अधिनियम का सार, उसकी विवक्षाएं और अधिनियम के अक्रियान्वयन के लिए शास्ति खंड दर्शित करेंगे।

(iii) सभी सूचना पट्टिकाओं में आंतरिक शिकायत समिति/स्थानीय शिकायत समिति के सदस्यों की सूची उनकी उपजीविका, हैसियत और पते के साथ दर्शित करें।

(iv) यदि कोई आंतरिक शिकायत समिति/स्थानीय शिकायत समिति का गठन जांच करने के लिए किसी गैर सरकारी संगठन से किसी महिला सदस्य को नियुक्त किए बिना किया गया है तब ऐसी जांच रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समिति का गठन न करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी पर शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए।

(v) सभी संगठनों में शिकायत बक्से उपलब्ध कराएं जाएं।

(vi) पीड़िता को यह जानकारी दी जाए कि वह संगठन में शिकायत करने के अलावा पुलिस के पास एक आपराधिक शिकायत भी फाइल कर सकती है।

(vii) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध बनाया जाएं।

(viii) यदि किसी शिकायत में अपराध कारित किया गया प्रतीत होता है तब पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पंजीकृत की जाएगी।

(ix) कर्मचारियों द्वारा जांच पूरी करने के लिए समय सीमा नियत की जाए।

(x) सभी स्थानीय शिकायत समितियों की सहायता करने के लिए बजटीय उपबंध किया जाए।

(xi) सभी आंतरिक शिकायत समिति/स्थानीय शिकायत समिति के सदस्यों को विधि के उपबंधों के बारे में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

(xii) पुरूषों को जेंडर समानता और महिलाओं के अधिकारों के बारे में संवेदनशील बनाया जाए।

(xiii) राज्यों में शी (एस.एच.ई.) बाक्स पोर्टल का विस्तार किया जाएं।

5.14 पंचायती राज और जेंडर जागरूकता प्रशिक्षण संस्थान (पी.आर.ए.जी.टी.आई.), देहरादून, उत्तराखंड द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित 'जेंडर असमानता की प्रक्रिया में पुरूषों और लड़कों के सक्रिय योगदान के माध्यम से समस्या का निवारण करना' पर आयोजित सेमिनार में जो मुख्य सिफारिश की गई हैं उन्हें नीचे दिया गया है:

(i) राज्यों को एक ऐसी प्रणाली बनाने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित कर सके कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो पुस्तकें है उनमें जेंडर संवेदनशील सामग्री सम्मिलित है।

(ii) समान कार्य के लिए समान वेतन और पुरूष और महिलाओं के बीच समान आय को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

(iii) सरकार द्वारा अत्यावश्यक आधार पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास की बाबत कार्यवाही की जाए।

(iv) राज्य की महिलाओं से संबंधित विद्यमान योजनाओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। समुदाय के बीच जानकारी पैदा करने के लिए भागीदारी तकनीक जैसे कि कठपुतली का खेल, गाना, नाटक आदि का उपयोग किया जाना चाहिए।

(v) विद्यालय पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा के विषय को शामिल किया जाए। इससे उन मुद्दों का समाधान हो सकेगा जिन्हें समाज द्वारा अन्यथा वर्जित माना जाता है।

(vi) विद्यालय पाठ्यक्रम में जेंडर अध्ययन के विषय और संघटकों को शामिल किया जाए।

(vii) महाविद्यालय के स्तर पर इस बाबत सेमिनार आयोजित किए जाए कि कैसे स्वास्थ्य, सामाजिक असमानता, उन्नति और न्याय पर जेंडर प्रभावित करता है।

(viii) लैंगिक हमलों के लिए रजिस्टरी बनाए रखी जाए और पुलिस सभी अपराधियों पर नजर रखें। पुलिस को भविष्य के प्रयोजनों के लिए अपराधियों के अते–पते के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

(ix) जिस परिवार में केवल एकमात्र लड़की का ही पालन–पोषण किया जाता है उसे प्रोत्साहित करने की योजना को अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना चाहिए।

(x) पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया जाए और यदि आवश्यक हो तो भयोपरायी के रूप में इसे प्रकाशित किया जाए।

(xi) कुछ भावनात्मक समस्याओं के संबंध में विद्यार्थियों की सहायता करने और सलाह देने के लिए उनके लिए एक हेल्प लाइन स्थापित की जाए।

(xii) जनता के बीच मादा भ्रूण हत्या के बारे में प्रभावी रूप से संवेदनशीलता पैदा करने के लिए जानकारी देने की व्यवस्था की जाए।

5.15 धारा, जारदी रोड, जैनमोड़ (टीचर कालोनी), डाकघर बन्दहिध जिला बोकारो, झारखंड–829–301 द्वारा ''महिला सरपंचों और पंचों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं और मुद्दों पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन से जो मुख्य सिफारिशें उभर कर सामने आई हैं उन्हें नीचे दिया जा रहा है:

(i) केंद्रीय सरकार पंचायती राज संस्थाओं के लिए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम आयोजित करें।

(ii) नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठकों को आयोजित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि महिलाएं प्रभावी रूप से बैठकों में भाग ले। ग्राम सभा की ऐसी बैठकों को, जिनमें कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं ने भाग न लिया हो, उन्हें अनियमित घोषित किया जाएं।

(iii) प्रादेशिक और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण सुविधाएं और क्षमता निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएं।

(iv) पंचायत के सदस्यों के लिए अन्य राज्यों में अध्ययन दौरा आयोजित किया जाए जिससे वे उन राज्यों की प्रक्रियाओं को समझ सकें।

(v) राज्य सरकार ऐसी महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करे। पंचायत राज संस्थाओं में सदस्यता के लिए शैक्षणिक अर्हता विहित करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएं।

(vi) संविधान में जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया हैं उन्हें पंचायती राज संस्थाओं को न्यागत किया जाएं।

(vii) पंचायती राज अधिनियम का संशोधन किया जाए और पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएं।

(viii) राज्य में पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस कर्मचारी भर्ती किए जाएं।

(ix) पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से खर्च की जाने वाली 50 प्रतिशत निधि को महिलाओं के विकास और सुरक्षा के लिए निश्चित किया जाएं।

(x) सभी कार्यों की निगरानी करने के लिए समितियों का गठन किया जाए और ऐसी समितियों में कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिनिधि महिलाएं होंगी।

5.16 श्री विजया सेवा समिति, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित 'अकेली महिलाओं के मुद्दों पर कार्यशाला' में जो मुख्य सिफारिशें की गई है उन्हें नीचे दिया गया हैं:–

(i) अकेली महिला के मामले में विद्यालय में प्रवेश के समय पिता के नाम के स्थान पर माता के नाम को लिखने की अनुमति दी जाएं।

(ii) अकेली माता के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुफ्त छात्रावास, मुफ्त किताबें और मुफ्त वर्दी का पात्र माना जाएं।

(iii) राज्य सरकार को अकेली महिलाओं के लिए मकान स्थल और मकानों की व्यवस्था करनी चाहिए।

(iv) अकेली महिला के लिए एक विशेष आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम आरंभ किया जाएं।

(v) अकेली महिला के लिए उचित कीमत पर सरकार हॉस्टल और घरों की व्यवस्था तब तक करें जब तक कि वे बस नहीं जाती हैं और इसके लिए उन पर सहायिकी दर प्रभारित करें।

(vi) सरकार द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए।

5.17 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित और ग्रामीण सेवा संस्थान गोरखपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 'अकेली महिलाओं और कठिन परिस्थितियों में की महिलाओं से संबंधित मुद्दों' पर सेमिनार की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं:–

(i) सरकार को ऐसी विधवा को प्रतिकर देने के संबंध में विचार करना चाहिए जो कि अपनी पति के मृत्यु के समय वित्तीय रूप से मजबूत नहीं थी।

(ii) अकेली महिला और संपत्ति में उनके अधिकारों से संबंधित विधिक नीतियों को उपांतरित/पुनरीक्षित किया जाए।

(iii) अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सेमिनारों में अकेली महिला से संबंधित उसके अधिकारों पर विचार विमर्श करना चाहिए।

(iv) सरकारी और गैर सरकारी संगठनों/मीडिया और अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अकेली महिला को समानता और अधिकारों के अवसर प्रदान करने के संबंध में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

(v) प्रत्येक राजनैतिक दल को अकेली महिला के लिए सबसे नीचे के स्तर पर आरक्षण देना चाहिए।

(vi) जिला स्तर पर अकेली महिला को उन योजनाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि उसे अपनी उपजीविका कमाने में सहायता मिल सके।

5.18 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित और सहयोग, बिडार, कनार्टक द्वारा आयोजित 'दुष्कर परिस्थितियों में महिलाओं से संबंधित मुद्दें' पर सेमिनार की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं:–

(i) निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की ओर से परिवार के पुरूष सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने की प्रक्रिया को तुरंत रोकना चाहिए। ऐसी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि जिन्हें अत्यधिक सहायता की आवश्यकता है उनकी पहचान की जानी चाहिए और स्थानीय प्रशासन द्वारा ऐसे विशेष कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए जिससे कि वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

(ii) सरकार को राज्य में शराब पर पाबंदी लगानी चाहिए क्योंकि 90 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को शराब के कारण हिंसा का शिकार होना पड़ता है।

(iii) तालुक स्तर पर महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाए।

5.19 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित और ए.बी.एम.एस.पी. के यशवंतराव चव्हाण विधि महाविद्यालय द्वारा आयोजित 'महिलाओं के सशक्तिकरणः संपत्ति और विवाह से संबंधित विधियों की प्रभावशीलता और क्रियान्वयन' पर सेमिनार में जो मुख्य सिफारिशें की गई है उन्हें नीचे दिया जा रहा हैः–

(i) निचले स्तर पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और महिला संगठनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि महिलाओं के बीच संपत्ति अधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

(ii) महिलाओं को संपत्ति में सहदायिकी अधिकार उसी रीति में और उसी सीमा तक मिलने चाहिए जो पुत्र को प्राप्त होते हैं। पिता की संपत्ति में अधिकार के स्थान पर ससुर की संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिया जाना चाहिए।

(iii) तीन तलाक के मामलों में उच्चतम न्यायालय की अतिसक्रिय भूमिका का इंतजार किए बिना मुसलमान समाज को विशेष रूप से समाज के निचले वर्ग को संवेदनशील बनाया जाए।

(iv) राज्य को हिंदू, मुसलमान और अन्य समुदायों के बीच पारस्परिक रूप से बातचीत को सुकर बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि एक समान सिविल संहिता को अंततः अंगीकृत किया जा सके। इस मुद्दें पर सार्थक बातचीत से ही कोहरा छटेगा और एक समान सिविल संहिता को सबके द्वारा स्वीकार किए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

(v) महिलाओं को अपनी संपत्ति और विवाह संबंधित अधिकारों का दावा करते समय जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है उसका अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाए और अध्ययन के आधार पर प्रक्रियात्मक विधियों में उचित संशोधन किए जाए।

5.20 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित और चेतना, महिलाओं का अन्तःकरण, दिल्ली द्वारा आयोजित 'विभिन्न धर्मों की महिलाओं की संपत्ति और वैवाहिक अधिकारों से संबंधित विधियों की प्रभावशीलता' पर हुए सेमिनार में जो मुख्य सिफारिशें की गई थी उन्हें नीचे दिया जा रहा हैं:–

(i) विद्यमान व्यष्टिक और रूढिगत परिपाटियों को संहिताकृत करने की आवश्यकता है और इन्हें मूल अधिकारों में श्रेणीबद्ध किया जाए।

(ii) लिंग समानता के बारे में सभी व्यक्तिगत विधियों के अच्छे बिंदुओं को लेकर एक समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास किया जाए।

(iii) विभेदकारी और बदतर परिपाटियों जैसे मैत्री करार पर रोक लगाई जाए।

(iv) एक बार में तीन तलाक की परिपाटी (तलाक–ए–बिद्दत) को समाप्त किया जाए।

(v) महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए और ऐसे उपाय किए जाए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाएं संपत्ति में के अपने अधिकारों का अन्यसंक्रामण न करें।

(vi) विवाह–विच्छेद को अंतिम रूप देने के लिए 2 वर्ष की अवधि तक इंतजार करने से ईसाई महिलाओं का समानता के अधिकार का अतिक्रमण होता है। सभी विवाहों के लिए इसे एक समान किया जाए।

(vii) समानता के सिद्धांत को समझने के लिए वर्तमान अंतरराष्ट्रीय समझौते में जो उल्लेख किया गया है उसके लिए व्यापक समानता विधान विकसित करने की आवश्यकता है।

5.21 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित और भारतीय अनुसंधान और विकास संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 'कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरणः जेंडर की बाबत सरकारी नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण' पर सेमिनार में जो मुख्य सिफारिशें की गई है उन्हें नीचे दिया गया हैः–

(i) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति में कौशल और विकास प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित एक उपबंध जोड़ा जाए।

(ii) उद्योग संगमों, की उभरते हुए आर्थिक क्षेत्र विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्रों और माड्यूल्स का चयन/पहचान की जाए।

(iii) महिला फायदाग्राहियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाए कि वे अपने मूल निवास के स्थान से बाहर नई जगह पर जाकर बसे जिससे उन्हें बेहतर उपजीविका के अवसर प्राप्त सकें।

(iv) प्रशिक्षण सहभागियों को महिला फायदाग्राहियों को वित्तीय संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वे आसान शर्तों पर विशेष रूप से प्रशिक्षण के पश्चात् यदि वे कोई उद्यम स्थापित करना चाहती है तब उन्हें आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त हो सकें।

(v) प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित करते समय महिला प्रशिक्षुओं के लिए सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(vi) महिलाओं को उनकी औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए जिससे कि अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात् नौकरी/रोजगार के लिए तैयार हो सकें।

(vii) महिला उद्यमियों के लिए विद्यमान नेटवर्क और मंचों को सुदृढ़ किया जाए जिससे कि भविष्य के उद्यमी अपने सलाहकार के साथ विचार–विमर्श कर सके और अनुभवों को सांझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकें।

(viii) मानसिक अड़चनों जैसे कि महिला उद्यमियों में आत्मसम्मान की कमी और असफलता के डर को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध गैर सरकारी संगठनों, मनोवैज्ञानिकों, प्रबंधकीय विशेषज्ञों और तकनीकी कार्मिकों की सहायता से महिलाओं की मदद करने के लिए समन्वित प्रयास करना चाहिए।

(ix) वित्तीय संस्थाओं को महिला उद्यमियों द्वारा लघु उद्योग और बड़ें उद्योगों दोनों के लिए कार्यकारी पूंजी की व्यवस्था के लिए अधिमानता दी जानी चाहिए।

(x) महिला उद्यमियों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उनका समाधान करने के लिए जिला उद्योग केंद्रों पर एक महिला उद्यमी मार्गदर्शक कोष्ठक स्थापित किया जाए। यह केंद्र व्यापार और कारबार मार्गदर्शक के रूप में महिलाओं की सहायता करेंगे।

5.22 तारीख 29–30 अगस्त, 2017 को कान्स्टिटूशन क्लब ऑफ इंडिया में संयुक्त राष्ट्र महिला और मकाम (एम.ए.के.ए.एम.) की सहायता से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 'महिला किसानों के अधिकारों को साकार करनाः कार्रवाई के लिए राह विकसित करना' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया। संविधान में महिला किसानों के आर्थिक अधिकारों, उनकी अभिव्यक्ति और अभिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा बदलते हुए समाज की उभरती हुई प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया गया। उत्तरी, पहाड़ी, पूर्वोत्तर, दक्षिणी प्रदेशों में आयोजित किए गए पांच प्रादेशिक परामर्शों का यह समापन था। इन परामर्शों का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच सृजित करना था जिससे कि महिला अपने मांगों के लिए अपनी आवाज उठा सकें और महिला किसानों के सतत् विकास के संबंध में जो अड़चनें आ रही है उनको हटाने के लिए पैरवी करने में सहायता मिल सके और इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जा सके। प्रयास यह है कि सरकारी कर्मचारियों और नीतिनिर्धारकों को संवेदीग्राही बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और महिला किसानों को न्याय दिलाने से संबंधित प्रणाली में स्थायी परिवर्तन किया जा सकें। राष्ट्रीय परामर्श में आवश्यक रूप से सभी पांच प्रादेशिक परामर्शों में प्राथमिकता के आधार पर जिन तीन मुद्दों को– (क) भूस्वामित्व पर जेंडर के भिन्न भिन्न आकड़े और महिला किसानों के भूमि अधिकारों का संवर्धन, (ख) महिला किसानों के समान अधिकारों की अड़चनों का समाधान, और (ग) महिला किसानों संस्थाओं और कृषि उद्यमियों को मजबूत करना और उन्हें सहायता प्रदान करने से संबंधित उठाए गए मुद्दें थे जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

5.23 राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण का एक प्रायोगिक कार्यक्रम आरंभ किया है। सामाजिक विज्ञान का टाटा संस्थान के सहयोग से इस मॉड्यूल को पहले भी विकसित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड के तीन जिलों; (i) सिमडेगा; (ii) पाकुर; और (iii) छत्तरा में एक प्रायोगिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस परियोजना ने मुख्य प्रशिक्षकों का एक संघ तैयार किया है जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और उनके सहायकों को साइट पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जानकारी देना है जिसमें ग्रामीण, ब्लॉक और जिला स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के बीच गहन जुड़ाव और विकासात्मक योजनाएं और कार्यक्रम, उपलब्ध संसाधन, भाग लेने की योजना और आस्ति सृजन और लोक संकर्म भी शामिल है। इसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी में नेतृत्व कौशल प्रदान करना भी है।

****

अध्याय-6

महिला कल्याण, सुरक्षा और जेंडर संवेदनशीलता

महिला कल्याण, सुरक्षा और कल्याण के लिए पहल

6.1 महिलाओं की संपूर्ण क्षमताओं के विकास और संवर्धन के लिए वातावरण सृजन करने के लिए न केवल उचित नीतियों और कार्यक्रम बनाना आवश्यक है अपितु और जेंडर परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित किया जाना भी अपेक्षित है। कार्यक्रमों और नीतियों का मूल्यांकन ऐसी रीति से करने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पूर्वाग्रहों और रूढिबद्ध धारणाओं के कारण हम अपने उद्देश्य से न भटकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत है। आगे के पैराओं में उदृत कार्यक्रमों को इस उद्देश्य से अमल में लाया जा रहा है।

हिंसामुक्त घर– एक महिला का अधिकार (महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ)

6.2 राष्ट्रीय महिला आयोग ने टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टी.आई.एस.एस.) और दिल्ली पुलिस के सहयोग से महिलाओं को सशक्त करने ओर सार्वजनिक और निजी जीवन में हिंसा की उत्तरजीवी महिलाओं की सहायता करने के लिए एक परियोजना आरंभ की थी। इस परियोजना के अधीन सभी जिलों में तिरस्कृत महिलाओं को मनोवैज्ञानिक–विधिक सेवा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है। इस समय जिला स्तर पर 24 सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है। ये सभी कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस के महिलाओं के विरूद्ध अपराध (सी.ए.डब्ल्यू.) प्रकोष्ठों में अवस्थित हैं। आयोग और दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से इन प्रकोष्ठों के कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाती है। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर 7 अन्य राज्यों के 22 जिलों में भी लागू किया जा रहा है। ये राज्य हैं बिहार, असम, मेघालय, पंजाब, मध्यप्रदेश, ओडिसा और तमिलनाडु। यह परियोजना घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करने में सहायता करेगी और पुलिस/दांडिक न्याय प्रणाली के भीतर एक सुव्यवस्थित परिवेदना का उपचार करने की प्रक्रिया का सृजन करेगी।

एसिड हमले से संबंधित मामलों की निगरानी

6.3 एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं को तुरंत राहत प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए एसिड हमले से संबंधित मामलों की जानकारी, जिसमें पीड़ितों को प्रतिकर का भुगतान भी शामिल है, की निगरानी आरंभ की है। आरंभ में आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से सूचना एकत्रित की और इसे एक डिजीटल एम.आई.एस. प्लेटफार्म पर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के साथ पत्रव्यवहार करने के पश्चात् अधिकतर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों ने एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर लिया है। नियमित रूप से एम.आई.एस. पोर्टल

पर एसिड हमले की पीडितों के आकड़ों को अद्यतन करने के लिए राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे उच्च स्तर के अधिकारी से सूचना की समीक्षा कराए और इसके लिए अधिकतर राज्यों ने उच्च अधिकारियों को मनोनीत किया है।

जेंडर संवेदनशीलता कार्यक्रम

6.4 राष्ट्रीय महिला आयोग पूरे देश में, पुलिस, प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों के लिए जेंडर संवेदनशीलता कार्यशालाएं और कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इन कार्यशालाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य जेंडर संबंधी मुद्दों पर और जेंडर–आधारित अपराधों के मामलों में बिना किसी पूर्वाग्रह और पक्षपात के, प्रभावी रूप से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कर्मचारियों को सशक्त एवं संवेदीग्राही बनाना है। ऐसी कार्यशालाओं/कार्यक्रमों से महिलाओं के विरूद्ध विशेष रूप से हिंसा के मामलों में कार्यवाही करने के लिए ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति के निबंधनों के अनुसार अपेक्षित व्यवसायिकता को अग्रसर करने में सहायता मिलती है। वर्ष 2017–18 के दौरान मधुबन (हरियाणा), फिल्लोर (पंजाब) और रांची (झारखंड) में विभिन्न पंक्ति के पुलिस कर्मचारियों के लिए जेंडर संवेदनशीलता कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई। यह प्रस्तावित है कि 2018–19 के दौरान इस क्रियाकलाप को और बढाया जाएगा।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

6.5 राष्ट्रीय महिला आयोग, पुलिस, अनुसंधान और विकास ब्यूरो के सहयोग से, जिन महिला अधिकारियों को महिलाओं के विरूद्ध अपराधों का अन्वेषण करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है उनके लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, आयोजित करता है। इस कार्यक्रम के भागरूप, आयोग ने बी.पी.आर.एण्ड.डी. और देश के मुख्य विश्वविद्यालय के साथ परामर्श करके पुलिस और न्यायिक कर्मचारियों के लिए माड्यूल्स तैयार किए हैं। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आयोग ने इस कार्यक्रम के संघटकों का पुनरीक्षण करने के लिए और कदम उठाएं हैं।

डिजीटल साक्षरता कार्यक्रम

6.6 राष्ट्रीय महिला आयोग ने फेसबुक और साइबर पीस फाउन्डेशन (रांची, झारखंड में स्थापित एक सिविल सोसाइटी) के सहयोग से महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए एक ''डिजीटल साक्षरता कार्यक्रम'' आरंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के बीच डिजीटल साक्षरता का संवर्धन करना है इसमें क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, साइबर अपराधों के बारे में जानकारी, समस्याओं का निवारण करना तथा ऐसे अपराधों का कैसे सामना किया जाए संबंधी सूचना भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2018–19 के दौरान इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

गृह पर्यटन का संवर्धन करने के लिए महिलाओं की सहभागिता

6.7 पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के लिए उपजीविका के अवसर सृजित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एयर बी.एन.बी के साथ एक करार किया है। यह पहल इस क्षेत्र में घर में रूकने के सूक्ष्म उद्यम को आरंभ करने के लिए कौशल विकास इष्टतम कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पर्यटन और आतिथ्य सत्कार में तकनीक पर आधारित उपजीविका अवसर पैदा करना है। इससे डिजीटल समावेशी और महिलाउन्मुखी पर्यटन और आतिथ्य सत्कार (उद्यम सृजन का संवर्धन होगा और महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा, वर्ष 2018–19 के दौरान इस कार्यक्रम को निष्पादित किया जाएगा।

****

अध्याय–7

पूर्वोत्तर (एन.ई.) में पहलें

7.1 पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं को सशक्त करने की दृष्टि के मद्देनजर राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग में एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया है। यह प्रकोष्ठ महिलाओं के विकास और उनके विधिक तथा संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी का प्रचार करने के लिए कई क्रियाकलाप आयोजित करता है। इसके अलावा यह प्रकोष्ठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विनिर्दिष्ट अधिनियमों, संहिताओं, रूढ़ियों और परिपाटियों की समीक्षा इस आशय से करता है कि महिलाओं के विधिक और अन्य अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, इनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं।

7.2 आयोग ने तारीख 14.11.2017 को शिलांग में, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार की गई ''पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तीकरण'' रिपोर्ट की प्रगति की समीक्षा करने और आगे कार्यवाही करने के लिए, एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्य आयोगों, पूर्वोत्तर परिषद और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

7.3 श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष (प्रभारी), राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिफारिशों पर प्रकाश डाला और यह विचार व्यक्त किया कि सिफारिशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए इन्हें लघु, मध्यम, दीर्घ अवधि में विभक्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने महिलाओं के कौशल विकास की आवश्यकता पर जोर दिया और यह कहा कि अकेली महिलाओं के लिए ऐसा प्रशिक्षण विशेष रूप से आवश्यक है। श्री सी. के. दास, सदस्य, पूर्वोत्तर परिषद ने इंगित किया कि पूर्वोत्तर का समाज शेष देश के मुकाबले अधिक समानतावादी है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यदि रिपोर्ट में पहचाने गए विषयों को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित किया जाता है तो इससे न केवल महिलाओं की समस्याओं को दूर करने में सहायता मिलेगी अपितु पूरे प्रदेश को इसका फायदा होगा। डा. सतबीर बेदी, सदस्य सचिव, रा.म.आ., ने यह मत व्यक्त किया कि पूर्वोत्तर प्रदेश में महिलाओं का आर्थिक क्रियाकलापों में योगदान अधिक है किन्तु उनके प्रयासों के अनुरूप प्राप्तियां नहीं हैं।

7.4 विस्तारपूर्वक विचार विमर्श करने के पश्चात् प्रत्येक राज्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए निम्नलिखित कार्रवाई बिन्दुओं पर सहमति बनी।

अरूणाचल प्रदेश

राज्य आयोग :

i. 200 महिलाओं के लिए दर्जीगीरी प्रशिक्षण आयोजित करेगा और

ii. उत्पादों के विपणन के लिए आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़ेगा।

असम

राज्य आयोग :

i. गृह विभाग से बातचीत करके समन तामील करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करेगा।

ii. विधिक जागरूकता शिविरों, को वर्तमान की तरह आयोजित करता रहेगा।

iii. जेलों में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें करेगा।

मेघालय

राज्य आयोग :

i. बाजारों में शौचालयों के निर्माण को सुनिश्चित करेगा।

ii. तीन मास के भीतर बालगृह आरंभ करने के लिए संपत्ति अर्जित करेगा।

iii. गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही वैकल्पिक पेंशनों का विलय करने के लिए पहल करेगा।

iv. खाद्य प्रसंस्करण और फास्टफूड कारोबार से संबंधित कौशल में 120–150 महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा।

मिजोरम

राज्य आयोग :

i. विधिक जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।

ii. गैर सरकारी संगठनों की सहायता से महिलाओं के लिए एक अलग बाजार आरंभ करेगा।

iii. महिला छात्रावास के निर्माण के लिए स्थलों का सर्वेक्षण करेगा।

मणिपुर

राज्य आयोग :

i. महिला जेल संवासियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

ii. धरोहर शिल्प केन्द्र स्थापित करेगा।

iii. डायरेक्टरी में उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाली महिलाओं के नाम प्रकाशित करेगा और उनका सम्मान करेगा।

सिक्किम

राज्य आयोग :

i. लैंगिक उत्पीड़न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा।

ii. झम और जे.एच.यू.एम.एस.ए. पर अध्ययन करेगा।

iii. ड्राइवरों के पथभ्रष्ट व्यवहार से संबंधित मुद्दें का सामना करने के लिए परिवहन विभाग के साथ बैठक आयोजित करेगा।

iv. महिलाओं के लिए अधिक छात्रावासों का निर्माण करेगा।

त्रिपुरा

राज्य आयोग :

i. हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम को बनाए रखेगा।

ii. सभी जिलों में सेनेटरी नेपकिन बनाने की इकाइओं को स्थापित करेगा।

iii. सेनेटरी नेपकिन का कैसे उपयोग और निपटान करना है इस संबंध में विद्यालय जाने वाली लड़कियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा।

iv. महिलाओं के लिए हॉस्टलों का निर्माण करेगा।

7.5 राष्ट्रीय महिला आयोग ने तारीख 28.11.2017 को राज्य सरकार के साथ मणिपुर में पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के ब्यौरे को अंतिम रूप देने और विचार–विमर्श करने के लिए एक बैठक की जिसमें यह सहमति हुई कि लगभग 880 महिला प्रधान/वार्ड मैम्बर/जिला परिषद् सदस्यों को 2018–19 के दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह प्रशिक्षण स्थानीय भाषा में आयोजित किया जाएगा। किए गए विनिश्चय के अनुसार इस विषय के संबंध में और आगे कार्यवाही की गई है।

7.6 राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी भूमिका के अनुसरण में राज्य महिला आयोगों और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में कई सेमिनार/कार्यशालाएं/अध्ययन और विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। पूर्वोत्तर राज्य में 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जिन विधिक जागरूकता कार्यक्रमों को प्रायोजित किया गया उनके राज्य–वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

पूर्वोत्तर में विधिक जागरुकता कार्यक्रम

क्रम सं.	गैर– सरकारी संगठन का नाम और पता	विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या
1.	अरूणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग	5
2.	असम राज्य महिला आयोग	8
3.	मणिपुर राज्य महिला आयोग	10
4.	मेघालय राज्य महिला आयोग	9
5.	मिजोरम राज्य महिला आयोग	13
6.	नागालैंड राज्य महिला आयोग	5
7.	सिक्किम राज्य महिला आयोग	9
8.	त्रिपुरा राज्य महिला आयोग	18
	कुल	**77**

7.7 पूर्वोत्तर के लिए 2017–18 के लिए मंजूर किए गए सेमिनार के ब्यौरों को अध्याय 5 में शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017– 18 के दौरान प्रदेश में निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन और सेमिनार आयोजित किए गए

पूर्वोत्तर राज्यों में किए गए अध्ययन

क्रम सं.	संगठन	विषय
1.	विवेकानन्द संस्कृति संस्थान केन्द्र, असम	असम में महिला सशक्तीकरण पर सूक्ष्म वित्तीय योजनाओं के असर का निर्धारण

पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित सेमिनार

क्रम सं.	संगठन	विषय
1.	मानव संसाधन आर्थिक विकास केन्द्र, मणिपुर	जेंडर पहल में पुरूषों को काम में लगाना
2.	मणिपुर राज्य महिला आयोग	निः शक्त महिलाओं का संवर्धन और कल्याण
3.	त्रिपुरा राज्य महिला आयोग	रजोधर्म स्वच्छता और रजोधर्म स्वच्छता प्रबंधन
4.	ग्रामीण महिला उत्थान असम एसोसिएशन	चुडैल हत्याः महिलाओं के बदलते स्वरूप के माध्यम से
5.	सिक्किम राज्य महिला आयोग	रा.म.आ. के सहयोग से हुई बैठक की समीक्षा

7.8 महिलाओं के अधिकारों और हकदारियों से संबंधित विधियों के संबंध में समाज के सभी वर्गों को परिचित कराने को सुनिश्चित करने के लिए और सफलतापूर्वक प्रभावी रूप से इन्हें क्रियान्वित करने में योगदान देने के लिए आयोग द्वारा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता के भागरूप पूर्वोत्तर राज्यों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लिया।

सेमिनारों /कार्यशालाओं /सम्मलेनों की सिफारिशें

7.9 ''जेंडर पहल में पुरूषों को काम में लगाने की पहल'' राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित और मानव संसाधन आर्थिक विकास केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यशाला में पुरूषों में जेंडर संबंधी मनोवृत्ति और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन पर विचार किया गया। मुख्य सिफारिशों में यह सिफारिश भी शामिल थी कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को निर्णय लेने के लिए समाज के तंत्र में सम्मिलित करने के लिए अधिक पहल करने की आवश्यकता है। राज्य प्रशासन को अत्यधिक महिलाओं का उत्थान करने के लिए बनाई गई सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को सार्थक रूप

से कार्यान्वित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विधि प्रवर्तन अभिकरणों को प्रभावी और कुशल बनाया जाना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक और प्राइवेट स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। केन्द्रीय सरकार को सभी स्तरों अर्थात् स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विनिश्चय करने की प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त विधान बनाना चाहिए।

7.10 ''चुड़ैल हत्याः बदले हुए परिवेश में महिलाएं अभी भी निशाने पर हैं'' (एक ऐसा शाप जिसका सामना आधुनिक मानवीय सभ्यता को करना पड़ रहा है) पर असम की ग्रामीण महिला उत्थान एसोसिएशन द्वारा आयोजित सेमिनार में, जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित किया गया था, की गई मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

(i) असम चुड़ैल हत्या (प्रतिषेध, निवारण और संरक्षण) विधेयक 2015 को तुरन्त प्रभाव से अधिनियमित/क्रियान्वित किया जाए।

(ii) सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों जैसे कि चाय बागान, जनजाति क्षेत्रों, बोडोलैंड क्षेत्र प्राधिकरण परिषद (बी.टी.ए.डी.) में परिवार परामर्श केन्द्र स्थापित किए जाए।

(iii) व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से चुड़ैल हत्या बहुल क्षेत्रों समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। आपस में मिलकर काम करना और समाज के लिए विनिर्दिष्ट/उपयुक्त आर्थिक क्रियाकलापों में कुशलता उदाहणार्थ– कृषि किचन गार्डनिंग, फूलों की नर्सरी आदि से समुदाय में सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

(iv) संसाधन व्यक्तियों ने झोलाछाप नीम–हकीमों से जनता को बचाने के लिए प्रभावी, वंचित या अनधिकारी क्षेत्रों में गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं के साथ स्वास्थ्य संरचना को उन्नत करने को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निभाई जा रही मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख किया।

(v) निवारण, दमन, बचाव और पुनर्वास की बाबत प्रभावी समन्वय के लिए विशेष कार्य दल बनाया जाना चाहिए।

****

अध्याय-8

विधिक मुद्दों पर संमत्रणा

8.1 महिलाओं की पूर्ण क्षमताओं को सकारात्मक रूप देने के लिए एक ऐसा वातावरण सृजित करने की आवश्यकता है जो बिना किसी समझौते के उनके अधिकारों, हकदारियों और गरिमा को सुनिश्चित करते हुए उन्हें सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्रियाकलापों में भाग लेने में सहायक हो। इसके लिए यह अपरिहार्य है कि सबके साथ उचित और विधिसम्मत शासन के अनुसार व्यवहार किया जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि पूरा समाज देश के कानूनों से अवगत हो और जो तंत्र कानूनों के प्रवर्तन में अंतर्ग्रस्त है उसे ऐसे कानूनों के बारे में उचित रूप से संवेदीग्राही बनाए जाने की आवश्यकता है। परिवर्तित हो रही अपेक्षाओं के अनुसार और सदा सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता को ध्यान में रखते हुए विद्यमान विधियों की समीक्षा और उनमें उपांतरण और नई विधियों को अधिनियमित किया जाना भी अपेक्षित है।

8.2 राष्ट्रीय महिला आयोग का विधिक प्रकोष्ठ संविधान और अन्य ऐसी विधियों, जिससे महिलाएं प्रभावित होती है, के विद्यमान उपबंधों की समीक्षा करने से संबंधित क्रियाकलापों का समन्वय करने और ऐसे विधानों में किसी त्रुटि, कमी या दोष को दूर करने के लिए विधायी अध्युपायों की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रकोष्ठ महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में सभी सहयोगियों के बीच जागरूकता बढ़ाने में भी सहायता करता है। यह आयोग के अन्य प्रकोष्ठों को भी विधिक सहायता प्रदान करता है।

8.3 राष्ट्रीय महिला आयोग ने संवैधानिक और विधिक उपबंधों के बारे में जानकारी को सांझा करने और महिलाओं के विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आरंभ किया है। इससे समाज के सभी वर्गों के व्यक्ति पूरी तरह से इन विधियों से अवगत हो सकेंगे और इनके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में प्रभावी रूप से योगदान दे पाएंगे। इस कार्यक्रम के भागरूप, महिलाओं के अधिकारों के बारे में विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए सितंबर और नवंबर, 2017 के बीच महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता का आयोजन किया। देश भर में इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लगभग 525 महाविद्यालयों की प्रतिपूर्ति की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को 20,000 रूपये और 8,500 रूपये की रकम नकद पुरस्कार के रूप में दी गई। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से संबंधित विधियों का एक माड्यूल भी तैयार किया।

8.4 राष्ट्रीय महिला आयोग में तारीख 18 अगस्त, 2017 को ''भारत में विवाह–पूर्व करारों की प्रयोज्यता'' पर एक दिन का राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया। इस परामर्श में पूरे देश के सहयोगियों द्वारा अलग अलग मत व्यक्त किए गए। इस परामर्श में केंद्रीय और राज्य सरकारों के

प्रतिनिधियों, वकीलों, कार्यकर्ताओं, अकादमीशियन, अन्य सामाजिक संगठनों, समाज विज्ञानियों, मनोवैज्ञानिकों और वित्तीय विश्लेषकों आदि ने भाग लिया। परामर्श से जो मुख्य सिफारिशें उद्भुत हुई हैं, वे निम्नलिखित हैं:–

(i) देश में विवाह शासित करने वाली विभिन्न विधियों के अधीन विद्यमान व्यवस्था में उपयुक्त रूप से उपांतरण करने की आवश्यकता है जिससे कि विवाह में और विवाह के समाप्त हो जाने की दशा में भी एक भागीदार रूप में महिलाओं की बराबरी और गरिमा सुनिश्चित की जा सके।

(ii) विवाह को बनाए रखना संभव न होने की दशा में विवाह में भागीदारों के लिए ऐसी संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे कि उन्हें खर्चीली और अधिक समय लगने वाली मुकदमेबाजी में न फंसना पड़ें और इसके परिणामस्वरूप होने वाली कड़वाहट और वंचन की अनुभूति का सामना भी न करना पड़े। विवाह पूर्व करार और ऐसी विधि अधिनियमित की जानी चाहिए जिससे पक्षकारों के अलग होने के संबंध में स्पष्ट आधार निर्धारित किए जा सकें।

8.5 आयोग ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से 24 जनवरी, 2018 को "भारत में एसिड हमले का सामना करने के: सामाजिक–विधिक पहलू", पर राष्ट्रीय महिला आयोग में एक दिन का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। परामर्श से जो मुख्य सिफारिशें उभर कर सामने आई वे निम्नलिखित हैं:–

(i) एसिड फेंकने के अपराध से संबंधित विद्यमान उपबंधों को और कठोर बनाया जाना चाहिए।

(ii) एसिड हमले के लिए न्यूनतम दंडादेश बलात्संग/सामूहिक बलात्संग के समतुल्य होना चाहिए और इसके लिए दंडादेश आजीवन कारावास होना चाहिए।

(iii) संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा अन्वेषण समयबद्ध रीति में किया जाना चाहिए जिससे कि समय पर न्यायालय में आरोपपत्र फाइल किया जा सके।

(iv) पीड़िता को सावधि निक्षेप के रूप में आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

(v) एसिड हमले की पीड़िता के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

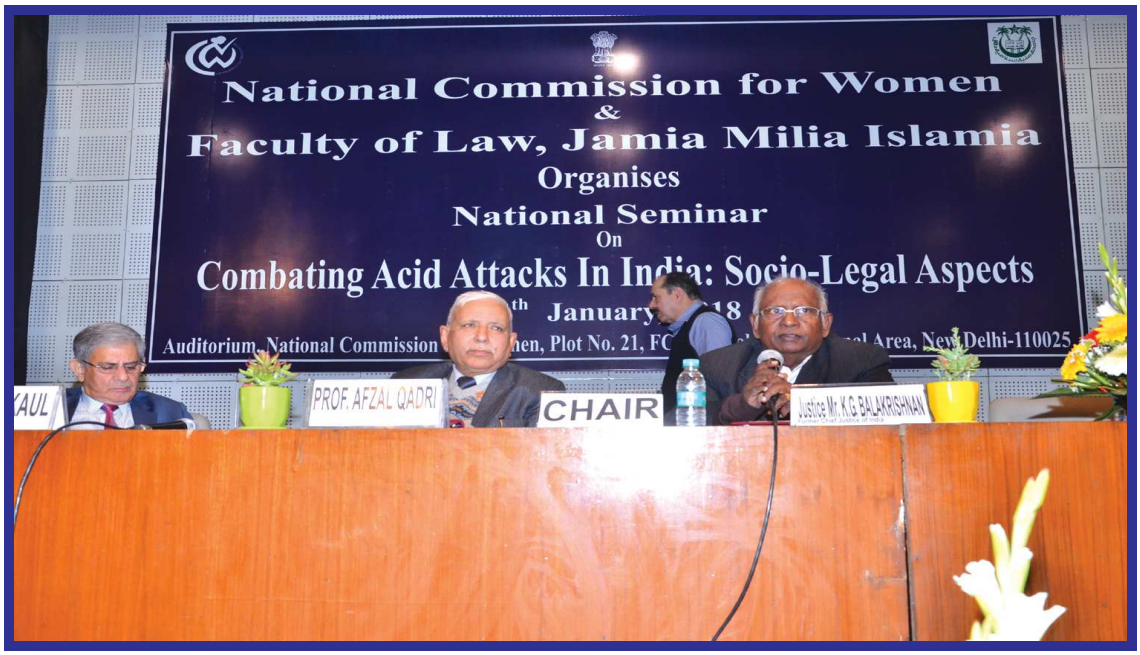

8.6 वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग ने राज्य महिला आयोगों के साथ मिलकर काफी बडी संख्या में विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए। जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

तारीख 1 अप्रैल, 2017 से तारीख 31 मार्च, 2018 तक आयोजित राज्य वार विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एल.ए.पी.)

क्रम सं.	गैर सरकारी संगठन/संगठनों/ संस्थाओं का नाम और पता	विधिक जागरूकता कार्यक्रम/ जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और स्थान जहां कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए	मंजूर की गई रकम (रुपयों में)
आंध्र प्रदेश			
1	आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग, हैदराबाद, आ. प्र.	आंध्र प्रदेश राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में दस विधिक जागरूकता कार्यक्रम	10,00,000/– रू
बिहार			
2	बिहार राज्य महिला आयोग, पटना, बिहार	बिहार राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में आठ विधिक जागरूकता कार्यक्रम	8,00,000/– रू

छत्तीसगढ़			
3	छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, रायपुर, छ.ग.	छत्तीसगढ़ राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में छह विधिक जागरूकता कार्यक्रम	3,00,000/– रू
4	छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, रायपुर, छ.ग.	छत्तीसगढ़ राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में सोलह विधिक जागरूकता कार्यक्रम	10,00,000/– रू
गोवा			
5	गोवा राज्य महिला आयोग, पणजी, गोवा	गोवा राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में छह विधिक जागरूकता कार्यक्रम	6,00,000/– रू
हरियाणा			
6	हरियाणा राज्य महिला आयोग, पंचकुला, हरियाणा	हरियाणा राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में सोलह विधिक जागरूकता कार्यक्रम	16,00,000/– रू
हिमाचल प्रदेश			
7	हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग, शिमला, हि.प्र.	हिमाचल प्रदेश राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में दस विधिक जागरूकता कार्यक्रम	10,00,000/– रू
जम्मू–कश्मीर			
8	जम्मू –कश्मीर राज्य महिला आयोग, जम्मू –कश्मीर	जम्मू – कश्मीर राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में तैंतीस विधिक जागरूकता कार्यक्रम	33,00,000/– रू
झारखंड			
9	झारखंड राज्य महिला आयोग, रांची, झारखंड	झारखंड राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में छह विधिक जागरूकता कार्यक्रम	6,00,000/– रू
केरल			
10	केरल राज्य महिला आयोग, तिरूवंतपुरम, केरल	केरल राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में पांच विधिक जागरूकता कार्यक्रम	5,00,000/– रू
मध्य प्रदेश			
11	मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में पचास विधिक जागरूकता कार्यक्रम	50,00,000/– रू

ओडिसा			
12	ओडिसा राज्य महिला आयोग, भुवनेश्वर, ओडिसा	ओडिसा राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में चार विधिक जागरूकता कार्यक्रम	4,00,000/– रू
पंजाब			
13	पंजाब राज्य महिला आयोग, चंडीगढ़, पंजाब	पंजाब राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में बारह विधिक जागरूकता कार्यक्रम	12,00,000/– रू
राजस्थान			
14	राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर, राजस्थान	राजस्थान राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में चार विधिक जागरूकता कार्यक्रम	4,00,000/– रू
तमिलनाडु			
15	तमिलनाडु राज्य महिला आयोग, चैन्नई, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में बारह विधिक जागरूकता कार्यक्रम	12,00,000/– रू
तेलंगाना			
16	तेलंगाना राज्य महिला आयोग, सिकंदराबाद, तेलंगाना	तेलंगाना राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में सैंतीस विधिक जागरूकता कार्यक्रम	37,00,000/– रू
उत्तर प्रदेश			
17	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, लखनऊ, यू.पी.	उत्तर प्रदेश राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में चौदह विधिक जागरूकता कार्यक्रम	14,00,000/– रू
उत्तराखंड			
18	उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, देहरादून, उत्तराखंड	उत्तराखंड राज्य में महिला संबंधी विधियों के बारे में आठ विधिक जागरूकता कार्यक्रम	8,00,000/– रू

8.7 2017–18 में विभिन्न राज्यों में आयोजित विधि जागरूकता कार्यक्रम (एल.ए.पी.)

क्रम.सं.	राज्यों के नाम	विधिक जागरुकता कार्यक्रमों की संख्या
1	अरूणाचल प्रदेश	10
2	बिहार	8
3	छत्तीसगढ़	16

4	गोवा	6
5	हरियाणा	16
6	हिमाचल प्रदेश	10
7	जम्मू–कश्मीर	33
8	झारखंड	6
9	केरल	5
10	मध्य प्रदेश	50
11	ओडिसा	4
12	पंजाब	12
13	राजस्थान	4
14	तमिलनाडु	12
15	तेलंगाना	37
16	उत्तर प्रदेश	14
17	उत्तराखंड	8
	कुल	**251**

****

अध्याय–9

जेल, अभिरक्षा गृह और मनोरोग संस्थाओं का निरीक्षण

9.1 राष्ट्रीय महिला आयोग जेलों और अन्य अभिरक्षा गृहों में रह रही महिलाओं के लिए मानवोचित परिस्थितियां सुनिश्चित करने की दृष्टि से समय समय पर ऐसे गृहों का निरीक्षण करता है। इसी प्रकार मनोरोग संस्थाओं का बाबत भी निरीक्षण किया जा रहा हैं। ऐसे निरीक्षण का उद्देश्य ऐसे क्षेत्र की पहचान करना है जहां महिला संवासियों के लिए बेहतर, सुरक्षित और जेंडर संवेदनशील वातावरण प्रदान करने के लिए सुधार किया जा सकता है और ऐसी संस्थाओं से जुड़े सामाजिक लांछन को कम किया जा सके तथा इससे संवासियों को अपनी कार्य–कुशलता और जीवन के प्रति उनकी मनोवृत्ति में सुधार करने में सहायता मिलेगी। इससे शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों, पारिश्रमिक के साथ कार्य, सलाह देना आदि को प्रणालीबद्ध करने के प्रयासों को समकालीन भी बनाया जा सकता है। इन निरीक्षणों से कारागार/अभिरक्षा गृहों में संवासियों के अधिकारों के रक्षापायों के लिए उन्हें प्रदान की जाने वाली मुफ्त विधिक सहायता की प्रभावकारिता का भी आकलन होता है।

9.2 जेलो का निरीक्षण करने के दौरान राज्य महिला आयोगों, गैर सरकारी संगठनों और डी.एल.एस.ए के प्रतिनिधियों ने भी सहयोग किया। निरीक्षण दल ने निरपवाद रूप से जेल में महिला संवासियों, कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ बातचीत की निरीक्षित संस्थाओं की बाबत जो मत/निष्कर्ष/सिफारिशें की गई उन्हें केन्द्रीय और राज्य सरकारों में संबंधित प्राधिकारियों को, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी शामिल है, ऐसे निरीक्षणों से उद्भूत हुई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए और आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। सभी निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए कि महिला संवासियों के अधिकारों का अतिक्रमण न हो और जेल मैनुअल को लागू होने वाले उपबंधों और पद्धति का पालन किया जाए।

9.3 यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि आयोग के प्रयासों की वजह से वस्तुनिष्ठ परिणाम प्राप्त हुए हैं और जमीनी स्तर पर स्थिति का उचित आकलन किया गया है तथा टीका– टिप्पणी/निष्कर्ष से महिला वार्डो में जेल की दशा को और अधिक मानवोचित बनाने में सहायता मिल सकती है। आयोग ने जेलों का निरीक्षण करने के लिए एक व्यापक प्रोफार्मा तैयार किया है। इस प्रोफार्मा को डी.जी./ए.डी.जी./आई.जी. कारागारों और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जेलों के भारसाधक अधिकारियों के साथ साझा किया गया है। सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा इसका प्रयोग करने के लिए इसकी पहुंच आसान बनाने के लिए प्रोफार्मा की एक प्रति आयोग की बेवसाइट पर भी उपलब्ध है। आयोग ने काफी जेलों से विहित प्रोफार्मा में सम्यक् रूप से भरी गई जानकारी एकत्रित की है। जेल/अभिरक्षा गृहों द्वारा अपना आत्मनिरीक्षण करके और सुधार करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

9.4 राष्ट्रीय महिला आयोग ने सबसे पहले देश में केन्द्रीय जेलों का निरीक्षण किया। राज्य महिला आयोगों से भी यह अनुरोध किया गया कि वे अपने–अपने राज्यों में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रोफार्मा का उपयोग करके जिला और अन्य जेलों का निरीक्षण करें।

9.5 आयोग द्वारा 2017–18 के दौरान निम्नलिखित जेलों का निरीक्षण किया गया

क्रम सं.	जेल का नाम
1.	तिहार जेल न. 6 नई दिल्ली
2.	केंद्रीय जेल, अंबाला, हरियाणा
3.	केंद्रीय जेल, नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश
4.	सुधार घर (केंद्रीय जेल), अमृतसर, पंजाब
5.	जेल, बिरसा मुन्डा, रांची , झारखण्ड
6.	केंद्रीय जेल, गुरूदासपुर, पंजाब
7.	केंद्रीय जेल, बंगलोर, कर्नाटक
8.	केंद्रीय जेल, भोपाल, मध्य प्रदेश

9.6 आयोग ने 2018–19 के दौरान बड़ी संख्या में केन्द्रीय और अन्य जेलों का निरीक्षण करने की योजना बनाई है।

9.7 राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्र विज्ञान संस्था (एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस.) के एक बहु– मानसिक अनुशासन दल द्वारा एक अनुसंधान अध्ययन कराया था। अध्ययन की सिफारिशों पर विचार किया गया था और वास्तविक कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया था। इस रिपोर्ट को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अन्यों के साथ साझा किया

गया और वास्तविक कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया। इस अध्ययन के अनुभव/निष्कर्षों के आधार पर आयोग ने 2017–18 के दौरान मनोरोग संस्थानों का निरीक्षण आरंभ किया। आयोग द्वारा दो मनोरोग संस्थाओं निरीक्षण किया गया और 2018.19 के लिए आयोग ने और संस्थाओं का निरीक्षण करने की योजना बनाई है।

क्रम संख्या	जेल का नाम
1.	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची
2.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं अस्पताल, आगरा (यू.पी.)

9.8 प्रत्येक जेल और मनोरोग संस्थाओं की बाबत निरीक्षण निष्कर्षों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उपचारात्मक कार्रवाई के लिए साझा किया गया और संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस विषय के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

****

अध्याय–10

सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग

10.1 हमारे दिन–प्रतिदिन के जीवन में सूचना संचार प्रौद्योगिकी अब एक अत्यधिक सर्वव्यापक तत्व है। सामाजिक स्तर पर देश की आर्थिक क्षमता को उन्मुक्त करने और उत्पादन बढ़ाने तथा समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बैठाना महत्वपूर्ण है। आई.सी.टी. मानवीय जीवन की गुणवत्ता में कुल मिलाकर सुधार करने और इसके साथ साथ उबाउपन को कम करने की क्षमता रखता है। हर क्षेत्र में महिलाओं का विकास करने और इसके साथ सामर्थ्यकारी वातावरण सृजित करने के लिए आई.सी.टी. के परिनियोजन को एक सक्षम साधन माना गया है। प्रज्ञावान समाज में महिलाओं को नियोजित करने के लिए आर्थिक गतिविधियों और कौशल में भाग लेने की उनकी योग्यता को और विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कि वे मुद्दों को गहराई तक समझ सकें और सामाजिक और संस्थागत बाधाओं को अभिभूत कर सके। इसमें आई.सी.टी.एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

10.2 राष्ट्रीय महिला आयोग प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और निर्णय करने में गति लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में अग्रणी रहा है। आयोग ने सबसे पहले वर्ष 2005 में प्राप्त शिकायतों की इलैक्ट्रानिक प्राप्ति प्रक्रिया और निपटान कार्य आरंभ कर दिया था। सूचना संचार के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी कई गतिविधियों में आई.टी. प्रौद्योगिकी उपयोग काफी समय से कर रहा है और इसके प्रयोग में निरंतर रूप से बढ़ोत्तरी हो रही है और पिछले वर्षों में इस प्रणाली में और सुधार किया गया है। इस प्रणाली में व्यष्टिक शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत की प्रगति का आनलाइन पर पता लगाने की सुविधा प्रदान की गई है।

10.3 ई–आफिस, जो कि भारत सरकार के नैशनल ई–गवर्नेंस प्रोग्राम (एन.ई.जी.पी.) के अधीन एक मिशन मोड परियोजना है, कार्यालय प्रक्रियाओं को इलैक्ट्रानिक रूप से करने के लिए सरल, क्रियाशील, प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया सुकर बनाता है। आयोग ने ई–आफिस को दिसम्बर, 2016 से सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर दिया है। आयोग के कृत्यों के मुख्य भाग को अब इलैक्ट्रोनिकली किया जा रहा है।

10.4 महिलाओं से संबंधित निधियों पर महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित प्रतियोगिता के प्रतिपूर्ति प्रस्ताव इलैक्ट्रोनिकली प्राप्त किए गए थे और उन पर कार्यवाही भी इलैक्ट्रोनिकली ही की गई। इसी प्रकार आनलाइन साफ्टवेयर का प्रयोग करके अनुसंधान/सेमिनार के प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे, कार्यवाही की गई थी और अंतिम रूप दिया गया था।

10.5 वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग ने एसिड हमले से संबंधित मामलों का निपटान किए जाने और

ऐसे मामलों में प्रतिकर का भुगतान करने की प्रगति की निगरानी के लिए आनलाइन सूचना देने की व्यवस्था की है। इसके लिए देश के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल अधिकारियों को आकड़ें अद्यतन करने के लिए सुविधा प्रदान की गई है।

10.6 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच डिजीटल साक्षरता बढाए जाने के लिए भी कार्यवाही की है और इसके लिए अन्य सहभागियों के साथ मिलकर परिकल्पना की गई है।

****

अध्याय–11

सूचना का अधिकार

11.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रशासन और आयोग द्वारा किए जा रहे अन्य विषयों के संबंध में स्पष्टता, पारदर्शिता और जबावदेही की अभिवृद्धि करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की है। इसमें पब्लिक डोमेन में अधिक से अधिक जानकारी रखना भी सम्मिलित है।

11.2 आयोग का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि आयोग की वेबसाइट के माध्यम से नियमित अन्तराल पर जनता को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाए जिससे जनता कम प्रयास से ही अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सके। तद्नुसार, जहां आनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता से प्राप्त शिकायतों की स्थिति उपलब्ध है और ऐसी शिकायतों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आयोग की वेबसाइट पर रखने के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन और सेमिनार के बारे में जो स्थिति है उसे अद्यतन किया है और यह भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग द्वारा तैयार किए गए सभी विज्ञापनों को भी नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर रखा जाता है जिससे सभी संबंधित व्यक्तियों तक जानकारी का प्रचार सुनिश्चित हो सके।

11.3 यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि आर.टी.आई. के सभी अनुरोधों का यथासंभव शीघ्र उत्तर दिया जाए और अन्य लोक प्राधिकारियों से संबंधित मामलों को शीघ्रतापूर्वक अंतरित किया जाए।

11.4 वर्ष 2017–18 के दौरान सूचना के अधिकार से संबंधित प्राप्त आवेदनों और अपीलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क. तिमाही–वार सूचना के अधिकार के आवेदनों की प्राप्ति और उनका निपटान :

तिमाही	प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी से अंतरित रूप में प्राप्त आवेदनों की सं.	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन (जिसमें अन्य लोक प्राधिकारी/ प्राधिकारियों को अंतरित मामले भी हैं)	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामलों की सं.	विनिश्चय जहां अनुरोधों/ अपीलों को नामंजूर किया गया हैं	विनिश्चय जहां अनुरोधों/ अपीलों को मंजूर किया गया हैं	अगली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष
तिमाही–1 (अप्रैल–जून, 2017)	142	5	158	6	32	103	164
तिमाही–2 (जुलाई–सितंबर, 2017)	164	11	148	5	9	97	212
तिमाही–3 (अक्तूबर–दिसंबर, 2017)	212	13	107	9	0	219	104
तिमाही–4 (जनवरी–मार्च, 2018)	104	13	153	9	6	22	233

ख. तिमाही – वार राष्ट्रीय महिला आयोग में प्रथम अपीलों की प्राप्ति और निपटान :

तिमाही	प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी से अंतरित रूप में प्राप्त आवेदनों की सं.	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन (जिसमें अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामले भी हैं)	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामलों की सं.	विनिश्चय जहां अनुरोधों/अपीलों को नामंजूर किया गया हैं	विनिश्चय जहां अनुरोधों/अपीलों को मंजूर किया गया हैं	अगली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष
तिमाही–1 (अप्रैल–जून, 2017)	7	लागू नहीं होता	12	0	5	4	10
तिमाही–2 (जुलाई–सितंबर, 2017)	10	लागू नहीं होता	43	0	1	11	41
तिमाही–3 (अक्तूबर–दिसंबर, 2017)	41	लागू नहीं होता	9	0	3	35	12
तिमाही–4 (जनवरी–मार्च, 2018)	12	लागू नहीं होता	22	0	0	6	28

****

अध्याय–12

लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया

12.1 विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के निबन्धनों के अनुसार मानवोचित गरिमा के साथ कार्य करने का अधिकार सार्वभौमिक रूप से मान्य मानव अधिकार है। भारत में, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न भाग है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से इस अधिकार का हनन होता है और महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को महिलाओं के अधिकारों के रक्षोपाय की एक प्रभावी प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है और अन्य बातों के साथ साथ इसमें लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों पर जांच करने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन करने का भी उपबंध किया गया है।

12.2 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की जांच करने के लिए एक आंतरिक समिति (जो पहले आंतरिक शिकायत समिति के रूप में ज्ञात थी) का गठन किया है। वर्ष 2017–18 के दौरान इस समिति की अध्यक्ष आयोग की सदस्य श्रीमती सुषमा साहू थी।

12.3 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतें और आयोजित की गई कार्यशालाओं के ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	प्राप्त शिकायतों की सं.	निपटायी गई शिकायतों की सं.	नब्बे दिन से अधिक लंबित मामलों की सं.	कार्यशाला या जागरुकता कार्यक्रमों की सं.	नियोजक द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति
1.	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	02 (दो)	लागू नहीं होता

****

अध्याय–13

हिंदी का प्रगामी उपयोग

13.1 राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2017–18 के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और 1967 में यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा इसके अधीन विरचित राजभाषा नियम, 1976 और समय–समय पर राजभाषा विभाग के विभिन्न आदेशों/अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध सतत् प्रयास किए है। आयोग ने संघ की राजभाषा नीति को प्रयोग कार्यान्वित करने और कार्यालय के काम में अधिक से अधिक हिंदी के प्रयोग के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

13.2 आयोग ने विधियों/ नियमों/ अनुदेशों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए एक कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक का पद स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं भी आवश्यकता हुई, कार्य की अत्यावश्यकता से निपटने के लिए संविदा/ बाह्य स्त्रोत के आधार पर व्यक्तियों को नियोजित किया गया है। आयोग के विभिन्न प्रकोष्ठों से प्राप्त सामग्री, जैसे साधारण आदेशों, पुस्तिका, मंजूरी, मैनुअल, मानक प्रकोष्ठों, अधिसूचनाओं और प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों और प्रेस विज्ञप्ति रिपोर्टों, आदि का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।

13.3 नियमित कार्य हिन्दी में पूरा किए जाने के अतिरिक्त हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। राजभाषा प्रकोष्ठ मासिक समाचार पत्रक की विषय–वस्तु और जेल निरीक्षण प्रोफार्मा, मार्गदर्शक दस्तावेज/पुस्तिका आदि और आयोग की अन्य रिपोर्टों का अनुवाद कर रहा है।

****

अध्याय–14

मीडिया और पहुंच कार्यक्रम

14.1 महिलाओं की प्रास्थिति में सुधार और उनके सशक्तिकरण के लिए अन्य बातों के साथ–साथ, महिलाओं से संबंधित कानूनों और योजनाओं की बाबत जनता में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। सरकार के सभी संबंधित अभिकरणों और गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों द्वारा इस संबंध में सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। महिलाओं से संबंधित कानूनों और योजनाओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना विभिन्न क्रियाकलापों में महिलाओं की सहभागिता और उनके संवर्धन के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बात का संज्ञान लेते हुए कि महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकारों, हक और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने तथा पूरी गरिमा के साथ जीवनयापन करने को आश्वस्त करने के संबंध में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, आयोग मीडिया के साथ सक्रिय रूप से संबंध बनाए रखेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2017–18 के दौरान ऐसे मुद्दों के बारे में जानकारी को बढ़ाने के लिए मीडिया के माध्यम से, जिसमें महत्वपूर्ण क्रियाकलापों और अपनी शासकीय फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से सोशल मीडिया पर कार्यक्रमों के ब्यौरों को साझा करना शामिल है, कई पहल की हैं। पुस्तिका और विज्ञापनों आदि और आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी इन ब्यौरों का प्रचार किया गया है।

14.2 आयोग ने वर्ष 2017–18 के दौरान देश के सभी प्रमुख समाचारपत्रों में राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों के बारे में विज्ञापन निकाले जिसमें आम जनता को आयोग के भीतर और अन्य संगठनों के माध्यम से सहायता प्रणाली भी शामिल है। सरोगेसी, महिला पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण, दिव्यांग महिलाओं द्वारा किए जाने वाले मुद्दों और चुनौतियों से संबंधित विषयों पर समय–समय पर जानकारी प्रचारित करने के लिए भी प्रेस सम्मेलन और मीडिया संवाद आयोजित किए। वर्ष 2017–18 के दौरान सभी मुख्य समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में निम्न विज्ञापन जारी किए गए:

(i) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 में घरेलू हिंसा से संबंधित विभिन्न पहलू सम्मिलित है और संरक्षण अधिकारी के माध्यम से न्यायालय से उपचारात्मक उपायों को प्राप्त करने के लिए आदेश प्राप्त किया जा सकते हैं।

(ii) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में– कार्यस्थल पर आंतरिक समिति और जिला स्तरों पर स्थानीय समितियां गठित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

(iii) एक विज्ञापन भी जारी किया गया जिसमें पुलिस थाने में मामलों को उठाने के लिए, पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने से इंकार करने पर एस.पी./एस.एस.पी./

डी.सी.पी. या मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए, विधिक सेवा प्राधिकारियों डी.एल.एस.ए./एस.एल.एस.ए./एन.ए.एल.एस.ए., राज्य महिला आयोगों/राष्ट्रीय महिला आयोग से सलाह प्राप्त करने के लिए विभिन्न सहायता प्रणाली पर प्रकाश डाला गया।

(iv) अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। इसके द्वारा विधिक उपचारों के बारे में महिलाओं को शिक्षित करने और इसमें अंतर्ग्रस्त जोखिमों को कम करने के निवारक उपायों तथा महिला और उनके परिवारों द्वारा आवश्यकता की दशा में किन प्राधिकारियों से संपर्क करना चाहिए, के बारे में बताया गया।

14.3 वर्ष 2017–18 के दौरान संवैधानिक और विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने की दृष्टि से, महिलाओं से संबंधित कानूनों का एक विधिक माड्यूल तैयार किया गया है और उसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

14.4 "राष्ट्र महिला" आयोग का एक मासिक सूचनापत्र है जिसे अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है, के माध्यम से आयोग के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के बारे में महिला कार्यकर्ताओं, विधिक बन्धुत्व, प्रशासकों, न्यायपालिका के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों और पूरे देश के विद्यार्थियों को भी जानकारी, प्रचारित की जाती रही। इस सूचनापत्र में आयोग के क्रियाकलापों और आयोग के समक्ष दर्ज की गई शिकायतों के बाबत सफल वृतान्तों और महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायालय और सरकारी विनिश्चयों के बारे में भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। यह मासिक सूचनापत्र आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ncw.in पर भी उपलब्ध है।

अध्याय–15

वार्षिक लेखा
2017-18

राष्ट्रीय महिला आयोग

तुलनपत्र (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2018 को यथा-विद्यमान

(रकम रुपयों में)

पूंजीगत निधि और दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
पूंजीगत निधि	1	20,10,41,006.00	19,16,624.00	20,29,57,630.00	26,92,52,212.00	43,16,487.00	27,35,68,699.00
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-	-	-	-	-
निर्धारित/अक्षय निधि	3	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूत ऋण और उधार	4	-	-	-	-	-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार	5	-	-	-	-	-	-
आस्थगित उधार दायित्व	6	-	-	-	-	-	-
चालू दायित्व और प्रावधान	7	8,44,60,269.00	97,41,972.00	9,42,02,241.00	7,44,70,261.00	26,93,878.00	7,71,64,139.00
		28,55,01,275.00	**1,16,58,596.00**	**29,71,59,871.00**	**34,37,22,473.00**	**70,10,365.00**	**35,07,32,838.00**
आस्तिया							
नियत आस्तियां	8	18,52,95,909.00	-	18,52,95,909.00	20,68,58,586.00	-	20,68,58,586.00
निवेश - निर्धारित/अक्षय निधियों से	9						-
निवेश - अन्य	10	-	-	-	-	-	-
चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम	11	10,53,05,309.00	65,58,653.00	11,18,63,962.00	14,19,55,075.00	19,19,177.00	14,38,74,252.00
विविध व्यय		-	-	-	-	-	-
		-					-
कुल		**29,06,01,218.00**	**65,58,653.00**	**29,71,59,871.00**	**34,88,13,661.00**	**19,19,177.00**	**35,07,32,838.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24						
आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पणियां	25						

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

आय एवं व्यय लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष

(रकम रुपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
विक्रय/सेवाओं से आय	12	-	-		-
अनुदान/सहायिकी	13	17,26,94,708.00	4,85,10,284.00	17,58,43,313.00	4,44,47,000.00
फीस/अभिदान	14	-	7,997.00	-	9,195.00
निवेश से आय(निवेश पर आय, निधियों में अंतरित	15	-	-	-	
निर्धारित/अक्षय निधियों से आय		-	-	-	-
रॉयल्टी/प्रकाशन से आय	16	-	-	-	-
उपार्जित ब्याज	17	13,43,225.00	3,89,537.00	12,72,091.00	3,07,758.00
अन्य आय	18	1,14,42,538.00	1,20,093.00	44,80,944.00	10,91,507.00
पूर्व अवधि व्यय (स्टॉक 2016-17 का अंत अतिशेष)		-	1,76,000.00	-	-
तैयार माल और प्रगति पर कार्य के स्टॉक में वृद्धि(कमी)	19	-	1,67,457.00		
पूर्व वर्ष के समायोजन अन्य आय (भवन पर 2008-09 से 2011-12 तक प्रभारित अवक्षयण		-	-	-	-
कुल(क)		**18,54,80,471.00**	**4,93,71,368.00**	**18,15,96,348.00**	**4,58,55,460.00**
व्यय					
स्थापन व्यय, आदि	20	2,20,05,748.00	3,08,10,192.00	1,96,21,481.00	3,59,08,450.00
अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	21	10,21,66,136.00	2,09,61,039.00	5,58,38,022.00	1,70,00,846.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	10,79,29,922.00	-	7,21,41,206.00	-
ब्याज	23	-	-	-	-
अवक्षयण (वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध योग)		2,62,11,849.00	-	4,23,59,854.00	-
अवक्षयण (पूर्व अवधि)		19,78,043.00	-		
पूर्व अवधि व्यय		8,14,687.00			
बट्टे खाते में अग्रिम		8,17,206.00			
नियत आस्तियों के विक्रय पर हानि		25,78,088.00			
कुल(ख)		**26,45,01,679.00**	**5,17,71,231.00**	**18,99,60,563.00**	**5,29,09,296.00**
व्यय से अधिक आय होने के कारण अतिशेष (क-ख)		**(7,90,21,208.00)**	**(23,99,863.00)**	**(83,64,215.00)**	**(70,53,836.00)**
			-	-	-
विशेष आरक्षित में अंतरण		-	-	-	-
सामान्य आरक्षित में/से अंतरण		-			
अतिशेष (कम) होने के कारण समग्र/पूंजीगत निधि में अग्रनीत		**(7,90,21,208.00)**	**(23,99,863.00)**	**(83,64,215.00)**	**(70,53,836.00)**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष

(रकम रुपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष		भुगतान	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
आरंभिक अतिशेष									
शेष नकदी	-	-	-	-	स्थापना व्यय(अनुसूची-26)	1,48,27,724.00	3,04,15,150.00	2,40,25,949.00	3,56,93,692.00
शेष बची डाक टिकटें		31,642.00		32,284.00					
बैंक अतिशेष	1,07,42,167.00	14,05,021.00	1,62,81,559,00	79,92,559.00					
					अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-27)	8,87,13,714.00	1,99,78,729.00	9,96,16,658.00	1,66,56,176.00
					अवधि पूर्व व्यय	-	-		
					विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान (अनु. 28)	8,86,32,398.00	-	6,11,29,326.00	-
प्राप्त अनुदान	18,82,58,000.00	5,45,95.000.00	18,37,18,000.00	4,44,47,000.00					
					धनप्रेषण (अनुसूची 29)	-	90,13,593.00	-	89,45,148.00
निवेश पर आय									
अक्षय निधि	-	-	-	-	प्रतिभूति जमा	64,000.00	-	27,500.00	88,614.00
					जमा प्राप्तियां				
अपनी निधि	-	-	-	-	नियत आस्तियों पर व्यय		-	-	-
					क)नियत आस्तियां	66,60,002.00		70,03,837.00	
निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	ख) कार्य प्रगति पर	-		-	
					अंतिम अतिशेष				
प्राप्त ब्याज					नकद शेष	-		-	-
					शेष डाक टिकटें		53,331.00		31,642.00
बैंक जमा	13,43,225.00	3,89,537.00	12,72,091.00	3,07,758.00	बैंक अतिशेष (अनुसूची 30)	47,18,862.00	61,19,144.00	1,07,42,167.00	14,05,021.00
गृहनिर्माण अग्रिम पर ब्याज	-	-	-	-					
उधार एवं अग्रिम	-	-	-	-					
नकदीकृत निवेश	-	-	-	-					
सी.पी.एफ. पर ब्याज	-	-	-	-					
अन्य आय									
आर.टी.आई.	-	7,997.00	-	9,195.00					
विविध आय	8,50,834.00	85,665.00	7,15,144.00	10,86,349.00					
समयपूर्व विविध आय	18,78,274.00	34,428.00	5,39,643.00	-					
धन प्रेषण(अनुसूची-29)	-	90,13,593.00	-	89,45,148.00					
प्रतिभूति जमा	5,44,200.00	-	19,000.00	-					
राज्य चैक	-	17,064.00							
	20,36,16,700.00	**6,55,79,947.00**	**20,25,45,437.00**	**6,28,20,293.00**		**20,36,16,700.00**	**6,55,79,947.00**	**20,25,45,437.00**	**6,28,20,293.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च, **2018** की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूचियां

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
अनुसूची **-1** पूंजीगत निधि				
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	26,92,52,212.00	43,16,487.00	26,97,41,740.00	1,13,70,323.00
जोड़े:- आरक्षित एवं अधिशेष से अंतरण	-	-		
जोड़े(घटाएं):- आय एवं व्यय खाते से अंतरित				
शुद्ध आय(व्यय) का अतिशेष	(7,90,21,208.00)	(23,99,863.00)	(83,64,215.00)	(70,53,836.00)
जोड़े:-ब्याज पर स्रोत पर कर-कटौती के प्रतिदाय के लिए समायोजन प्रविष्टि	-	-	-	-
		-		-
जोड़े:- वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि का परिवर्धन	1,08,10,002.00	-	78,74,687.00	-
		-	-	-
		-		-
वर्ष के अंत में अतिशेष	**20,10,41,006.00**	**19,16,624.00**	**26,92,52,212.00**	**43,16,487.00**

अनुसूची**-2** आरक्षित एवं अधिशेष

1) <u>पूंजीगत आरक्षित</u>				
पिछले खाते के अनुसार	-	-	-	-
घटाएं: पूंजीगत निधि में अंतरण अनुसूची-1	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
अनुसूची 3 - निर्धारित/अक्षय निधियां			शून्य		
अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार			शून्य		
अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधार			शून्य		
अनुसूची 6 - आस्थगित उधार दायित्व			शून्य		
अनुसूची 7 चालू दायित्व एवं प्रावधान					
चालू दायित्व					
मार्च, 2018 मास के लिए संदेय वेतन		-	18,36,731.00	-	16,70,730.00
मार्च, 2018 मास के लिए संदेय धनप्रेषण		-	8,28,506.00	-	6,40,110.00
मार्च, 2018 मास के संदेय बिल		3,46,607.00	5,41,390.00	15,750.00	2,49,473.00
श्री एस. मुरुली को संदेय		-	-	3,992.00	-
प्रतिभूति जमा		7,21,489.00	1,33,565.00	1,32,289.00	1,33,565.00
पुराने चेकों का दायित्व		7,15,144.00	17,064.00		
खर्च न किए गए प्रतिदेय अतिशेष के लिए दायित्व		47,53,290.00	60,84,716.00		
लेखा-परीक्षा फीस के लिए उपबंध		-	3,00,000.00		
संदेय गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम(क+ख+ग+घ+च+छ+झ+ञ+ट+ड+ढ)		6,41,40,664.00	-	6,02,30,028.00	-
संदेय गैर सरकारी संगठनों(पूर्वोत्तर क्षेत्र) को अग्रिम	ड+ज+ठ+ण	87,69,107.00	-	90,74,234.00	-
एन.बी.सी.सी. को कार्यालय भवन निर्माण के लिए संदेय		50,13,968.00	-	50,13,968.00	
		8,44,60,269.00	**97,41,972.00**	**7,44,70,261.00**	**26,93,878.00**

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
विशेष अध्ययन	क	**2,05,78,777**		**1,47,62,518**	
एकेडमी ऑफ ग्रासरूट्स स्टडीज़ एंड रिसर्च-ए.पी.-वि. अध्य.		-		-	
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद वि. अध्य.		738598		136318	
एमेटी बिज़नेस स्कूल एमेटी यूनिवर्सिटी.-एसपी-एसटी		315600		-	
अमृत विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय. कोयंबटूर-एसपी.एसटी.		240000		-	
अमृत विश्व विद्यापीठम(विश्वविद्यालय) एसपी. एसटी. तमिलनाडु		463050		463050	
आंध्र लोयला इंस्टिट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एपी-एसपी.एसटी		419580		-	
अंजनेया सेवा समिति राजस्थान-वि. अध्य.		-		134190	
एसोसिएशन फार डेवेल्पमेंट एंड रिसर्च(ए.डी.ए.आर.ए.एस.)		135000		135000	
आस्था महिला विकास एवं पर्यावरण कोटा- वि. अध्य.		164430		164430	
भारतीदसन यूनिवर्सिटी कालेज - वि. अध्य.		171360		171360	
भारतीय इंस्टिट्यूट ऑफ़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट-एसपी.एसटी		421470		-	
बोमोनग्राम रेशन खादी प्रतिष्ठान - वि. अध्य.		-		142380	
सेंटर फार वूमेन स्टडीज़, असम - वि. अध्य.		141120		141120	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान - वि. अध्य.		347760		347760	
सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्री. डेवलपमेंट-चंडीगढ़ एस		300000		-	
सेंटर फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट स्टडीज-एसपी.एसटी		206700		206700	
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, वसंत कुंज, दिल्ली-वि. अध्य.		-		85470	
सेंटर फॉर दि स्टीज ऑफ सोशल		297600		-	
सेंटर ऑफ स्टडीज़ फॉर कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ वीकर		101400		101400	
चैतन्य मोहन कोठी, गया (बिहार)		58800		58800	
छायादीप समिति, ग्राम राजखेता, छत्तीसगढ़-एसपी एसटी		158760		158760	
क्रिस्चियन एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट, केरल एसपी एसटी		294210		-	
धनवंतरी मेंटली रिटार्डिड एंड ड्रग एडिक्टर्स (वि.अध्य.)		-		220710	
धारा, झारखंड - वि.अध्य.		-		49980	
धर्मगिरी जीवास सोशल सेंटर केरल- एसपी एसटी		468600		-	
इनवायरोनिक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली - वि.अध्य.		109200		109200	
फोरम फॉर फैक्ट फाइंडिंग डाक्यूमेंटेशन एंड एडवोकेसी- वि.अध्य.		140730		140730	
गोविन्द बल्लभ पन्त सोशल साइंस. इंस्टिट्यूट यूपी- एसपीएसटी		378000		-	
गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्याल - वि.अध्य.		225540		225540	
ज्ञानोदय फाउंडेशन इठर्वा, बिहार-वि.अध्य.		68040		68040	
हरयाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट जाकिर नगर दिल्ली-एसपी		367950		-	
एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय - वि.अध्य.		45045		45045	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी दिल्ली-एसपी. एसटी	275400		-	
भारती वैज्ञानिक अनुसंधान एवं. विकास परिषद - वि. अध्य.	65100		65100	
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ दलित स्टडीज दिल्ली-एसपी.एसटी	300000		-	
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली-वि.अध्य.	-		1232460	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पश्चिमी बंगाल-वि.अध्य.	64050		64050	
इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट दिल्ली-एसपी.एसटी	310800		-	
इंस्टिट्यूट फॉर जेप्पिआर इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई-एसपी.एसटी	384600		-	
आर्थिक विकास मानिटरिंग संस्थान, केरल-वि.अध्य.	164430		164430	
जबाला एक्शन रिसर्च आर्गेनाइज़ेशन	48615		48615	
जन कल्याण परिषद, छत्तीसगढ़ - वि.अध्य.	133560		133560	
जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी (सीएसआरडी) एसपी.एसटी.	524160		-	
कलास्लिंगम यूनिवर्सिटी आनंद नगर तमिलनाडु एसपी.एसटी	541800		-	
कल्याणी रूरल डेवेल्पमेंट फाउंडेशन, अजमेर- वि. अध्य.	-		48720	
केरल महिला आयोग - वि. अध्य.	493237		1479712	
के.इ.सोसाइटीज राजारामबापू इंस्टी.ऑफ़ टेक्नो. महार एसपीएसटी	120000		-	
लीगल सर्विसेज़, अपोलो अस्पताल के पास, दिल्ली	65200		65200	
लियाकत अली खान	40000		40000	
लोक सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश - वि. अध्य.	-		46620	
मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विभाग, तमिलनाडु, वि.	360000		-	
महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी. रोहतक-एसपी.एसटी.	430140		-	
मासूम सोसाइटी फॉर सोशल साइंस (वि.अध्य.)	38600		38600	
मथुरा कृष्ण फाउंडेशन, बिहार	41200		41200	
मदर्स एल.ए.पी. पूर्त संगठन (वि.अध्य.)	15000		15000	
मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, तमिलनाडु - वि.अध्य.	-		134820	
मदर टेरेसा ग्रामीण विकास सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश	108360		108360	
सुश्री शीला चौधरी	49200		49200	
नवकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर डेवेल्पमेंट स्टडीज़	40000		40000	
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, कर्नाटक	123788		123788	
नैशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बांगी - वि.अध्य.	615636		615636	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली-वि.अध्य.	590940		590940	
नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज़ - वि.अध्य.	-		41160	
नव राजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च (वि.अध्य.) राजस्थान	-		119700	
पश्चिम बंगा युवा कल्याण मंच, कोलकाता	38640		38640	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
पेरियार यूनिवर्सिटी डिपार्ट. ऑफ़ सोशियोलॉजी तमिलनाडु एसपी	240000		-	
फगवाड़ा एनवायरमेंट एसोसिएशन, पंजाब-वि.अध्य.	119700		119700	
प्रिंसीपल जेपियर इंजीनियरिंग कालेज, चेन्नई - वि. अध्य.	171600		171600	
प्रिंसीपल यूनिवर्सिटी कालेज, केरल-वि.अध्य.	-		115920	
प्रो. विजयलक्ष्मी, निदेशक, यू.जी.सी. सेंटर, उदयपुर	42600		42600	
रजिस्ट्रार सैंटर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात- वि.अध्य.	64260		192780	
रजिस्ट्रार, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय - वि.अध्य.	158550		475650	
रजिस्ट्रार, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सेशल साइंस(टी.आई.एस.एस.)-वि.अध्य.	-		615780	
रजिस्ट्रार, मद्रास यूनिवर्सिटी-वि. अध्य.	-		140580	
रिसर्च इंस्टिट्यूट राजगिरी कॉलेज ऑफ़ सोशल साइंस. एसपीएसटी	306000		-	
रूरल डेवेल्पमेंट एंड वैल्फेयर सोसाइटी, राजस्थान - वि. अध्य.	-		115930	
रूरल एजूकेशन वर्किंग सोसाइटी, तमिलनाडु	178290		178290	
रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून एसपी. एसटी.	393750		-	
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इम्प्रूवमेंट, वि.अध्य.	128520		128520	
सेक्रेड हार्ट कॉलेज सोसाइटी तमिलनाडु- एसपी. एसटी	249000		-	
साहस ब्रदरहुड अपलिफ्टिंग हिमाचल प्रदेश - वि.अध्य.	-		56280	
सामाजिक न्याय संस्था, दिल्ली-वि.अध्य	166635		217665	
सार्थक, शक्रपुर - वि.अध्य.	-		-	
स्कूल ऑफ कम्यूनिकेशन, मनीपाल यूनिवर्सिटी - वि.अध्य.	48258		144774	
शिव चरण माथुर सोशल पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट	-		51450	
श्रीनिवास बहु उद्देश्य संस्थान, महाराष्ट्र, वि.अध्य.	196245		196245	
सिचुएशलन एनालाइसिस ऑफ होमलेस वूमेन	150000		150000	
सोसाइटी फॉर सोशल ट्रांसपोरमेशन एपी-एसपी.एसटी	310800		-	
सोसाइटी फार यूनिवर्सिटी वेलफेयर, जयपुर, वि.अध्य.	50820		50820	
सोना कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु- एसपी.एसटी.	239400		-	
साउथ विहार वेलफेयर सोसाइटी फॉर ट्राइबल- वि. अध्य.	211680		211680	
श्री सरस्वती त्यागराज कॉलेज-एसपी.एसपी.	799650		-	
सूरज संसथान जयपुर- एसपी. एसटी.	300000		-	
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़(टी.आई.एस.एस.) वि.अध्य.	2084040		1831540	
द एसोसिएशन फॉर डेवेल्पमेंट इनिशिएटिव, दिल्ली(वि.अध्य.)	47460		47460	
थैंडरल मूवमेंट, तमिनलाडु - वि.अध्य.	59640		59640	
यूनाइटेड ट्रस्ट पी.टी.आर. नगर, तमिलनाडु - वि.अध्य.	-		48040	
यूनिवर्सिटी ऑफ़ कश्मीर जे.एंड के.- एसपी. एसटी	352800		-	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
उत्कल विश्वविद्यालय, ओडिशा-वि.अध्य.		544950		544950	
वूमेन स्टडीज़ रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी, कोलकाता, वि.अध्य.		86730		86730	
वूमेन स्टडीज़ एंड डेवेल्पमेंट, कोची		116400		116400	
राष्ट्रीय महिला आयोग की नेटवर्किंग	ख	**195000**		**1,95,000.00**	
गुजरात राज्य महिला आयोग - नेटवर्किंग		75000		75000	
असम राज्य महिला आयोग		120000		120000	
राज्य महिला आयोग, सिकंदराबाद, आन्ध्रप्रदेश - नेटवर्किंग		-		-	
न्यायिक एवं पुलिस पदाधिकारियों का क्षमता-निर्माण	ग	**7,41,329**		**10,15,734**	
ए.सी.पी./मुख्यालय/डी.डी.ओ., एस.पी.यू.डब्ल्यू.सी.- क्षमता निर्माण		112140		112140	
सहायक निदेशक शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी जे.एंड के.		55000		-	
सेंटर फॉर सोशल डिफेंस एंड जेंडर - क्षमता निर्माण		152869		152869	
पुलिस महानिदेशक(प्रशिक्षण), तमिलनाडु -क्षमता निर्माण		-		150000	
निदेशक, पुलिस अकादमी, मुरादाबाद - क्षमता निर्माण		56700		56700	
पुलिस महानिरीक्षक(प्रशिक्षण) एवं निदेशक, राजा बहादुर वेंकट रमन	हैदराबाद	150000		150000	
महाराष्ट्र राज्य आयोग - क्षमता निर्माण		63000		63000	
महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक - क्षमता निर्माण		-		150000	
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दारोह, हिमाचल प्रदेश- क्षमता निर्माण		-		29405	
प्रिंसीपल, के.टी.डी.एस. पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, त्रिपुरा		21000		21000	
राजा बहादुर वेंकट रामा रेड्डी आन्ध्र प्रदेश पुलिस - क्षमता निर्माण		42000		42000	
निदेशक, हरियाणा पुलिस अकादमी - क्षमता निर्माण		88620		88620	
कानूनी जागरुकता कार्यक्रम	घ	**1,41,16,300**		**88,64,675**	
आकाश सेवा संस्थान, उदयपुर		30000		30000	
अभिजन उद्योग ग्रामीण विकास सोसाइटी, गुवाहाटी -एल.ए.पी.		23800		23800	
अभिनव विकास मंच, बिहार -एल.ए.पी.		50000		50000	
आदर्श, ओडिशा - एल.ए.पी.		-		30000	
आदर्श, ओडिशा - एल.ए.पी.		-		25000	
आगरा ग्रामीण विकास संघ -एल.ए.पी.		50000		50000	
एकतन संघ ग्राम एवं डाकघर दारा, पश्चिमी बंगाल		-		15000	
अलगप्पा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु -एल.ए.पी.		-		50000	
अल-मदीना मुस्लिम एजुकेशन, आन्ध्र प्रदेश -एल.ए.पी.		-		75000	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
अमन ग्राम उद्योग समिति, हरियाणा	-		15000	
आनन्द स्वरूप बहुद्देश्यीय सेवाभावी -एल.ए.पी.	-		50000	
आन्ध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी.	500000		-	
अंकुर सामाजिक सेवाभावी संस्था - महाराष्ट्र -एल.ए.पी.	50000		50000	
अन्नामलई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु -एल.ए.पी.	-		50000	
अन्नपूर्णा जन विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश -एल.ए.पी.	-		50000	
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति -एल.ए.पी.	-		30000	
एराइज़, राजामंद्री, आन्ध्र प्रदेश-एल.ए.पी.	50000		50000	
आशा विकास संस्थान, उदयपुर	30000		30000	
महिला ग्रामीण विकास संघ, ओडिशा	-		15000	
अस्तित्व बाबू उद्देश्य मानव उत्थान संस्थान	-		15000	
बाल निकेतन शिक्षा समिति, उत्तर प्रदेश (एल.ए.पी.)	-		15000	
बाल विकास एजूकेशन सोसाइटी, फरीदाबाद - एल.ए.पी.	-		30000	
बेनोदिनी सेंटर फॉर अर्बन एंड रूरल डेवेल्पमेंट, पश्चिमी बंगाल	-		15000	
भारत उदय संस्थान, राजस्थान -एल.ए.पी.	50000		50000	
भारतीय ध्यानवर्धनी लोक विकास, महाराष्ट्र - एल.ए.पी.	15000		15000	
भारतीय शिक्षा प्रसार संस्थान - एल.ए.पी.	-		25000	
बिहार राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.	400000		-	
बृजराम स्वैन महिला समिति, ओडिशा	-		15000	
बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, हरियाणा-एल.ए.पी.	-		50000	
सेंटर फॉर एक्शन आन डिसेबल्ड राइट्स, आन्ध्र प्रदेश -एल.ए.पी.	-		15000	
पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय -एल.ए.पी.	-		150000	
सेंटर फॉर पर्सनल लाज़, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-एल.ए.पी.	-		50000	
चांदीपुर ग्रामीण विकास, पश्चिमी बंगाल-एल.ए.पी.	-		50000	
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग	680000		530000	
छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड -एल.ए.पी.	-		600000	
क्राफ्ट्स एंड सोशल डेवेल्पमेंट आर्गेनाइजेशन, त्रिनगर -एल.ए.पी.	-		30000	
कल्चरल एक्शन फॉर रूरल डेवेल्पमेंट, कर्नाटक -एल.ए.पी.	50000		50000	
दलित महिला रचनात्मक परिषद्, अहमदाबाद, गुजरात	15000		15000	
महिला अध्ययन विभाग, गोआ विश्वविद्यालय -एल.ए.पी.	-		50000	
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोलकाता पश्चिमी बंगाल -एल.ए.पी.	-		50000	
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण -एल.ए.पी.	50000		50000	
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुर्शिदाबाद, पश्चिमी बंगाल	-		50000	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर-एल.ए.पी.	-		50000	
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर, पश्चिमी बंगाल	-		15000	
जिला महिला एवं बाल विकास एजेन्सी आन्ध्र प्रदेश -एल.ए.पी.	-		50000	
ईस्ट मग्रहात अकातल बाल -एल.ए.पी.	-		45000	
फैकलटी आफ ला, जामिया मिलिया इस्लामिया -एल.ए.पी.	-		250000	
गांधी सेवा संस्थान, छत्तीसगढ	15000		15000	
गोवा राज्य आयोग- एल.ए.पी.	300000		-	
गोल्डन फ्यूचर फाउंडेशन, हरियाणा	-		15000	
ग्रामीण जन कल्याण सेवा समिति उत्तर प्रदेश -एल.ए.पी.	-		30000	
ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा -एल.ए.पी.	-		15000	
ग्रामीण युवा विकास मंडल, हरियाणा	-		15000	
ग्रामोधार कल्याण समिति, बिहार (एल.ए.पी.)	-		15000	
ग्रामोद्योग आश्रम, बिहार	15000		15000	
ग्राम सुधार समिति, हरियाणा	-		15000	
गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय -एल.ए.पी.	-		150000	
गुजरात राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी.	250000		250000	
गुरुभक्ति शैक्षणिक एवं सेवाभावी - एल.ए. पी.	-		15000	
ज्ञान दर्शन अकादमी, उत्तर प्रदेश	-		15000	
हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान, बिहार -एल.ए.पी.	-		15000	
हरि श्री, नई दिल्ली -एल.ए.पी.	50000		50000	
हरियाणा राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.	800000		-	
हैल्प एम इंडिया संस्थान, राजस्थान -एल.ए.पी.	-		50000	
हैल्पफुल सोसाइटी, दिल्ली -एल.ए.पी.	50000		50000	
हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.	500000		-	
भारतीय अल्पसंख्यक युवा संघ, उत्तर प्रदेश	-		15000	
इंडियन सोसाइटी, उदयपुर	-		15000	
इंदिरा विकास महिला मंडली, आन्ध्र प्रदेश	-		10000	
इंस्टीट्यूट आफ सोशल वैल्फेयर एक्शन, गुजरात (एल.ए.पी.)	-		15000	
जम्मू और कश्मीर राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.	1150000		-	
जमशेदपुर महिला कालेज, झारखंड -एल.ए.पी.	-		50000	
जन हितेशिनी कल्याण समिति, उत्तराखंड -एल.ए.पी.	-		45000	
जन सेवा समिति, रोहतक, हरियाणा -एल.ए.पी.	-		15000	
झारखंड राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी.	300000		-	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
जीवन ज्योति समित, हरियाणा - एल.ए.पी.	-		15000	
जम्मू और कश्मीर राज्य महिला आयोग, श्रीनगर	500000		-	
ज्वाइंट वूमन्स प्रोग्राम, नई दिल्ली	30000		30000	
कादम्बिनी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा, एमपी - एल.ए.पी.	-		15000	
कर्नाटक महाविद्यालय - एल.ए.पी.	-		50000	
केरल महिला आयोग- एल.ए.पी.	250000		-	
लेडी दोअक कॉलेज कटी विकोक्स एजुकेशन तमिलनाडु - एल.ए.पी.	-		42,875	
लेकसिटी मूवमेंट सोसाइटी, राजस्थान	30000		45000	
लक्ष्य एजुकेशन, आर्ट & कल्चरल सोसाइटी, हरियाणा	-		15000	
माँ द्रौपदई जनसेवा समिति, उत्तर प्रदेश	-		15000	
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल	2000000		-	
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, एल.ए.पी.	500000		-	
मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी - एल.ए.पी.	50000		50000	
महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण - एल.ए.पी.	150000		150000	
महात्मा साईंराम प्रतिष्ठान महाराष्ट्र - एल.ए.पी.	-		25000	
महावीर शिक्षा समिति - एल.ए.पी.	-		-	
महिला जागरूकता शिक्षा एवं कल्याण समिति, बिलासपुर	-		15000	
महिला कल्याण एवं विद्या विकास समिति, कानपुर	-		25000	
महिला उद्योग केंद्र परमेश्वर भवन, बिहार - एल.ए.पी.	-		15000	
मालाबपूर पीपल रूरल डेवल्पमेंट सोसाइटी, पश्चिम बंगाल	30000		30000	
मानव कल्याण एवं सुरक्षा समिति, हरियाणा - एल.ए.पी.	15000		15000	
मानव कल्याण समिति, अल्मोड़ा (एल.ए.पी.)	-		30000	
मानव कल्याण संस्थान, देहरादून	30000		30000	
मंगल शांति महिला विकास चैरिटेबल, गुजरात - एल.ए.पी.	-		25000	
मनोंमनियम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु - एल.ए.पी.	-		47500	
मरुधारा संस्थान जयपुर - एल.ए.पी.	250000		250000	
मातृ दर्शन शिक्षा समिति, बांसवाड़ा	15000		15000	
मातृ दर्शन शिक्षा समिति, उदयपुर	15000		15000	
मौलासाईं सेवाभावी संस्थान, महाराष्ट्र	-		15000	
माडर्न शिक्षा विकास समिति	-		15000	
मदरली एसासिएशन फॉर सोशल सर्विसेज (मास) - एल.ए.पी.	-		15000	
मदर सोसाइटी (मिरेकल आर्गेनाइजेशन) आं.प्र. - एल.ए.पी.	-		-	
मुक्त भारती शिक्षा समिति राजस्थान - एल.ए.पी.	50000		50000	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
नबीन संघ, पश्चिमी बंगाल - एल.ए.पी.	-		30000	
नालंदा एजुकेशनल सोसाइटी, हरियाणा- एल.ए.पी.	-		15000	
नेशनल यूथ एसोसिएशन, असम	-		40000	
नेटिव एजुकेशन एंड एम्पलायमेंट डेवेल्पमेंट सोसाइटी, म.प्र.	-		15000	
नैचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड रिसोर्स	-		15000	
नवदागर छत्तीसगढ़ - एल.ए.पी.	50000		50000	
न्यू एज फाउण्डेशन, वाराणसी	-		15000	
न्यू लाइफ क्लब, ओडिशा	-		15000	
एन. जे.मार्था विद्या प्रसारक समाज, गुजरात - एल.ए.पी.	-		25000	
ओएसिस फाउण्डेशन, तमिलनाडु	-		10000	
ओडिशा राज्य महिला आयोग	2,50,000.00		50000	
पेस अकादमी, महाराष्ट्र - एल.ए.पी.	-		50000	
प्रभात सागर ज्ञान विकास संस्थान, राजस्थान - एल.ए.पी.	-		30000	
पर्वतीय महिला विकास समिति, उत्तराखंड - एल.ए.पी.	-		15000	
पीपल वॉलेंटरी इंटेगरल सर्विस आर्गेनाइजेशन - एल.ए.पी.	-		15000	
पेरियार विश्वविद्यालय पल्कलाई नगर तमिलनाडु - एल.ए.पी.	-		250000	
स्नातकोत्तर विधि विभाग, बेरहामपुर विश्विद्यालय. ओडिशा-एल.ए.पी.	-		50000	
प्रगति महिला बहूद्देशीय, महाराष्ट्र - एल.ए.पी.	25000		25000	
प्रधानाचार्य गवर्नमेंट स्नातकोत्तर महाविद्यालय म.प्र. - एल.ए.पी.	-		250000	
पब्लिक हैथ एंड मैडिकल टैक्नॉलोजी, दिल्ली - एल.ए.पी.	15000		15000	
पंजाब राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.	600000		-	
पूर्वांचल विकास समिति (एल.ए.पी.)	-		25000	
पुष्पा केकाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट	15000		15000	
राछेरी जनता विकास ग्राम उद्योग समिति, हरियाणा	12500		12500	
राजपुर ग्राम विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान - एल.ए.पी.	100000		100000	
राजस्थान राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.	200000		-	
राना जैविक ग्रामीण एवं कृषि सेवा समिति, उत्तराखंड	-		25000	
राष्ट्रीय सदभाव सेवा समिति, हरियाणा - एल.ए.पी.	-		125000	
रूरल डेवेल्पमेंट ट्रस्ट तमिलनाडु - एल.ए.पी.	25000		25000	
रूरल डेवेल्पमेंट एंड वैल्फेयर सोसाइटी, राजस्थान	-		30000	
रूरल आर्गेनाईजेशन फॉर पावर्टी एराडीकेशन, ओडिशा	15000		15000	
समाज कल्याण समिति, हरियाणा - एल.ए.पी.	-		15000	
समाज संस्थान एंड सर्वांगीण विकास संस्थान, महाराष्ट्र	-		9000	
समाज उत्थान समिति, उ.प्र.	-		13250	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
समता सेवा संस्थान, उदयपुर	-		30000	
सर्वांगीण उन्नयन समिति, असम	20000		20000	
सेवेज (सोसाइटी ऑन एक्शन विलेज एजूकेशन), आं.प्र.(एल.ए.पी.)	-		15000	
सेवाहार (सोसाइटी फॉर एजूकेशन, वेलफेयर एण्ड हैल्थ), हरियाणा	-		15000	
शेयर एजुकेशन रूरल अमंग पीपल्स तमिलनाडु - एल.ए.पी.	-		50000	
शिव जन जागृति शिक्षा समिति, हरियाणा - एल.ए.पी.	-		15000	
शिव शंकर सेवा संस्थान, राजस्थान- एल.ए.पी.	50000		50000	
श्री सिद्ध देव ग्रामोद्योग संस्थान - एल.ए.पी.	-		25000	
श्री बानशंकरी महिला मंडल - एल.ए.पी.	-		25000	
श्री हरि कृष्ण शिक्षा सेवा समिति, अलवर	15000		15000	
श्री लक्ष्मी नरायण बद्री विशाल - एल.ए.पी.	-		30000	
श्री लक्ष्मी रूरल डेवेल्पमेंट एण्ड एजूकेशनल सोसाइटी, आं.प्र.- एल.ए.पी.	15000		15000	
श्री नारायण एवं विकास संस्थान - एल.ए.पी.	-		50000	
श्री राधा कृष्णा सेवा समिति - एल.ए.पी.	50000		50000	
श्री राजीव गांधी मेमोरियल पब्लिक संस्थान, राजस्थान	-		45000	
श्याम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उ.प्र.	-		15000	
सृजन महिला विकास मंच, झारखण्ड	-		15000	
श्रीमती सुशीला देवी एजूकेशनल सोसाइटी, नई दिल्ली	-		30000	
स्नेगम मल्टी सोशल एक्शन मूवमेंट, तमिलनाडु	-		10000	
सोशल एक्शन नेटवर्क ग्रुप, उ.प्र.	-		15000	
सोसाइटी फॉर नरचरिंग एजूकेशन हैल्थ, आं.प्र. - एल.ए.पी.	-		30000	
सोसवा ट्रेनिंग एंड प्रोमोशन, पुणे - एल.ए.पी.	50000		50000	
श्रीगुरू अयप्पास्वामी एजूकेशनल ट्रस्ट कर्नाटक - एल.ए.पी.	-		50000	
श्री कृष्णा शिक्षा प्रसार समिति, म.प्र.	15000		15000	
श्री स्वामी धरनीधर सेवा संस्था उ.प्र. - एल.ए.पी.	-		50000	
स्टेयर्स, उ. प्र. - एल.ए.पी.	-		75750	
सुरेश शर्मा फाउण्डेशन, राजस्थान - एल.ए.पी.	100000		100000	
सस्टेनेबल रिसर्च एण्ड डेवेल्पमेंट सेंटर, महाराष्ट्र - एल.ए.पी.	-		50000	
एस. वी. एस. संस्थान, राजस्थान	-		15000	
स्वालंबी ग्रामोद्योग एवं जन चेतना विकास संस्थान, आर	-		15000	
तमिलनाडु राज्य आयोग - एल.ए.पी.	800000		200000	
टी.ए.वी. एजुकेशन एंड रूरल डेवेल्पमेंट तमिलनाडु - एल.ए.पी.	-		50000	
तेलंगाना राज्य महिला आयोग - एल.ए.पी.	800000		500000	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
सोसाइटी फॉर वूमन एंड चाईल्ड डेवेल्पमेंट एंड सर्विसेस, दिल्ली		30000		30000	
थिरूमंगई चैरिटेबल ट्रस्ट, तमिलनाडु - एल.ए.पी.		-		15000	
तुलसी ग्रामोद्योग सेवा समिति, उ.प्र.		-		25000	
उम्मीद समिति, राजस्थान - एल.ए.पी.		-		30000	
यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली फैकल्टी ऑफ़ लॉ - एल.ए.पी.		100000		100000	
उत्कर्ष महिला एवं बाल कल्याण म.प्र., (एल.ए.पी.)		-		15000	
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग - एल.ए.पी.		525000		175000	
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयो- एल.ए.पी.		700000		-	
विद्या भूषण युवक मंडल - एल.ए.पी.		75000		75000	
विज्ञान शिक्षा केन्द्र, हरियाणा		30000		30000	
विकास ग्रामोद्योग मंडल, सोनीपत, हरियाणा		-		30000	
विश्व भारती विश्वविद्यालय, प.बं. - एल.ए.पी.		-		150000	
यमुना संस्था, राजस्थान - एल.ए.पी.		-		30000	
युवा संघर्ष समिति, हरियाणा (एल.ए.पी.)		45000		45000	
युवा खेल समिति, हरियाणा- एल.ए.पी.		-		15000	
<u>विधिक जागरूकता कार्यक्रम - पूर्वोत्तर क्षेत्र</u>	ङ	**52,06,500**		**53,91,500**	
अबू ट्रेनिंग सोशियो - इकोनोमिक डेवेल्पमेंट सोसाइटी		-		30000	
अमतसारा, शिलांग एल.ए.पी. एनईआर		330000		550000	
अरूणाचल राज्य महिला आयोग (एल.ए.पी. एन.ई.आर.)		300000		600000	
असम राज्य महिला आयोग, उझानबाजार एल.ए.पी.		780000		440000	
असम विश्वविद्यालय - एल.ए.पी.		-		180000	
दीरा गांव वन प्रबंधन, अरूणाचल प्रदेश		20000		20000	
जिला समाज कल्याण कार्यालय, असम		56500		56500	
ड्रीम्स असम		-		20000	
हयांग मेमोरियल एग्रो इण्डस्ट्री एण्ड एजूकेशन - अ.प्र.-एल.ए.पी.		-		40000	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मणिपुर - एल.ए.पी.		-		180000	
इत्तेहाद सोशिओ - कल्चरल ऑर्गनाइजेशन, असम		20000		20000	
जैज़ी, गुवाहाटी, असम		-		20000	
ज्योतिमय फाउण्डेशन, असम एल.ए.पी. एनईआर		-		20000	
खोमीदोक मुस्लिम महिला कल्याण सोसाइटी, मणिपुर		-		20000	
कोनवार चतिया सेनशनि महिला समिति, असम		-		40000	
लाइट ऑफ विलेज, गुवाहाटी, असम		-		20000	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
लांगमई मल्टी - परपज एसोसिएशन, मणिपुर - एल.ए.पी.		-		20000	
मणिपुर राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.		300000		-	
मसकोट्टे डेवेल्पमेंट सोसाइटी, नागालैंड - एल.ए.पी. एनईआर		-		60000	
मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग, एनईआर		540000		300000	
मेरिट एजूकेशनल सोसाइटी, असम		-		20000	
मिजोरम राज्य महिला आयोग- एनईआर एल.ए.पी.		780000		-	
नागालैंड राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी. एनईआर		300000		660000	
नन्दिनी वेल्फेयर सोसाइटी, असम - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र		30000		30000	
नयन मणी प्रगति संघ, असम		-		15000	
एनआईएमएस एजूकेशनल एण्ड सोशल एसोसिएशन, असम (एल.ए.पी.)		-		40000	
नार्थ - ईस्ट ब्राइट सोसाइटी, असम		-		40000	
नार्थ - ईस्ट पीपल राइट, असम		-		20000	
फाकुन हरमोती गांव श्रीमाता संकर, असम एनईआर		40000		40000	
प्रयास, असम		-		40000	
प्रोग्रेसिव डेवेल्पमेंट ऑर्गेनाइजेशन, असम - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र		-		20000	
रेडको फाउण्डेशन, मणिपुर - एल.ए.पी.		-		40000	
रजिस्ट्रार मणिपुर विश्वविद्यालय. जिला इम्फाल - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र		-		360000	
रोटरी क्लब, शिलांग - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एल)		510000		510000	
रूरल एरिया सर्वोदया प्रोलेटरिएट - मणिपुर - एल.ए.पी.		120000		120000	
सेल्फ इम्पलॉयड ट्राइबल एण्ड बैकवईस वूमेन्स - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र		-		20000	
सिक्किम राज्य महिला आयोग - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र		540000		-	
सन क्लब, असम इनईआर		-		20000	
द एसोसिएशन फॉर डेवेल्पमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, मणिपुर		-		20000	
द संगीत नाट्य, मणिपुर - एल.ए.पी. एनईआर		60000		60000	
त्रिपुरा महिला आयोग अगरतला (एनईआर) एल.ए.पी.		480000		600000	
यूनाईटेड प्रोग्रेसिव सोसाइटी, असम - एल.ए.पी. एनईआर		-		60000	
वेलफेयर ऑफ आल हेपाह, असम (एलपीए)		-		20000	
<u>पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए)</u>	(च)	**1,65,000**		**6,75,000**	
अहर्निश सेवा संस्थान, देवरिया, उ.प्र. (पीएमएलए)		-		60000	
आशा महिला जनकल्याण प्रतिष्ठान - एल.ए.पी.		-		30000	
दलित उत्थान राष्ट्रीय गर्ल्स समिति, उ.प्र. - पीएमएलए		30000		30000	
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हरियाणा		-		150000	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
इस्लामिया मकतब प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, उ.प्र.		-		15000	
जन समाधान सेवा संस्थान, उ.प्र. - पीएमएलए		30000		30000	
क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास समिति - पीएमएलए		-		30000	
मानव कल्याण समिति - पीएमएलए		-		30000	
नरेन्द्र देव एजूकेशनल स्कूल, महाराष्ट्र		15000		15000	
प्रतिभा, उ.प्र. - पीएमएलए		90000		90000	
सहारा समिति (पीएमएलए), उ.प्र.		-		15000	
श्री मीरा सरस्वती शिक्षा समिति - पीएमएलए		-		30000	
द वूमेन्स वैल्फेयर सोसाइटी, कर्नाटक (पीएमएलए)		-		30000	
यशवंत सेवाभावी बहुउद्देशीय, लातूर - पीएमएलए		-		60000	
युवा चेतना समाज कल्याण समिति, दिल्ली (पीएमएलए)		-		45000	
जैन सोशल वेलफेयर सोसाइटी, लखनऊ, उ.प्र.		-		15000	
राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठियां और सम्मेलन	**(छ)**	**1,20,000**		**2,70,000**	
गांधी स्मारक ग्राम सेवा, केरल - एस/सी		-		90000	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर - एस/सी एनएल		-		60000	
रजिस्ट्रार, जामिया मिलिया इस्लामिया - एस/सी		90000		90000	
सोसाइटी फॉर कम्युनिटी एक्शन आं.प्र. - एस/सी एनएल		30000		30000	
संगोष्ठियां एवं सम्मेलन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	**(ज)**	**6,48,250**		**10,37,950**	
एक्शन फॉर वूमेन एंड रूरल डेवेल्पमेंट मणिपुर - एस/सी		-		145200	
अखण्ड, त्रिपुरा - एनईआर एस/सी		-		30000	
महिला अध्ययन केंद्र, असम		30000		30000	
राजनीति विज्ञान विभाग डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय		30000		30000	
डेवेल्पमेंट नेटवर्किंग एजेंसी, मणिपुर - एस/सी एनईआर		30000		30000	
डेवेल्पमेंट ऑफ रूरल एजुकेशन एंड स्पोर्टिंग - एस/सी एनईआर		-		36000	
दुकुतिया चैरिटेबल ट्रस्ट, बीटीएडी		-		30000	
फाउण्डेशन फॉर सोशल डेवल्पमेंट ऑर्गेनाइजेशन इम्फाल, मणिपुर		-		30000	
ग्रासरूट, मेघालय - एस/सी		-		20000	
हयांग मेमोरियल एग्रो इण्डस्ट्री एण्ड एजूकेशन, ए.पी.एस/सी एनईआर		30000		30000	
ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स आर्गेनाईजेशन मणिपुर-एस./सी.		-		65750	
ईश्वरम्भा समिति संघ - एस/सी एनईआर		30000		30000	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
मणिपुर राज्य महिला आयोग		90500		-	
मेघालय राज्य महिला आयोग - एस/सी		36000		36000	
न्यू इंटीग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट एजेंसी (एस/सी)		30000		30000	
न्यू विज़न क्रिएटिव सोसाइटी विलेज एंड पोस्ट एरा.असम		30000		30000	
नार्थ-ईस्टर्न डेवलपमेंट कौंसिल फॉर ह्यूमन असम एस/		-		90000	
नार्थ-ईस्ट इंडिया सेंटर फॉर मास कम्यूनिकेशन-- एस/सी एन		-		-	
नार्थ ईस्ट नेटवर्क, असम - एस/सी एनईआर		135000		135000	
पराडा, मणिपुर		30000		30000	
रूरल वीमेन अपलिफ्टमेन एसोसिएशन, असम		61000		-	
सोशल फॉर ह्यूमन वेल्फेयर एंड एजूकेशन मणिपुर - एस/सी एनईआर		-		150000	
साउथ एशिया बम्बू फाउंडेशन - एस/सी एनईआर		30000		30000	
त्रिपुरा राज्य महिला आयोग		55750		-	
क्षेत्रीय स्तर की संगोष्ठियां / सम्मेलन	*(झ)*	**1,20,000**		**2,10,000**	
अखिल भारतीय सामाजिक न्याय सोसाइटी- एस/सी		-		90000	
नव भारत ग्रामीण एवं शिक्षा सोसाइटी ए.पी. - एस/सी		60000		60000	
श्री राजे शिव क्षत्रपति महाराष्ट्र - एस/सी आर		60000		60000	
संगोष्ठियां सम्मेलन - राज्य स्तरीय	**(ञ)**	**2,10,000**		**6,30,000**	
ए.आर. फाउंडेशन आन्ध्र प्रदेश -एस/सी		30000		30000	
बंकुरा मानस सोशल वैल्फेयर सोसाइटी, पश्चिमी बंगाल-एस/सी		30000		30000	
बरबेरिया चेतना सत्संग, पश्चिमी बंगाल -एस/सी		30000		30000	
जय किसान शिक्षण प्रसारक मंडल-एस/सी		-		30000	
जन कल्याण समाज सेवा ट्रस्ट-एस/सी		-		30000	
कमला नेहरू महाविद्यालय-एस/सी		30000		30000	
लोक सेवा संस्थान-एस/सी(राज्य स्तर)		30000		30000	
मानव विकास फाउंडेशन, दिल्ली-एस/सी		-		30000	
मातोश्री माइसाहेद अम्बेडकर ग्राम विकास-एस/सी		-		30000	
नोबल रिफार्मेशन इंटेग्रेशन सोसाइटी-एस/सी		-		30000	
रामेश्वर महादेव विकास संस्था-एस/सी		-		30000	
सांस्कृतिक सामाजिक समिति, उत्तर प्रदेश-एस/सी		-		60000	
सतविन्दर शिक्षा समिति-एस/सी एसएल		-		30000	
सावित्रीबाई फुले भाउ शिक्षण संस्थान-एस/सी एसएल		-		30000	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
श्री दर्पण पूर्त संस्थान - गुजरात-एस/सी		-		30000	
श्रीपद नवजीवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र-एस/सी एस.एल.		-		30000	
श्री राजीव गांधी स्मृति खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट-एस/सी		-		30000	
सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ प्रगति संस्थान, राजस्थान एस/सी		30000		30000	
स्वावलंबन, हिमाचल प्रदेश-एस/सी		30000		30000	
कमजोर वर्ग विकास सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी		-		30000	
अन्य संगोष्ठियां एवं सम्मेलन	ट	**1,54,47,826**		**2,11,60,669**	
ए.सी.पी./डी.डी.ओ./एस.पी.यू.डब्ल्यू.सी. नानकपुरा-एस/सी एक्स		375000		4379000	
एक्शनऐड एसोसिएशन दिल्ली- एस/सी		100000		-	
आदर्श, ओडिशा(एस/सी)		-		15000	
अधिकार ओडिशा-एस/सी		70100		-	
आदित्य नागराज चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्र-एस/सी		75000		-	
एकतन संघ, पश्चिमी बंगाल(एस/सी)		30000		30000	
अखिल भारतीय विकलांग सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश-एस/सी		-		30000	
अखिल मानव सेवा परिषद्-एस/सी		13950		13950	
अलगप्पा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु- एस/सी		87500		-	
अखिल भारतीय महिला संघ, दिल्ली-एस/सी		30000		30000	
आल ओडिशा मुस्लिम विमेंस वेलफेयर फाउंड- एस/सी		58000		-	
आल वीमेन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, तमिलनाडु- एस/सी		57000		-	
एमेटी लॉ स्कूल, उत्तर प्रदेश(एस/सी)		153750		153750	
अरुणोदय एजूकेशनल एंड रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी-एस/सी		29624		29624	
अन्नदाता, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी		-		73500	
अपेक्षा महिला एवं बाल विकास समिति उत्तर प्रदेश एस/सी		47600		-	
आरोग्य प्रबोधिनी महाराष्ट्र- एस/सी		75475		-	
आर्य महिला पी.जी. कालेज, वाराणसी -एस/सी		-		39675	
एसोसिएशन फॉर डेवेल्पमेंट एंड रिसर्च ओडिशा एस/सी		30000		30000	
अवध एजूकेशनल सोसाइटी, लखनऊ-एस/सी		30000		30000	
बलाप्पल्ली हरिजन अभिवरूधि संघम कर्तका- एस/सी		87500		-	
बनवाशी विकास आश्रम झारखंड-एस/सी		55750		-	
बशीरहट पथप्रदर्शक वैल्फेयर सोसीइटी-एस/सी		-		67000	
भागीदारी जन सहयोग समिति		30000		30000	
भारतियर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ़ वीमेन तमिलनाडु- एस/सी		88250		-	
भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान-एस/सी		-		150000	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
भारतीय स्त्री शक्ति, मुम्बई-एस/सी	-		173500	
भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश(एस/सी	15000		15000	
बिहंग वैल्फेयर एसोसिएशन, गाज़ियाबाद-एस/सी	97030		97030	
केलवारी मिनिस्ट्री कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	62975		-	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ राजस्थान -एस/सी	101250		-	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ तमिलनाडु -एस/सी	75000		-	
सेंटर फॉर सोशल आउटरीच करुणय यूनिवर्सिटी- एस/सी	99000		-	
सेंटर फार वूमेन स्टडीज़, दिल्ली-एस/सी	90000		90000	
छत्रपति शाहू महाराज बहुद्देशीय महाराष्ट्र-एस/सी	52125		-	
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग- एस/सी	375000		-	
महिला चेतना जागृति, दिल्ली-एस/सी	-		91000	
चेतनालय दिल्ली-एस/सी	51000		-	
छोटा नागपुर विकास मंच झारंखड एस/सी	62500		-	
कम्युनिटी रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीआरडीएस)तमिल एस/सी	62500		-	
डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस एसपीयूडब्ल्यू मालवीय नगर-एस/सी	4334600		-	
डेवेल्पिंग कंट्रीज़ रिसर्च सेंटर डी. यू.-एस/सी	90000		90000	
देव हरि जन कल्याण समिति यू.पी- एस/सी	87500		-	
धनवंधरी मेंटली रिटार्डेड ड्रग-एस/सी	-		30000	
निदेशक, माया फाउंडेशन, चंडीगढ़-एस/सी	90000		90000	
निदेशक, स्कूल ऑफ इंश्योरेंस स्टडीज़ नेशनल लॉ	-		142750	
डिवाइन टच दिल्ली-एस/सी	-		90000	
डा. बी.आर. अम्बेडकर रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी, कर्नाटक-एस/सी	134000		164000	
डा. हाहनेमन एजूकेशनल डेवेल्पमेंट, दिल्ली	-		30000	
दुआर्शनी श्रमिक संघ, ओडिशा	9000		9000	
एजूकेशनल एंड रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी, तमिलनाडु(एस/सी)	29000		29000	
एजूकेशनल एंड रूरल डेवेल्पमेंट, तमिलनाडु(एस/सी)	62500		-	
गंदारपुरकर श्री रामकृष्ण आश्रम, पश्चिमी बंगाल-एस.सी.	-		30000	
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोयडा-एस/सी	90000		90000	
गीत महिला समिति, उत्तर प्रदेश	-		15000	
जी.एच.जी. खालसा महिविद्यालय, लुधियाना-एस/सी	-		-	
ज्ञान सुधा एजूकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद	15000		15000	
ग्राम जीवन यूथ एसोसिएशन फॉर रूरल ए.पी. एस/सी	101250		-	
ग्रामीण महिला वेलफेयर फेडरेशन पंजाब- एस/सी	62500		-	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
ग्रामीण सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश-एस/सी	-		84750	
ग्रीन वर्ल्ड एजूकेशनल सोसाइटी	-		30000	
गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-एस/सी	45500		45500	
गुजरात राज्य महिला आयोग-एस/सी	60000		60000	
गुर्हत्ता महिला जन कल्याण संस्थान बिहार- एस/सी	72750		-	
हरशल ग्रामीण विकास बहु संस्थान महाराष्ट्र- एस/सी	87500		-	
स्वास्थ्य कृषि ग्रामीण विकास सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	-		100500	
हेलेना कौशिक महिला महाविद्यालय, झुंझुनु	90000		90000	
हेमनगर सुन्दरबन ड्रीम-एस/सी	-		9500	
हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी-एस/सी	146223		146223	
एच.एम.यू. हाशमी लॉ कालेज यू.पी- एस/सी	75000		-	
ह्यूमेन रिसोर्स एडवांसमेंट वैल्फेयर दिल्ली-एस/सी	30000		30000	
इंडियन ड्रीम्स फाउंडेशन यू.पी.-एस/सी	65500		-	
भारतीय युवा कल्याण संस्थान, महाराष्ट्र	15000		15000	
इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवेल्पमेंट फॉर वर्कर	30000		30000	
जलाना ग्रामीण विकास सोसाइटी, कर्नाटक-एस/सी	-		30000	
जामदा झारग्राम आदिबासी क्लब डब्ल्यू.बी.- एस/सी	55500		-	
जनकल्याण समिति ओडिशा-एस/सी	88750		-	
जन कल्याण कुटीर ग्रामोद्योग संस्था, (एस/सी)	-		30000	
जनकल्याण ओडिशा-एस/सी	-		30000	
जन कल्याण युवक संघ, ओडिशा	-		27540	
जन सेवा एवं शिक्षण संस्था-एस/सी	-		60000	
जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी - एस/सी	125000		-	
जीवन प्रकाश ट्रस्ट, गुजरात-एस/सी	30000		30000	
जेपियार इंजीनियरिंग कॉलेज तमिलनाडु- एस/सी	54250		-	
झारखंड राज्य आयोग-एस/सी	30000		30000	
जिग्नाशा सेवा संघ, गुजरात-एस/सी	-		59750	
जीजामाता बहुद्देश्य महिला, लातुर-एस/सी	-		30000	
ज्योतिश्री सेवा समिति बिहार एस/सी	62500		-	
कलिंगा सुसुम फाउंडेशन ओडिशा- एस/सी	52250		-	
कल्याणम, उत्तर प्रदेश-एस/सी	-		58750	
करुणामयी महिला मंडली -एस/सी	-		64565	
कौशिकी वैल्फेयर सोसाइटी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेस-एस/सी	56550		46700	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
केरल एजूकेशनल डेवेल्पमेंट एंड इम्पावरमेंट, केरल-एस/सी	-		30000	
क्रांति वैल्फेयर एसोसिएशन, कर्नाटक-एस/सी	60000		60000	
कृषि विकास एवं मानव कल्याण संसथान, यू.पी.- एस/सी	57600		-	
कृष्ण माला वेलफेयर फाउंडेशन, यू.पी.- एस/सी	104750		-	
कृषि महिला मंडली, नावा, आन्ध्र प्रदेश	30000		30000	
कुमार्शा रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी, पश्चिमी बंगाल	15000		15000	
लिर्बा कॉलेज ऑफ लॉ उत्तराखंड- एस/सी	75000		-	
लोकहितवादी सामाजिक व सांस्कृतिक क्रीड़ा-एस/सी	-		30000	
महिला सखी सहेली समिति, छत्तीसगढ़-एस/सी	-		30000	
मैत्रीबन सेवा संघ ओडिशा- एस/सी	50000		-	
मनस्वी शाहदरा- एस/सी	75000		-	
मानव सेवा कल्याण संस्थान एम.पी.-एस/सी	65000		-	
मंदाकिनी सांस्कृतिक एवं समाज कल्याण, भोपाल-एस/सी	77500		75000	
मणिपाल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स कर्नाटक एस/सी	72500		-	
माता मांती समाज सेवा संस्थान बिहार- एस/सी	49700		-	
माया फाउंडेशन, चंडीगढ़-एस/सी	30000		30000	
मदर टेरेसा रूरल एंड ट्राइबल ए.पी. एस/सी	83000		-	
नागरा भावी अर्बन एंड रूरल सर्विस(एन.बी. अर्बन)-एस/सी	-		30000	
नंदा इंजीनियरिंग कॉलेज इरोड तमिलनाडु- एस/सी	64000		-	
नेशनल चैरिटेबल वैल्फेयर सोसाइटी- उत्तर प्रदेस-एस/सी	-		30000	
नवजीवन ग्रामीण विकास सोसाइटी-आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	-		60000	
नव राजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च-एस/सी -जयपुर	-		30000	
एन.ए.डब्ल्यू.ओ., मार्फत डा. पाम राजपूत वूमेन रिसोर्स, चंडीगढ़	200000		200000	
न्यू प्रशांत पब्लिक स्कूल समिति लखनऊ- एस/सी	100000		-	
नेक्स्ट स्टेप तो सनराइज दिल्ली- एस/सी	62500		-	
नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी-एस/सी	-		60000	
ओडिशा राज्य महिला आयोग-एस/सी	294750		-	
ओम आदर्श समिति, दौसा-एस/सी	-		30000	
आर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, 33वां क्रिमिनोलॉजी कांफ्रेंस, जम्मू-कश्मीर	90000		90000	
पहल वैल्फेयर सोसाइटी, हरियाणा-एस/सी	30000		30000	
परवाज़ जन कल्याण संस्थान, उत्तर प्रदेश-एस/सी	-		30000	
पीस रिकांसिलिएशन मिनिस्ट्रीज़, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	30000		30000	
पेरियार यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशलॉजी तमिलनाडु- एस/सी	100000		-	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
पूजा आदर्श विद्या मन्दिर संस्था, राजस्थान(एस/सी)	-		30000	
पूजा वैल्फेयर सोसाइटी, जम्मू-कश्मीर-एस/सी	-		30000	
प्रगति उत्तराखंड-एस/सी	-		64750	
प्रयास वोलंटरी आर्गेनाईजेशन ओडिशा- एस/सी	69225			
परिक्रमा महिला समिति(एस/सी)	30000		30000	
प्रिंसीपल, मध्य प्रदेश सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजस्थान	30000		30000	
प्रोग्रेसिव एक्शन फॉर कम्यूनिटी इमेनसीपेशन आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	85000		75250	
पंजाब राज्य महिला आयोग-एस/सी	-		300000	
राजा सेर्फोजी गवर्नमेंट कॉलेज तमिलनाडू - एस/सी	152250		-	
राजेंद्र प्रसाद सेवा संस्थान यू.पी.- एस/सी	62500		-	
राजीव गांधी चेयर इन कन्टैंप.एस/टी	237750		-	
राजीव गांधी जनसेवा संस्थान, राजस्थान	30000		30000	
रिसर्च इंस्टिट्यूट जाजागिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस एस/सी	50000		-	
रिया जन कल्याण समिति मुरादाबाद- एस/सी	87750		-	
आर.के. एच.आइ.वी. एड्स रिसर्च एड केयर सेटर, मुम्बइ	30000		60000	
रोल ऑफ वूमेव राइटर इन सोशल एवेकानेग3	-		18000	
रूरल एजुकेशन एंड चाइल्ड हेल्थ सोसाइटी कर्नाटक - एस/सी	55000		-	
रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट उत्तराखंड - एस/सी	64750		-	
सबरी एजूकेशनल एंड वैल्फेयर सोसाइटी, उत्तर प्रदेश	-		30000	
सदयानोडिया ल्लैगंर नर्पाई मन्द्रम (सिनाम) एस/सी	98750		-	
सद्भावना समन्वय संस्थान-यू.पी. एस/सी	45000		45000	
सहयोग, कर्नाटक-एस/सी	-		72750	
सखी केन्द्र-एस/सी	60000		60000	
समाधान कामेश्वरी निवास मधुबनी बिहार एस/सी	62500		-	
सम्मति सामाजिक समिति, मध्य प्रदेश	15000		15000	
सामुदायिक कल्याण एवं विकास संस्थान यू.पी.-एस/सी	59750		-	
संवेदना सर्वोदय संस्थान, उत्तर प्रदेश-एस/सी	-		66750	
संचित विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश-एस/सी	-		76350	
संजीवनी, भुवनेश्वर	9000		9000	
संजीवनी,दिल्ली-एस/सी	-		30000	
संजीवनी सोसाइटी(एस/सी)	-		15000	
संस्कार ओडिसा- एस/सी	55900		-	
सांस्कृतिक विकास एवं नव कल्याण समिति उत्तराखंड-एस/सी	30000		30000	
सरस्वती बाल विकास मंदिर शिक्षा संस्थान यू.पी.एस/सी	100000		-	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
सर्व कल्याण सेवा समिति उत्तर प्रदेश-एस/सी	-		67000	
सर्वोद्य समग्र विकास एवं संचार संस्थान,एस/सी	-		30000	
सेल्प इनिशिएटिव फॉर टोटल अवेयरनेस, देवगढ़(एस/सी)	-		30000	
शक्ति वाहिनी(एस/सी)	-		30000	
शंतिश्वरी, कर्नाटक	100000		-	
श्री गिरिराज जी महाराज, शिक्षा, उत्तर प्रदेश-एस/सी	30000		30000	
श्री गिरिराज महाराज, बलवाडी, मध्य प्रदेश-एस/सी	77950		-	
श्री जगतभारती एजूकेशन एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, गुजरात एस/सी	-		65750	
श्री राम मैमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली-एस/सी	87500		-	
सृष्टि जन कल्याण सांस्कृतिक, छत्तीसगढ़-एस/सी	-		69000	
सिलदा स्वास्ति उन्नयन समिति, मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल	30000		30000	
सोशल एंड लिटरेसी डेवलपमेंट लखनऊ- एस/सी	61500		-	
समाज कल्याण एवं विकास संगठन-एस/सी	-		30000	
सोसाइटी फॉर हैल्थ एंड एजूकेशन डेवेल्पमेंट, हैदराबाद	15000		15000	
सोसाइटी फॉर इनोवेटिव रूरल डेवलपमेंट दिल्ली - एस/सी	60000		-	
सोसाइटी फॉर रूरल एंड इको-डेवलपमेंट ए.पी.- एस/सी	62500		-	
सोसाइटी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ए.पी.- एस/सी	50000		-	
श्री सरस्वती थयांगराज कॉलेज- एस/सी	129750		-	
सृजन, लखनऊ-एस/सी	77250		77250	
सृजन संस्थान इलाहाबाद-एस/सी	75000		-	
स्टार यूथ एसोसिएशन आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	10000		69750	
स्त्री मुक्ति संगठन, मुम्बई(एस/सी)	30000		30000	
सुप्रतिवा फ़क़ीरपड़ा, बिरिबती ओडिशा- एस/सी	75000		-	
सुरूचि कलाकेन्द्र, बिहार-एस/सी	30000		30000	
सस्टेनेबल लाइफ ट्रस्ट तमिलनाडु - एस/सी	62500		-	
एस. वी. एजूकेशनल सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	30000		30000	
तरई खादी ग्रामोद्योग संस्थान-एस/सी उत्तर प्रदेश	-		56750	
तरंगिनी सोशल सर्विस सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश	-		15000	
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई-एस/सी	771049		9743362	
कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर	-		30000	
पुलिस आयुक्त, पुणे-एस/सी	30000		30000	
द होली फेथ एजूकेशनल डेवेल्पमेंट सोसाइटी-आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	50000		72250	
ट्रस्टी ग्रामियम, तमिलनाडु-एस/सी	65750		-	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
यूनीक वेलफेयर फाउंडेशन प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश-एस/सी		62250		-	
मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक-एस/सी		85650		85650	
उत्थान शोध संस्थान, राजस्थान		-		30000	
उत्कल यूथ एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट यू.पी. एस/सी		44750		-	
विद्या कला संस्थान, उत्तर प्रदेश		15000		15000	
ाविद्या बाल कल्याण सवा सस्थान यूपा- एस/सा		62500		-	
विज़न - ए रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी-एस/सी		-		125000	
पश्चिमी बंगाल महिला आयोग-एस/सी		60000		60000	
विप्रो फाउंडेशन-एस/सी		-		30000	
महिला अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र मध्य प्रदेश-एस/सी		-		-	
यशवंतराव चव्हाण विधि महाविद्यालय, पुण-एस/सी		-		64500	
योर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड-एस/सी		600000		600000	
यूथ एजुकेशनल रिसर्च एंड रिलीफ सोशल जे.एंड.के. एस/सी		62500		-	
युवा विकास समिति यूपी- एस/सी		62500		-	
विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र	ठ	**18,06,097**		**26,44,784**	
अरूणाचल प्रदेश राज्य आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र		-		112602	
असम राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन		-		146800	
असम विश्वविद्याल-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र		131040		131040	
ड्रीम प्रोग्रेसिव वैल्फेयर एसोसिएशन, असम- पूर्वोत्तर क्षेत्र		36600		36600	
जन नेता इरावत फाउंडेशन, मणिपुर पूर्वोत्तर क्षेत्र		37065		37065	
जन समृद्धि समिति, इम्फाल, मणिपुर		32350		32350	
मणिपुर राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र		91350		91350	
मेघालय राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र		182364		634809	
मिज़ोरम राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर		492000		492000	
मिज़ोरम विश्वविद्यालय, मनोविज्ञान विभाग, ऐज़वाल		273420		820260	
ओमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट -ए सोशल चेंज		48000		48000	
सिक्किम राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र		61908		61908	
विवेकानंद केंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ़ कल्चर असम		420000		-	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
<u>कानूनों की समीक्षा</u>	ड	**236906**		**236906**	
संकायाध्यक्ष, लॉ फैक्लटी दिल्ली विश्वविद्यालय		236906		236906	
<u>महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के लिए क्षमता-निर्माण</u>	ढ	**12209526**		**12209526**	
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान		10665270		10665270	
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान(टी.आई.एस.एस.)-पंचायती		1544256		1544256	
<u>महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के लिए क्षमता-निर्माण- एन.ई.आर.</u>	ण	**1108260**		-	
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तेलंगाना		1108260		-	

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

अनुसूची 8 - नियत आस्तियां

(रकम रुपयों में)

	सकल ब्लाक					अवक्षयण				शुद्ध ब्लाक	
	आरंभिक अतिशेष	परिवर्धन	कटोतिया	समायोजन	अंतिम अतिशेष	आरंभिक अतिशेष	परिवर्धन पर	कटौती पर	अंत में कुल अवक्षयण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
नियत आस्तियां										- -	
भूमि	35,53,443			-	35,53,443.00	-	-	-	-	35,53,443.00	35,53,443
भवन	12,27,84,765	-	180578.00	-	12,26,04,187.00	1,22,78,477.00	-	18,058.00	1,22,60,419.00	11,03,43,768.00	12,27,84,765
संयंत्र एवं. मशीनरी	6,07,41,758	73,26,047.00	14,54,020.00	-	6,66,13,812.00	97,38,852.00	19,59,777.00	-	1,16,98,629.00	5,49,15,183.00	6,07,41,785
यान	27,31,879	-	5,39,902.00	-	21,91,977.00	4,09,782.00	-	80,985.00	3,28,797.00	18,63,180.00	27,31,879
फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,63,17,272	3,35,422.00	19,90,356.00	-	1,46,62,338.00	24,96,785.00	18,796.00	-	25,15,581.00	1,21,46,757.00	1,63.17,272
कम्प्यूटर	7,15,009	31,05,675.00	17,931.00		38,02,753.00	4,29,005.00	9,46,703.00	10,759.00	13,64,949.00	24,37,804.00	7,15,009
पुस्तकें एवं प्रकाशन	14,433	42,858.00		-	57291.00	8,660.00	12,857.00	-	21,517.00	35,774.00	14,433
चालू वर्ष का कुल	**20,68,58,586**	**1,08,10,002**	**41,82,787**	**-**	**21,34,85,801**	**2,53,61,561**	**29,38,133**	**1,09,802**	**2,81,89,892**	**18,52,95,909.00**	**20,68,58,586**

अवक्षयण संगणना

मशीनरी एवं उपस्कर		फर्नीचर एवं फिक्सचर	
मशीनरी और उपस्कर उपलब्ध मद पर अवक्षयण (एन.बी.सी.सी.+नया+ उपलब्ध पुराना) अर्थात् (57449426+871107)	87,48,080.00	10891676+236 4217 पर पूरा अवक्षयण	13,25,590
2 वर्ष के लिए 5701634 पर अव. और डेढ वर्ष के लिए 627081 पर अव.	18,51,583	(आधा 294922) पर आधे वर्ष के लिए अवक्षयण	14746
552082 पर अव. 7.5% दर पर+ 15% दर पर 44520 पर अव.	1,08,194	40500 पर पूरे वर्ष के लिए के जोड़ें जाने पर अव.	4050
9 मास के लिए स्क्रैप पर अव.	23,540.00	9 मास के लिए स्क्रैप पर अव.	100172
व्ययनित मदों पर तीन मास का अव.	22,146	व्ययनित मदों पर तीन मास का अव.	38066
1998-1999 से लेकर 2007-08 तक की अवधि के लिए अव.	9,45,086	1998-1999 से लेकर 2007-08 तक की अवधि के लिए अव.	10,32,957
कुल अव.	**1,16,98,629**	कुल अवक्षयण	**25,15,581.00**

(*) **1998-1999** से लेकर **2007-08** तक के अवक्षयण को भी शामिल किया गया है

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
अनुसूची **8** - नियत आस्तियां				
1) भूमि	35,53,443	-	35,53,443	
2) फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,21,46,757	-	1,63,17,272	
3) मशीनरी एवं उपस्कर	5,49,15,183	-	6,07,41,785	
4) कम्प्यूटर	24,37,804	-	7,15,009	
5) यान	18,63,180	-	27,31,879	
6) पुस्तकें एवं प्रकाशन	35,774	-	14,433	
भवन	11,03,43,768		12,27,84,765	
	18,52,95,909	**-**	**20,68,58,586**	

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
अनुसूची-9 - निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश					
अनुसूची-10 - निवेश-अन्य				शून्य	
अनुसूची-11- चालू आस्तियां, उधार एवं अग्रिम				शून्य	
क. *चालू आस्तियां*					
1) तालिकाएं		-	3,43,457.00	-	-
2) नकदी शेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)		-	-	-	-
3) शेष बची डाक टिकटें			53,331.00		31,642.00
4) बैंक अतिशेष	अनुसूचित बैंकों के पास बचत खाते पर	47,18,862.00	61,19,144.00	1,07,42,167.00	14,05,021.00
5) नकद या वस्तु रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूलीय उधार, अग्रिम और अन्य रकम		-	-	-	-
6) एन.आई.सी.एस.आई. को संदत्त तीन मास के लिए पूर्वसंदत्त व्यय		6,05,495.00		2,31,719.00	3,703.00
7) विविध देनदारियां		1,50,000.00	3,703.00	-	
	क	**54,74,357.00**	**65,19,635.00**	**1,09,73,886.00**	**14,40,366.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी सदस्य सचिव

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
ख	*उधार एवं अग्रिम*				
	योजना गत	ख **8,91,86,704.00**		**11,20,56,241.00**	
	कर्मचारियों को अग्रिम(भ+म+य)	**43,000.00**		**11,50,111.00**	
	संगोष्ठियां एवं सम्मेलन(भ)	43,000.00		10,63,008.00	
	अब्दुस सलाम	-		3,57,109.00	
	मंजू एस. हैम्ब्रम	-		4,60,097.00	
	मृदुल भट्टाचार्य	10,000.00		14,000.00	
	अनीशा दावर, जे.टी.ई.	-		2,840.00	
	अवनि, जे.टी.ई.	10,000.00		-	
	डी.बी. श्रीवास्तव, जे.एच.टी.	-		10,000.00	
	गीता राठी, जे.टी.ई.	15,000.00		15,000.00	
	ललिता के,सहायक विधिक अधिकारी.			5,000.00	
	एम. कृष्ण प्रसाद, निजी सचिव	-		950.00	
	नीलम, परामर्शदाता	8,000.00		-	
	प्रवीण सिंह, परामर्शदाता-अग्रिम एस/सी	-		2986.00	
	ऋचा ओझा, अग्रिम एस/सी	-		7245.00	
	राकेश रानी, आर.ए.	-		3300.00	
	एस. मुरली, सहायक - अग्रिम एस/सी	-		133566.00	
	सुषमा साहू, सदस्य	-		36915.00	
	वंदना गुप्ता, संयुक्त सचिव	-		10000.00	
	वरुण छाबड़ा-अग्रिम एस/सी	-		4000.00	
	विशेष अध्ययन(म)	**0.00**		**82063.00**	
	एस. मुरली	0.00		82063.00	
	कानूनों की समीक्षा के लिए कर्मचारी को अग्रिम (य)	**0.00**		**5040.00**	
	जी. नागराजन	0.00		5040.00	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
				-
मशीनरी उपस्कर के लिए अग्रिम	**0.00**		**41,50,000.00**	
यू.पी. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	0.00		41,50,000.00	
विज्ञापन के लिए अग्रिम	**3,92,48,837.00**		**4,24,05,037.00**	
लेख अधिकारी, डी.ए.वी.पी., विज्ञापन(अग्रिम)	3,90,00,000.00		4,23,50,000.00	
संपादक, रोजगार समाचार, अग्रिम विज्ञापन	55,037.00		55,037.00	
रोजगार समाचार	1,93,800.00			-
श्रव्य-दृश्य प्रचार के लिए अग्रिम	**3,30,60,834.00**		**4,13,40,834.00**	
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	1,95,41,461.00		1,95,41,461.00	
प्रसार भारती(बी.सी.आई.) दूरदर्शन	-		82,80,000.00	
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम -श्रव्य दृश्य अग्रिम	1,35,19,373.00		1,35,19,373.00	
गैर-सरकारी संगठनों को अग्रिम	**13,50,000.00**		**6,50,000.00**	
संगोष्ठियां एवं सम्मेलन				-
सी.ई.क्यू.यू.आई.एन., नई दिल्ली	-		2,00,000.00	
स्वरलिपि स्वागत भवन, मुम्बई	4,50,000.00		4,50,000.00	
आंध्र प्रदेश राज्य आयोग	2,00,000.00			-
छत्तीसगढ़ राज्य आयोग	2,00,000.00			-
हरियाणा राज्य महिला आयोग	1,00,000.00			-
जम्मू और कश्मीर राज्य महिला आयोग	2,00,000.00			-
तमिलनाडु राज्य आयोग	2,00,000.00			-
संगोष्ठियों के लिए अग्रिम	**7,82,033.00**		**2,58,259.00**	
सहायक निदेशक, संपदा निदेशालय-एस/सी अग्रिम	30,000.00		30,000.00	
बामर एंड लारी कंपनी लि. अग्रिम-संगोष्ठी	3,00,000.00		-	
कुज़ीन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली-एस/सी	-		-	
भारतीय अंतरराष्ट्रीय केन्द्र	38,819.00		98,819.00	
आई. टी.डी.सी.	44,514.00		44,514.00	
स्कोप कम्प्लेक्स, एम,एम,ओ, खाता -संगोष्ठी अग्रिम	68,700.00		68,700.00	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
वीनस कांफ्रेंस एंड एक्सीबिशन प्राईवेट लि.		3,00,000.00		-	
वाई.एम.सी.ए. चेन्नई		-		16,226.00	
वृत्तिकों को भुगतान के लिए अग्रिम		**0.00**		**74,00,000.00**	
एन.बी.सी.सी. सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड - फीस		0.00		74,00,000.00	
अन्य अग्रिम		**1,47,02,000.00**		**1,47,02.000.00**	
सी.पी.डब्ल्यू.डी. (अग्रिम)		1,47,02,000.00		1,47,02.000.00	
गैर-योजनागत	ग		**17,518.00**	**-**	**4,57,311.00**
कर्मचारियों को अग्रिम			**6,365.00**		**4,46,158.00**
यानों की मरम्मत एवं अनुरक्षण			**-**	**-**	**12,012.00**
दलेर सिंह			0.00	-	3500.00
महेन्द्र सिंह, चालक			0.00		2500.00
जय भगवान			0.00		3953.00
सोहन लाल			0.00		2059.00
कार्यालय व्यय			**5,000.00**	**-**	**1,12,620.00**
डी.बी.श्रीवास्तव, जे.एच.टी.			-		99330.00
सुरुचि पुंज			-		12790.00
वी. आर. रमण			-		500.00
मृदुल भट्टाचार्य			5,000.00		-
यात्रा व्यय			**-**	**-**	**3,00,000.00**

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
कर्मचारियों को अग्रिम					
बामर एंड लारी को अग्रिम			-		3,00,000.00
पेट्रोल के लिए अग्रिम			**1,365.00**		**8626.00**
महेन्द्र सिंह			-		4855.00
बी.एस. रावत			1365.00		1365.00
सोहन लाल-पी.ओ.एल. अग्रिम			-		2406.00
वेतन अग्रिम			**-**		**12,900.00**
त्यौहार अग्रिम			-		12,900.00
छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम			-		-
ओ.एम.सी.ए.			**11,153.00**		**11153.00**
अन्य मोटर कार अग्रिम			11,153.00		11,153.00
					-
पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत	घ	**1,06,06,088.00**		**1,88,86,788.00**	
संगोष्ठियों/सम्मेलन के लिए कर्मचारियों के अग्रिम		-		**10,700.00**	
रेखा शर्मा, सदस्य		-		7,500.00	
विकास विनोद भाले, समन्वयक		-		3,200.00	
गैर-सरकारी संगठनों को अग्रिम		**35,90,000.00**		**1,04,90,000.00**	
संगोष्ठियां एवं सम्मेलन(पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**31,90,000.00**		**1,00,90,000.00**	**-**
					-
निदेशक, समाज कल्याण, मेघालय सरकार		4,40,000.00		4,40,000.00	-
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तेलंगाना		-		80,00,000.00	-
पुडुचेरी महिला आयोग		5,00,000.00		5,00,000.00	-
मुख्य सचिव, त्रिपुरा सरकार		2,50,000.00		2,50,000.00	-
अरूणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग		2,00,000.00		-	
मणिपुर राज्य महिला आयोग		1,00,000.00		-	
मेघालय राज्य महिला आयोग		2,00,000.00		-	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	योजना	गैर-योजना
सिक्किम राज्य महिला आयोग		6,00,000.00		-	-
रोटरी क्लब, शिलांग		9,00,000.00		9,00,000.00	-
कानूनी जागरुकता कार्यक्रम(पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**4,00,000.00**		**4,00,000.00**	-
रोटरी क्लब, शिलांग- पूर्वोत्तर क्षेत्र		4,00,000.00		4,00,000.00	
एस. मुरली		-		-	
विज्ञापन के लिए अग्रिम(पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**61,68,188.00**		**66,18,188.00**	
लेखा अधिकारी, डी.ए.वी.पी.		13,44,231.00		17,94,231.00	
प्रसार भारती		48,23,957.00		48,23,957.00	
		-			
श्रव्य दृश्य प्रचार के लिए अग्रिम(पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**8,47,900.00**		**17,67,900.00**	
लेखा अधिकारी, डी.ए.वी.पी.		8,47,900.00		8,47,900.00	
प्रसार भारती(बी.सी.आई.) दूरदर्शन		-		9,20,000.00	
कुल (ख+ग+घ)		**9,97,92,792.00**	**17,518.00**	**13,09,43,029.00**	**4,57,311.00**
प्रतिभूति जमा	च	**38,160.00**	**21,500.00**	**38,160.00**	**21,500.00**
कुल क+ङ+च		**10,53,05,309.00**	**65,58,653.00**	**14,19,55,075.00**	**19,19,177.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय से संबद्ध अनुसूचियां

रकम रुपयों

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
अनुसूची 12 - वेतन एवं सेवाओं से आय	कोई नहीं		कोई नहीं	

अनुसूची 13 - अनुदान

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
1) केंद्रीय सरकार				
अनुदान	18,35,04,710.00	4,85,10,284.00	18,37,18,000.00	4,44,47,000.00
घटाएं :- पूंजीकृत सहायतानुदान की रकम	1,08,10,002.00	-	78,74,687.00	-
कुल अनुदान	**17,26,94,708.00**	**4,85,10,284.00**	**17,58,43,313.00**	**4,44,47,000.00**

अनुसूची **14** - शूल्क / अभिदान

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
1) प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2) वार्षिक शूल्क / अभिदान	-	-	-	-
3) सूचना का अधिकार शूल्क	-	7,997.00	-	9,195.00
		-		
		7,997.00		**9,195.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	योजना	गैर-योजना
अनुसूचि **15 -** निवेश से आय	कोई नहीं		कोई नहीं	
अनुसूची **16 -** रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	कोई नहीं		कोई नहीं	

अनुसूची **17 -** अर्जित ब्याज

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	योजना	गैर-योजना
1) बचत बैंक खाता पर				
क) अनुसूचित बैंक में	13,43,225.00	3,89,537.00	12,72,091.00	3,07,758.00
2) गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	-	-	-	-
3) अंशदायी भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज	-	-	-	-
4) एफ.डी.आर. पर अर्जित ब्याज	-	-	-	-
	13,43,225.00	**3,89,537.00**	**12,72,091.00**	**3,07,758.00**

अनुसूची **18 -** अन्य आय

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	योजना	गैर-योजना
1) पुनरांकित देयताएं	1,02,18,586.00		32,26,157.00	-
2) विविध आय	60,822.00	85,665.00	7,15,144.00	10,91,507.00
3) अवधि पूर्व विविध आयु	11,63,130.00	34,428.00	5,39,643.00	-
	1,14,42,538.00	**1,20,093.00**	**44,80,944.00**	**10,91,507.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	योजना	गैर-योजना
अनुसूची 19 - तैयार सामान एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	काई नहीं		काई नहीं	

क) बंद स्टाक	**3,43,457.00**
ख) कम: आरंभिक स्टाक	**(1,76,000.00)**
कुल बढोत्तरी (कमी) (क-ख)	**1,67,457.00**

अनुसूची 20 - स्थापना ब्याज

(रकम रूपयों में)

			चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
			सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	योजना	गैर-योजना
1	वेतन :-					
	अध्यक्ष एवं सदस्य	(9484397-538959-221810 {संदेय})	-	87,23,628.00	-	1,05,44,368.00
	अधिकारी	(10376442-101239 {संदेय})	-	93,64,003.00	-	1,06,88,442.00
	कर्मचारी	(9568735-892029 {संदेय})	-	86,76,706.00	-	1,12,50,672.00
2	मजदूरी		62,27,995.00		97,51,727.00	-
3	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान					
		एल.एस.सी.	-	13,80,618.00	-	11,14,128.00
		पी.सी.	-	-	-	-
4	वृत्तिक फीस एवं सेवाओं के लिए भुगतान		1,57,77,753.00	-	98,69,754.00	-
5	मार्च, 2018 माह में देय वेतन			18,36,731.00	-	16,70,730.00
6	मार्च, 2018 माह में देय वेतन विप्रेषण			8,28,506.00	-	6,40,110.00
			2,20,05,748.00	**3,08,10,192.00**	**1,96,21,481.00**	**3,59,08,450.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	योजना	गैर-योजना
विज्ञापन व्यय	6,12,46,164.00	-	1,00,000.00	-
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	-	-	1,080.00	-
मुद्रण	18,90,052.00	-	9,30,859.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	1,27,90,211.00	-	40,62,981.00	-
विशेष अध्ययन	1,09,08,940.00	-	74,45,786.00	-
कानूनों की समीक्षा	5,040.00	-	1,54,492.00	-
पारिवारिक महिला लोक अदालत	-	-	-	-
नुक्कड नाटकों के लिए गैर सरकारी संगठनों को रकम	-	-	-	-
श्रृव्य एवं दृश्य प्रचार-स्पॉट्स, वृत्त चित्र आदि	98,67,500.00	-	4,10,66,950.00	-
न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता-निर्माण	27,356.00	-	-	-
महिला पंचायतीराज सशक्तीकरण के लिए क्षमता निर्माण	-	-	9,136.00	-
मरम्मत एवं अनुरक्षण योजना	-	-	-	-
भूमि एवं भवन आरआरटी	-	-	-	-
राष्ट्रीय महिला आयोग का राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग एवं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग	7,21,062.00	-	57,195.00	-
पुस्तिकाओं, पर्चियों एवं अन्य सामग्री का मुद्रण कार्यालय व्यय	-	-	-	-
कार्यालय व्यय	-	1,64,92,644.00	-	87,39,944.00
मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	5,20,813.00	-	4,57,782.00
टेलीफोन	-	5,13,645.00	-	6,31,513.00
यात्रा व्यय	-	3,00,000.00	-	33,18,735.00
लेखापरीक्षा शुल्क	-	6,40,615.00	-	2,89,360.00
बैंक प्रभार	-	49,903.00	-	20,016.00
पैट्रोल, तेल एवं लुब्रीकेंट	-	21,82,299.00	-	26,35,767.00
	-		-	-
किराया, दर्रे और कर	-	2,61,120.00	-	1,85,695.00
मुकदमेंबाजी	-		-	2,73,171.00
दवाईयां	-	-	-	4,48,863.00
श्रृव्य एवं दृश्य प्रचार-स्पॉट्स, वृत्त चित्र आदि	10,00,000.00	-	12,11,514.00	
विज्ञापन पूर्वोत्तर क्षेत्र	35,61,470.00	-	-	-
मुद्रण पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	-	2,32,806.00	-
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	-	2,32,857.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,48,341.00	-	3,32,366.00	-
विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	-	-	-
			-	
	10,21,66,136.00	**2,09,61,039.00**	**5,58,38,022.00**	**1,70,00,846.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

अनुसूची **22** - व्यय अनुदान, सहायिकी आदि

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	योजना	गैर-योजना
<u>योजना शीर्ष के अंतर्गत</u>				
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	3,80,77,262.00	-	84,20,750.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	2,77,55,554.00	-	1,80,77,910.00	-
विशेष अध्ययन	1,78,24,750.00	-	1,05,66,847.00	-
पारिवारिक महिला लोक अदालत		-		-
विधि की समीक्षा		-	4,73,812.00	-
राष्ट्रीय महिला आयोग की राज्य आयोगों के साथ नेटवर्किंग और टेलीकांफ्रेंसिंग			15,67,300.00	
महिला पंचायतीराज सशक्तीकरण करने के लिए क्षमता-निर्माण			2,39,04,300.00	
न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता- निर्माण	10,24,725.00	-	10,35,666.00	-
क	**8,46,82,291.00**	-	**6,40,46,585.00**	-
<u>योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र शीर्ष के अंतर्गत</u>				
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र	85,26,930.00	-	65,12,000.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन पूर्वोत्तर क्षेत्र	9,12,441.00	-	6,11,500.00	-
विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र	7,00,000.00	-	9,71,121.00	-
महिला पंचायतीराज सशक्तीकरण करने के लिए क्षमता-निर्माण	1,31,08,260.00	-	-	
ख	**2,32,47,631.00**	**-**	**80,94,621.00**	
कुल (क+ख)	**10,79,29,922.00**	-	**7,21,41,206.00**	

<u>अनुसूची **23** - ब्याज</u>

कोई नहीं

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2018 को प्राप्ति एवं संदाय का भाग गठित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-26 - स्थापन व्यय

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान वेतन	योजना	गैर-योजना
1 वेतन:-				
अध्यक्ष एव. सदस्य	-	29034532.00	-	34579564.00
अधिकारी				
स्टाफ				
2 मजदूरी	6227995.00	-	9751727.00	-
3 अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाय				
4 अन्य निधियों में अभिदाय				
एल.एस.सी.	-	1380618.00	-	1114128.00
पी.सी.				
5 वृत्तिक फीस एवं सेवाओं के लिए भुगतान	8599729.00	-	14274222.00	-
	1,48,27,724.00	**3,04,15,150.00**	**2,40,25,949.00**	**3,56,93,692.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

अनुसूची 27 - अन्य प्रशासनिक व्यय

(रकम रुपयों में

		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1	साधारण सहायता- अनुदान के अधीन (2235.02.103.71.01.31)		
	विज्ञापन व्यय	58089964.00	20050000.00
	कानूनी जागरुकता कार्यक्रम	-	1,080.00
	मुद्रण	1905802.00	915109.00
	संगोष्ठी और सम्मेलन	12722171.00	3796912.00
	विशेष अध्ययन	1,04,61,314.00	7864199.00
	कानूनों की समीक्षा	-	1,59,532.00
	पी.एम.एल.ए.	-	-
	श्रव्य एवं दृश्य प्रचार	15,87,500.00	5,70,40,050.00
	मशीनरी एव. उपस्करों के लिए अग्रिम		41,50,000.00
	एन.बी.सी.सी. को फर्नीचर एवं फिक्सचर के लिए अग्रिम	-	-
	मोटर यान के लिए अग्रिम	-	-
	कम्प्यूटर के लिए अग्रिम	-	-
	वितरण हेतु पुस्तिकाएं, पत्रक और अन्य सामग्री का मुद्रण	-	-
	महिलाओं से संबंधित विधियों के समुचित क्रियान्वयन के लिए न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता-नि	27,356.00	-
	पंचायती राज के लिए क्षमता-निर्माण	-	9,136.00
	राष्ट्रीय महिला आयोग की राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग एवं टेलीकांफ्रेंसिंग	721062.00	57195.00
	नुक्कड़ नाटक एवं स्थानीय गीतों आदि के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां	-	-
	क	**8,55,15,169.00**	**9,40,43,213.00**
2	साधारण सहायता- अनुदान के अधीन (2235.02.103.35.00.31)		
	कार्यालय व्यय	15942922.00	8708104.00
	मरम्मत एवं अनुरक्षण	508801.00	439062.00
	टेलीफोन	515520.00	601161.00
	यात्रा व्यय	-	3239787.00
	लेखापरीक्षा फीस	340615.00	289360.00
	बैंक प्रभार	49903.00	20016.00
	पेट्रोल, तेल एवं लुब्रीकेंट	2359848.00	2450957.00
	किराया, शुल्क एवं कर	261120.00	185695.00
	चिकित्सा	-	448863.00
	मुकदमेबाजी	-	2,73,171.00
	ख	**1,99,78,729.00**	**1,66,56,176.00**

3 पूर्वोत्तर क्षेत्र सहायता-अनुदान के अधीन **(2235.02.103.71.01.31)**

(रकम रुपयों में)

विशिष्टियां		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
विज्ञापन		3111470.00	1794231.00
कानूनी जागरुकता कार्यक्रम		0	1,44,857.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन		7075.00	362836.00
विशेष अध्ययन		-	59301.00
श्रव्य एवं दृश्य प्रचार		80000.00	2979414.00
मुद्रण		-	2,32,806.00
	ग	**31,98,545.00**	**55,73,445.00**

अनुसूची **28 -** विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किए गए भुगतान

(रकम रुपयों में)

योजनागत - सामान्य			
कानूनी जागरुकता कार्यक्रम		27617677.00	7958519.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन		33141775.00	17213326.00
विशेष अध्ययन		10088121.00	7759583.00
पी.एम.एल.ए.		30000.00	73806.00
महिलाओं से संबंधित विधियों के समुचित क्रियान्वयन के लिए न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता-नि		939931.00	585666.00
पंचायती राज के लिए क्षमता-निर्माण		-	11694774.00
राष्ट्रीय महिला आयोग की राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग एवं टेलीकांफ्रेंसिंग		-	1179592.00
विधियों की समीक्षा		-	236906.00
नुक्कड़ नाटक एवं स्थानीय गीतों आदि के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां		-	-
	घ	**7,18,17,504.00**	**4,67,02,172.00**
पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत			
कानूनी जागरुकता कार्यक्रम		87,79,799.00	49,20,000.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन		25,71,957.00	83,49,713.00
विशेष अध्ययन		14,63,138.00	11,57,441.00
पंचायती राज के लिए क्षमता निर्माण- एन.ई.आर.		40,00,000.00	-
	ङ	**1,68,14,894.00**	**1,44,27,154.00**
	कुल =क+ख+ग+घ+ङ	**19,73,24,841.00**	**17,74,02,160.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

विप्रेषण अनुसूची **29**

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	परिवर्धन	विप्रेषित रकम	परिवर्धन	विप्रेषित रकम
सामान्य भविष्य निधि	30,80,500.00	30,80,500.00	20,92,000.00	20,92,000.00
सामान्य भविष्य निधि अग्रिम	1,500.00	1,500.00		
अनुज्ञप्ति फीस	1,97,334.00	1,97,334.00	1,57,490.00	1,57,490.00
आयकर	40,77,163.00	40,77,163.00	44,81,943.00	44,81,943.00
सी.जी.एच.एस.	63,950.00	63,950.00	38,625.00	38,625.00
सी.जी.ई.जी.आई.एस.	9,846.00	9,846.00	12,405.00	12,405.00
गृह निर्माण अग्रिम	24,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	42,925.00	42,925.00	9,000.00	9,000.00
एम.सी.ए. +(ब्याज)	2,850.00	2,850.00	-	-
त्यौहार अग्रिम	1,350.00	1,350.00	-	-
कम्प्यूटर अग्रिम	1,050.00	1,050.00	3,850.00	3,850.00
सी.पी.एफ. अंशदान	30,000.00	30,000.00	2,46,627.00	2,46,627.00
ई.पी.एफ.	1,54,449.00	1,54,449.00	2,55,349.00	2,55,349.00
स्रोत पर कर कटौती	11,92,613.00	11,92,613.00	13,49,364.00	13,49,364.00
राष्ट्रीय पेंशन स्कीम	1,10,794.00	1,10,794.00	2,50,495.00	2,50,495.00
सहकारिता सोसाइटी ऋण	18,300.00	18,300.00	-	-
सहकारिता सोसाइटी शेयर	1,000.00	1,000.00	-	-
आधिक्य की वसूली	1,152.00	1,152.00		
संदाय			-	-
जीवन बीमा कंपनी	2,139.00	2,139.00	-	-
अन्य वसूली	678.00	678.00		
जे.ए.एस.ए. मासिद निधि और जल प्रभार			-	-
कुल	**90,13,593.00**	**90,13,593.00**	**89,45,148.00**	**89,45,148.00**

अनुसूची **30**

बैंक अतिशेष का विवरण

	सहायता अनुदान प्राप्तियां	सहायता अनुदान वेतन और प्राप्तियां	कुल बैंक अतिशेष
1 केनरा बैंक	47,18,862.00	61,19,144.00	1,08,38,006.00
			1,08,38,006.00

वेतन एवं लेखा अधिकारी सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

वर्ष 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय लेखाओं का भाग गठित करने वाली अनुसूची–24

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरण, महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा केन्द्रीय स्वशासी निकायों (अलाभकारी संगठन और समरूप संस्था) के लिए विहित प्ररूप में प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. निवेश

2.1 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान किसी भी रूप में कोई निवेश नहीं किया गया है और तारीख 31 मार्च, 2018 तक शेष शून्य है।

3. स्थिर आस्तियां

3.1 स्थिर आस्तियों का उल्लेख अर्जन की कुल लागत के अनुसार किया गया है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अर्जन से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं। ऐसी परियोजनाओं की बाबत, जिसमें निर्माण अंतर्वलित है, संबंधित प्रचालन–पूर्व व्यय पूंजीकृत आस्तियों के मूल्य का भाग गठित करते हैं।

3.2. वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यालय भवन और कार्यालय भवन के ऑडोटोरियम के विज्ञापन प्रभारों का संपत्ति कर का 2,12,444 रूपये का निर्गम गलत पूंजीकृत किया गया है। इसे अब ठीक कर दिया गया है। पूर्व अवधि व्यय नामे दर्शित करके एस.ए. आर. लेखा परीक्षा 2016–17 के पैरा क. 2.1.1 की टिप्पणी का अनुपालन किया गया है और भवन का बही मूल्य 1.80 लाख रूपये कम कर दिया गया है।

3.3 वित्तीय वर्ष 2016–17 से एन.बी.सी.सी. को भवन के निर्माण मद्धे संदेय 50,13,968/– रुपए की रकम 'भवन शीर्ष' में पूंजीकृत की गई है।

3.4 नियत आस्तियों के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग को भेंट की गई/दान दी गई पुस्तकें सम्मिलित हैं और उन्हें अंकित मूल्य पर पूंजीकृत किया गया है।

4. अवक्षयण

4.1 अवक्षायण की गणना आय–कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अवलिखित मूल्य के आधार पर की गई है।

5. सरकारी अनुदान/सहायिकी

5.1 सरकारी अनुदानों का परिकलन प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

वर्ष 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय लेखाओं का भाग गठित करने वाली अनुसूची–25

लेखाओं पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक दायित्व

1.1 आयोग के प्रति ऋण के रूप में माने गए दावे – **शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए)**

1.2 निम्नलिखित की बाबतः

– आयोग द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी – **शून्य रुपए(पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

– आयोग की ओर से बैंक द्वारा खोले गए ऋण–पत्र – **शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए)**

– आयोग के पास बट्टे खाते पर संदेय बिल – शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

1.3 निम्नलिखित की बाबत विवादित मांगें

आय कर – **शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

विक्रय कर – **शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

नगरपालिक कर – **शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

1.4 आदेशों का निष्पादन न करने के लिए पक्षकारों की ओर से किए दावों की बाबत जिनका आयोग द्वारा विरोध किया गया – **शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

जसोला में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण करने की आरंभिक अनुमानित लागत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए प्राक्कलन के अनुसार 6.09 करोड़ रुपए थी और उन्हें 1.80 करोड़ रुपए की रकम अग्रिम रूप में दी गई थी। किन्तु प्रशासनिक कारणों से भवन का निर्माण नहीं किया जा सका। किन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उस समय तक चारदीवारी आदि के लिए 32.98 लाख रुपए उपगत किए थे। इसके पश्चात्, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा एन.बी.सी.सी. से नए सिरे से प्राक्कलन मांगे गए थे जिसमें एन.बी.सी.सी. ने निर्माण के लिए कम लागत कोट की थी। इसके पश्चात् रा.म.आ. भवन कार्य पर आधारित

नए एस.एफ.सी. के आधार पर किया गया था और एन.बी.सी.सी. को कार्य सौंपा गया था। एन.बी.सी.सी. ने कार्य पूरा कर लिया और राष्ट्रीय महिला आयोग को फरवरी, 2016 में भवन सौंप दिया। एन.बी.सी.सी. को अभी भी 50,13,968/– रुपए की रकम भवन के निर्माण मद्धे संदेय है। अन्य बातों के साथ इस रकम को निर्मोचित नहीं किया गया है क्योंकि कार्य में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से पहले ही यह अनुरोध किया गया है और कई बार स्मरण कराया गया है कि संदत्त किए गए अग्रिम में से शेष 147.02 लाख रुपए की रकम का प्रतिदाय किया जाए।

3. चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम

चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम का मूल्य कारबार के सामान्य अनुक्रम में प्राप्तियों पर आधारित है, जो कि कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल रकम के समान है।

4. कराधान

आय–कर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई कर–योग्य आय न होने के कारण आय–कर के लिए उपबंध करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

5. विदेशी मुद्रा में संव्यवहार

5.1 सी.आई.एफ. आधार पर संगणित आयातों का मूल्यः

तैयार माल का क्रय	शून्य
कच्ची सामग्री और संघटक(मार्गस्थ सहित)	शून्य
पूंजीगत माल	शून्य
भंडार, फालतू पुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं	शून्य

5.2 विदेशी मुद्रा में व्ययः

(क)	यात्रा	शून्य
(ख)	वित्तीय संस्थानों/विदेशी मुद्रा में बैंकों को किया गया	
	प्रेषण और ब्याज का भुगतान	शून्य
(ग)	अन्य व्यय	शून्य
	विक्रय पर कमीशन	शून्य

विधिक और वृत्तिक व्यय	शून्य
विविध व्यय	शून्य

5.3 उपार्जनः

एफ.ओ.बी. आधार पर निर्यातों का मूल्य	शून्य

6. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा विहित किए गए राष्ट्रीय महिला आयोग को लागू प्ररूप पर आधारित है।

7. कर्मचारियों को मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान और संचित छुट्टी नकदीकरण फायदों के लिए कोई दायित्व लेखा बहियों में नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वशासी निकाय है। इस संगठन में अभी तक कोई स्थायी कर्मचारी नहीं हैं। सभी कर्मचारी या तो केन्द्रीय सरकार और अर्ध सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर है या कुछ कर्मचारी नैमित्तिक/संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोई उपदान/पेंशन संदेय नहीं है।

8. वर्ष 2016–17 की तालिका (उपभोज्य स्टॉक) के 1.76 लाख मूल्य को अंत अतिशेष दर्शित करके एस.ए.आर. लेखा–परीक्षा 2016–17 के पैरा सं. क. 2.2.1 में की गई टिप्पणी का अनुपालन किया गया है और वर्ष 2017–18 की तालिका में इसे आरंभिक अतिशेष के रूप में पूर्व अवधि व्यय में इतनी ही रकम जमा हुई दिखाकर चालू वर्ष में भी अनुपालन किया गया है।

9. ऐसे फर्नीचर और फिक्सचर, जिनका बही मूल्य 1,48,949 रूपये था, को बेकार घोषित करके 2017–18 के दौरान 9000 रूपये में नीलाम कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 1,39,949 रू की हानि हुई है। इसके अतिरिक्त ऐसा फर्नीचर जिसे पुराने कार्यालय के भवन से नए कार्यालय के भवन में, संरचनात्मक नुकसान के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था इस वजह से बही मूल्य की हानि 12,35,451 हुई है। इसलिए 13,75,400 रूपये की कुल हानि को बट्टे–खाते में डाला गया (1,39,949+12,35,451 रूपये)। यह पाया गया है कि पूर्व वर्षों के खातों में आस्तियों को अर्जित करने की तारीख से अवक्षायण को हिसाब में नहीं लिया गया है और 2008–09 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। इसे अब ठीक कर लिया गया है और 2008–09 से पहले के वर्षों के लिए अब खातों में अवक्षायण की भी व्यवस्था की गई है।

10. ऐसी मशीनरी और उपस्कर जिसका बही मूल्य 3,59,158 रूपये था बेकार घोषित करके वर्ष 2017–18 के दौरान 15,000 रूपये में इनकी नीलामी की गई जिसके परिणामस्वरूप 3,44,158 रूपये की हानि हुई। इसके अतिरिक्त कार्यालय के पुराने भवन से नए भवन में जिस मशीनरी को

संरचनात्मक नुकसान के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था इसके कारण भी नुकसान हुआ है। ऐसी मदों का बही मूल्य नीचे दिए गए हैं–

क्रम सं.	विशिष्टियां	रकम (रुपयों में)
1.	जिन मदों को संरचनात्मक नुकसान किए बिना पुराने भवन से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता	66,050
2.	वे मदें जिन्हें व्यक्तियों से बरामद नहीं किया जा सकता	16,727
3.	विविध मदें और आरंभिक अतिशेष	80,576
4.	कारों, ए.सी. और डी.जी. सेटों के साथ लगी हुई ऐसी मदें जिन्हें नीलाम किया जा सकता था किंतु अलग नहीं की गई	22,355

इसलिए कुल हानि जिसे बट्टे–खाते में डाला जाना है वह है 5,29,866 रूपये (3,44,158+66,050+16,727+80,576+22,355 रूपये)।

यह पाया गया है कि पूर्व वर्षों के खातों में आस्तियों को अर्जित करने की तारीख से अवक्षायण को हिसाब में नहीं लिया गया और 2008–09 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। इसे अब ठीक कर लिया गया है और 2008–09 से पहले के वर्षों के लिए अब खातों में अवक्षायण की भी व्यवस्था की गई है।

11. भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग का वित्तपोषण करता है। मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आयोग द्वारा प्राप्त अनुदानों की संक्षिप्त स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्रम सं.	विशिष्टियां	योजना (रु.)	गैर–योजना (रु.)
1.	वर्ष के आरंभ में खर्च न किया गया शेष अनुदान	1,07,42,167	14,05,021
2.	वर्ष के आरंभ में खर्च न की गई नकदी शेष	––	––
3.	अप्रयुक्त शेष डाक टिकटें	––	31,642
4.	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	18,82,58,000	5,45,95,000
5.	वर्ष के अंत में अनुदान का अप्रयुक्त शेष (जिसमें विविध प्राप्तियां भी हैं)	47,18,862	61,19,144
6.	वर्ष के अंत में खर्च न किया गया नकद शेष	––	––
7.	अप्रयुक्त शेष डाक टिकटें	––	53,331

12. समरूप लक्ष्य और उद्देश्य रखने वाले गैर–सरकारी संगठनों आदि को दिए जाने वाले अनुदान/वित्तीय सहायता को हिसाब में लिया जा रहा है और उन्हें अनुदान/वित्तीय सहायता के समायोजन पर व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।

13. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2016–17 के पैरा सं. क. 1.1.1 में जो टिप्पणी की गई है उसका अनुपालन, खर्च न किए गए अनुदान (प्रतिदेय) जो तारीख 31.3.2017 को 121.47 लाख रूपये के दायित्व को दर्शित करते हुए, किया गया है।

14. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2016–17 के पैरा सं. क. 1.1.3 में जो टिप्पणी की गई है उसका अनुपालन, लेखा परीक्षा फीस के लिए 3.00 लाख रूपये का उपबंध करके, किया गया है।

15. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2016–17 के पैरा सं. क. 2.1.2 में जो टिप्पणी की गई है उसका अनुपालन, 6.34 लाख रूपये के पूर्व अवधि के व्यय दर्शित करके और उतनी ही रकम की स्थिर आस्तियां कम करके, किया गया है।

16. अनुसूची 1 से अनुसूची 30 उपाबद्ध हैं, जो कि वर्ष 2017–18 के लिए तुलनपत्र और आय और व्यय लेखा का अभिन्न भाग गठित करती हैं।

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य–सचिव**

अध्याय–16

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू) की 31 मार्च, 2018 को यथा–विद्यमान संलग्न तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखे और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रबंधतंत्र का है । हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों के संबंध में अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है ।

2. इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन व्यवहार के संबंध में केवल सर्वोत्तम लेखा पद्धति के वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं । विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता–सह–कार्यनिष्पादन पहलुओं, आदि, यदि कोई हैं, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों के बारे में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक्–पृथक् प्र. तिवेदित किया गया है ।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार की है । इन मानकों के अधीन यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और कार्यनिष्पादन इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं । किसी लेखापरीक्षा में, जांच आधारों पर उन साक्ष्यों की परीक्षा करना शामिल है जो वित्तीय विवरणियों में की रकमों और प्रकटनों का समर्थन करते हैं। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण करना तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है ।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

(i) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो, हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

(ii) इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय/प्राप्तियां और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है, वे वित्त मंत्रालय द्वारा विहित प्ररूप में तैयार किए गए हैं;

(iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समुचित लेखा बहियां और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखे गए हैं, जहां तक ऐसी बहियों की हमारे द्वारा की गई परीक्षा से प्रकट होता है, सिवाय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उपाबंध के बिन्दु 2(ङ), 3(ख), 3(ग) और 4(ख) पर उल्लिखित लेखा परीक्षा टिप्पणियों के ।

(iv) हम इसके अतिरिक्त यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

क. साधारण

क.1 राष्ट्रीय महिला आयोग के बकाया दायित्व 3.43 करोड़ रुपए के थे, जो कि 2008–09 से 2016–17 तक की अवधि से लंबित हैं । ये इसलिए लंबित हैं क्योंकि प्रथम किस्तों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं । इन्हें यथाशीघ्र ठीक करने की आवश्यकता है ।

क.2 मार्च, 2018 तक 9.99 करोड़ रुपए की रकम के अग्रिम बकाया थे । इसमें से 9.18 करोड़ रुपए की रकम 2008–09 से 2016–17 तक की अवधि के लिए बकाया हैं । इन्हें यथाशीघ्र वसूल/समायोजित करने की आवश्यकता है ।

क.3 वेतन और मजदूरी की 1.09 करोड़ रूपये की रकम को स्थापन व्यय के अधीन दर्शित करने के स्थान पर अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–21) के अधीन विशेष अध्ययन में दर्शित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्यय में 1.09 करोड़ रूपयें की रकम अधिक दर्शाई गई है और स्थापन व्यय में उतनी रकम कम दर्शाई गई है।

ख. सहायता अनुदान

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए प्राप्त सहायता अनुदान, व्यय और खर्च न किए गए अतिशेष का विवरण नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

विशिष्टियां	(करोड़ों रुपयों में)
प्राप्त अनुदान	24.29
पूर्व वर्ष की खर्च न की गई रकम	1.21
अन्य प्राप्तियां	0.51
कुल उपलब्ध निधियां	26.01
व्यय	24.93
वर्ष की समाप्ति पर खर्च न की गई रकम	1.8

ग. प्राबंधिक पत्रः लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है उन्हें प्राबंधिक पत्र के माध्यम से, जिसे उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किया गया है, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के ध्यान में ला दिया गया है।

(v) हम, पूर्ववर्ती पैराओं में किए गए प्रेक्षणों के अधीन रहते हुए यह रिपोर्ट देते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है, वे लेखा बहियों के अनुरूप हैं ।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियों को लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणों के साथ पठित और ऊपर कथित महत्वपूर्ण विषयों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उपाबंध में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन रहते हुए, वे भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप सही और ऋजु दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं ।

क. जहां तक उनका संबंध राष्ट्रीय महिला आयोग के 31 मार्च, 2017 तक के तुलनपत्र की स्थिति से है; और

ख. जहां तक उनका संबंध उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए घाटे संबंधी आय और व्यय लेखे से है ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 25.11.2018

अपर उप नियंत्रक महालेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

उपाबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- राष्ट्रीय महिला आयोग की आंतरिक लेखापरीक्षा मानव संसाधन मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा खंड द्वारा मार्च, 2015 तक की गई है ।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

क. आयोग के गठन को 20 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी भर्ती नियम विरचित नहीं किए गए हैं ।

ख. प्रबंधतंत्र की कानूनी लेखापरीक्षा की आपत्तियों के संबंध में प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं थी क्योंकि 2009–10 से 2015–16 तक की अवधि के लिए 28 लेखापरीक्षा पैरा बकाया हैं।

ग. राष्ट्रीय महिला आयोग के बकाया दायित्व 342.72 लाख रुपए के थे, जो कि 2008–09 से 2015–16 की अवधि से लंबित हैं। ये प्रथम किस्तों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण लंबित हैं। लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेख किए जाने के बावजूद राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इन्हें ठीक नहीं किया गया था ।

घ. वर्ष 2008–09 से 2016–17 तक की अवधि के लिए 917.68 लाख रुपए के अग्रिम बकाया हैं । इन्हें यथाशीघ्र वसूल/समायोजित करने की आवश्यकता है ।

ङ. स्थिर आस्ति रजिस्टर और उपभोज्य वस्तु रजिस्टर उचित रूप बनाए रखें नहीं जा रहें क्योंकि इनमें सभी वस्तुओं के विवरण नहीं दिए गए हैं, स्टाक प्रविष्टियों को अधिप्रमाणित नहीं किया गया है और रजिस्टर खोले जाने के समय यथाअपेक्षित प्रमाणपत्र नहीं मिला है।

इन बातों को पूर्ववर्ती वर्ष की रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया गया है, किन्तु प्रबंधतंत्र द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद अभी तक उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है । इस प्रकार, राष्ट्रीय महिला आयोग की आतंरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ।

3. आस्तियों की अस्तित्व जांच की पद्धति

क. आस्तियों की अस्तित्व जांच अक्तूबर, 2017–18 तक की गई है ।

ख. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा बनाए रखे गए पुस्तकालय के अभिगमन रजिस्टर में सभी पुस्तकों के ब्यौरे दर्शित नहीं किए गए हैं इस प्रकार लेखाओं में दर्शित स्थिर आस्तियों (पुस्तकालय पुस्तकों) की सत्यता का सत्यापन नहीं किया जा सकता है।

ग. इसके अतिरिक्त, यह प्रतिवेदित किया जाता है किः

(i) पुस्तकालय की पुस्तकों की अस्तित्व जांच मई, 2018 में की गई थी, तथापि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्तित्व जांच रिपोर्ट का अनुमोदन अभी किया जाना है ।

(ii) उपर्युक्त अस्तित्व जांच से यह प्रकट हुआ था कि 660 पुस्तकें गुम हो गई हैं।

(iii) 37 पुस्तकें वर्ष 1998 से 2014 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व सदस्यों को जारी की गई थीं, तथापि, ये पुस्तकें आज तक वापस नहीं लौटाई गई हैं।

वस्तु–सूची की अस्तित्व जांच की पद्धति

क. वस्तु–सूची की अस्तित्व जांच 2017–18 तक की गई है ।

ख. उपभोज्य वस्तुओं का रजिस्टर भी इस प्रकार बनाए नहीं रखा गया है, जिससे उसमें सभी वस्तुओं के ब्यौरे दर्शित होते हो ।

4. **देयों के भुगतान में नियमितता**

- लेखाओं के अनुसार, कानूनी देयों की बाबत कोई भी छह मास से अधिक पुराना भुगतान मार्च, 2018 तक बकाया नहीं था ।

अध्याय–17

लेखापरीक्षा रिपोर्ट की मुख्य बातें और वर्ष 2017–18 के लिए उत्तर तथा उस पर की गई कार्रवाई

क्रम सं.	लेखापरीक्षा पैरा	आयोग का उत्तर
क.	**तुलन पत्र**	
क.1	**दायित्वः**	ये साधारण तकनीकी मुद्दें हैं और इन्हें नोट कर लिया गया है।
क.1.1	**चालू दायित्व और प्रावधान (अनुसूची–7) : 942.02 लाख रुपए**	
क.1.1.1	31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 0.53 लाख रूपए (हस्तगत डाक टिकट) की खर्च न की गई अनुदान रकम मंत्रालय को प्रतिदेय नहीं दर्शाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप चालू दायित्वों को कम दर्शाया गया है और पूंजीगत निधि में उतनी रकम अधिक दर्शाई गई है।	
क.1.1.2	बैंक समाधान विवरण के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जून 2016 से दिसंबर 2017 तक 2.07 लाख रूपये की रकम के 15 चैक जारी किए गए थे किंतु तारीख 31.3.2018 तक इन्हें भुनाया नहीं गया था इसलिए ये समय–वर्जित हो गए हैं। तथापि समय–वर्जित चैकों को पुनरांकित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप दायित्वों को कम दर्शाया गया है (लेनदार) और चालू आस्तियों (बैंक अतिशेष) की उतनी रकम दर्शाई गई है।	
क.1.1.3	राष्ट्रीय महिला आयोग के पास मार्च, 2018 में 0.11 लाख रुपए के बिल लंबित हैं जिसके लिए 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक लेखे में कोई दायित्व सृजित नहीं किया गया था। *(उपाबंध क(ii) पर ब्यौरे दिए गए हैं)* इसके परिणामस्वरूप दायित्वों तथा व्यय खाते में उतनी रकम कम दर्शाई गई है।	
क.1.1.4	मार्च, 2018 मास के लिए संविदात्मक कर्मचारियों की बाबत वेतन के लिए 10.74 लाख रूपये की रकम का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप दायित्वों तथा व्यय खाते में उतनी रकम कम दर्शाई गई है।	

क.2.	**आस्तियां**	
क.2.1.1	**स्थिर आस्तियां (अनुसूची–8): 1852.96 लाख रुपए** राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2017–18 के दौरान 0.89 लाख रुपए की स्थिर आस्तियां अर्जित की थी *(उपाबंध क(i) पर ब्यौरे दिए गए हैं)* तथापि, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप स्थिर आस्तियों में तथा पूंजीगत निधि में उतनी रकम कम दर्शाई गई है।	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान इसे सुधार लिया जाएगा।
क.2.1.2	आय–कर अधिनियम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 से कम्प्यूटर पर अवक्षायण की दर 40 प्रतिशत है। तथापि, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 2017–18 के वार्षिक लेखाओं में कम्प्यूटर पर 60 प्रतिशत की दर से अवक्षायण प्रभारित किया गया है इसके परिणामस्वरूप स्थिर आस्तियों की 4.55 लाख रूपये की रकम कम दर्शित की गई है और उतनी रकम का व्यय अधिक दर्शाया गया है।	
क.2.2 **क.2.2.1**	**चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम (अनुसूची–11) : 1118.64 लाख रुपए** वास्तविक अतिशेष 2.30 लाख रूपये के स्थान पर 3.43 लाख रुपए मूल्य की तालिका(खपने वाला स्टाक) के अतिशेष को दर्शित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 1.13 लाख रूपये की चालू आस्तियां और व्यय अधिक दर्शित किया गया है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
ख.	**आय और व्यय**	
ख.1.1 **ख.1.1.1**	**व्यय–अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–21): 1231.27 लाख रुपए** राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2.52 लाख रूपये की रकम का पूर्व अवधि व्यय किया है जिसके लिए तारीख 31.3.2017 को कोई दायित्व सृजित नहीं किया गया था (**उपाबंध–क** (iii) पर ब्यौरे हैं)। इसके परिणामस्वरूप व्यय को अधिक दर्शाया गया है और पूर्व अवधि व्यय में उतनी रकम कम दर्शाई गई है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

ख.1.1.2	कार्यालय व्यय के रूप में 164.92 रूपये की रकम का व्यय दर्शित किया गया है जबकि खाते के अनुसार यह रकम 163.20 लाख रूपये है। इसके परिणामस्वरूप व्यय की रकम को अधिक दर्शित किया गया है और 1.67 लाख रूपये पूंजीगत निधि कम दर्शित की गई है।	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान इसे सुधार लिया जाएगा।
ग.	**साधारण**	
ग.1	राष्ट्रीय महिला आयोग के बकाया दायित्व 342.72 लाख रुपए के थे, जो कि 2008–09 से 2016–17 तक की अवधि से लंबित हैं। ये इसलिए लंबित हैं क्योंकि प्रथम किस्तों के उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं। इन्हें यथाशीघ्र ठीक करने की आवश्यकता है।	यह उल्लेखनीय है कि अनुसंधान अध्ययन पूरा करने में औसतन 2 से 3 वर्ष लगते हैं। इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में सदैव कुछ रकम बकाया रहती है। तथापि, बकाया दायित्वों को यथाशीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहें हैं और संबंधित व्यक्तियों/ संगठनों को अनुस्मारक जारी किए गए हैं।
ग.2	मार्च, 2018 को 998.10 लाख रुपए की रकम के अग्रिम बकाया थे। इसमें से 917.68 लाख रुपए की रकम 2008–09 से 2016–17 तक की अवधि के लिए बकाया हैं। इन्हें यथाशीघ्र वसूल करने/समायोजित करने की आवश्यकता है।	बकाया अग्रिम को यथाशीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं और संबंधित व्यक्तियों /संगठनों को अनुस्मारक जारी किए गए हैं। इसके मुख्य भाग का संबंध आयोग द्वारा जारी किए गए उन विज्ञापनों से है जिनके अंतिम बिल डी.ए.वी.पी. से प्राप्त नहीं हुए हैं। विधिक जागरूकता कार्यक्रम के खाते में के अग्रिम परिनिर्धारण के अलग प्रक्रम पर हैं।

<table>
<tr>
<td>ग.3</td>
<td>गलत शीर्षों के अधीन 42.36 लाख रूपये की रकम के व्यय को दर्शित किया गया था जिसके ब्यौरे नीचे दिए हैं:–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विशिष्टियां</th><th>शीर्ष जिसके अधीन दर्शित किया गया है</th><th>रकम (लाख रूपयों में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>टैक्सी भाड़ें पर लेना</td><td>पेट्रोल, आयल और लुबरीकेंट (पी.ओ.एल.)</td><td>12.52</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>संपादक का पारिश्रमिक</td><td>मुद्रण</td><td>1.96</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वेतन</td><td>वृत्तिक और विशेष सेवाएं</td><td>27.88</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>कुल</td><td>42.36</td></tr>
</table>
</td>
<td>भविष्य में अनुपालन करने के लिए नोट कर लिया गया है</td>
</tr>
<tr>
<td>ग.4</td>
<td>वेतन और मजदूरी के अधीन व्यय दर्शित करने के स्थान पर अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–21) के अधीन विशेष अध्ययन में 108.36 लाख रूपये की रकम को वेतन/ पारिश्रमिक व्यय के रूप में दर्शित किया गया है।</td>
<td>भविष्य में अनुपालन करने के लिए नोट कर लिया गया है</td>
</tr>
<tr>
<td>घ</td>
<td>सहायता अनुदान
वर्ष 2017–18 के लिए रा.म.आ. द्वारा प्राप्त व्यय, सहायता अनुदान और बिना खर्च किए गए अतिशेष के ब्यौरे की सारणी नीचे दी गई है।
<table>
<tr><th>विशिष्टियां</th><th>रकम (लाखों रूपयों में)</th></tr>
<tr><td>प्राप्त अनुदान</td><td>2428.53</td></tr>
<tr><td>पूर्व वर्ष की बिना खर्च की गई रकम</td><td>121.47</td></tr>
<tr><td>अन्य प्राप्तियां</td><td>51.51</td></tr>
<tr><td>कुल उपलब्ध निधियां</td><td>2601.51</td></tr>
<tr><td>व्यय</td><td>2493.13</td></tr>
<tr><td>वर्ष के अंत में बिना खर्च की गई रकम (तारीख 31.3.2018 को अंत अतिशेष)</td><td>108.38</td></tr>
</table>
</td>
<td>कोई टिप्पणी नहीं, यह वास्तविक स्थिति हैं।</td>
</tr>
</table>

उपाबंध

उपाबंध-I

आयोग की संरचना

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग की संरचना निम्नलिखित थीः

1. श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्यक्ष, तारीख 29 अप्रैल, 2014 से सितंबर 2017 तक
2. श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष (प्रभारी), तारीख अक्तूबर, 2017 से
3. श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, तारीख 6 अगस्त, 2015 से
4. सुश्री सुषमा साहू, सदस्य, तारीख 17 अगस्त, 2015 से
5. श्री आलोक रावत, सदस्य, तारीख 20 अक्तूबर, 2015 से
6. श्रीमती सतबीर बेदी, सदस्य–सचिव, तारीख 25 जनवरी, 2017 से

उपाबंध-II

आयोग का संगठनात्मक चार्ट

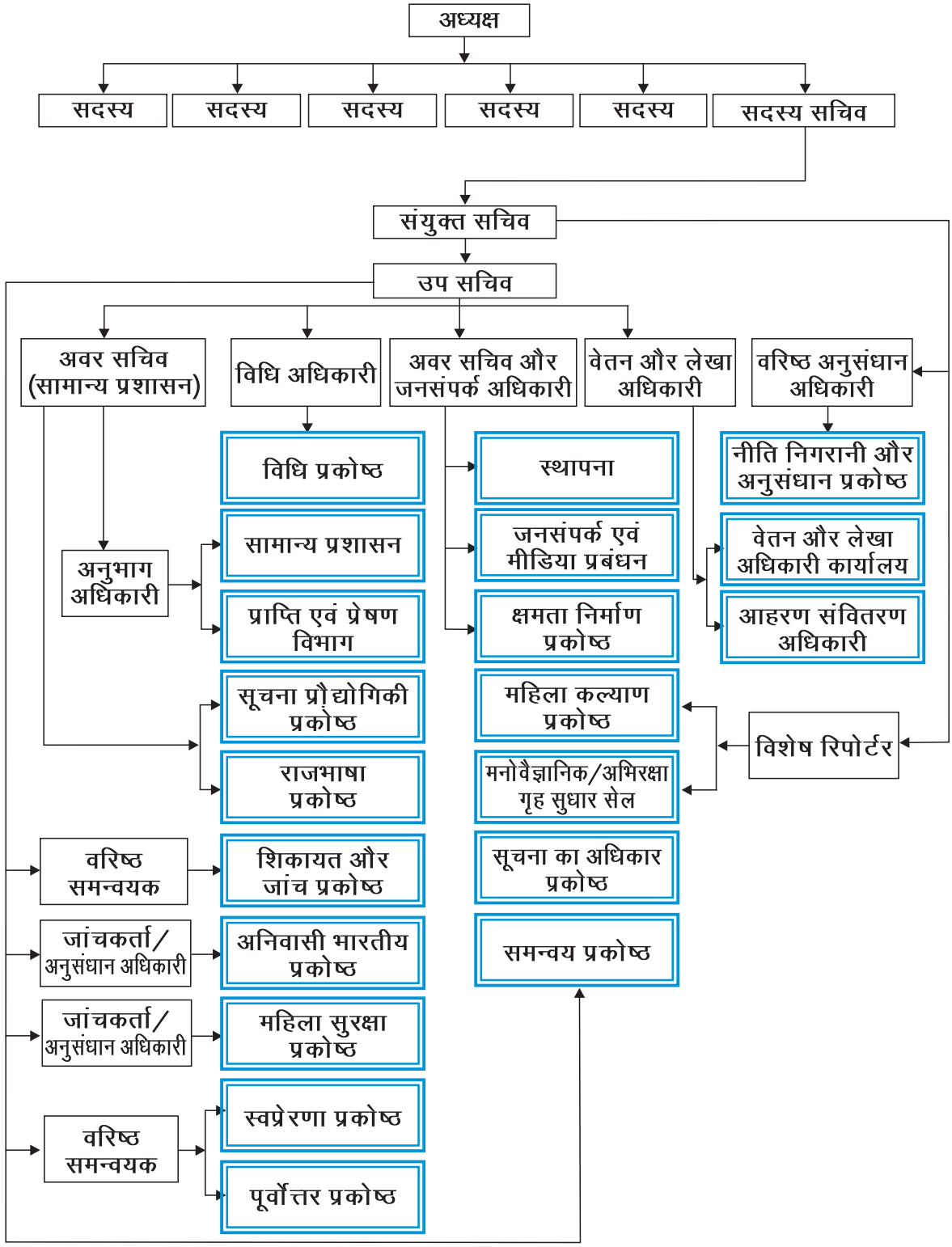

उपाबंध-III

2017–18 के दौरान आयोग द्वारा विचार किए गए विषय जिसमें परिचालन माध्यम भी शामिल है।

तारीख 27 अप्रैल, 2017 को आयोजित 173वीं बैठक

1. मामला सं. रिट याचिका (सिविल) सं.6281/1998,6386/1998,6429/1998 और 6640/1998 में तारीख 5.10.2013 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया है।
2. तारीख 5 अक्तूबर, 2013 के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अस्थायी सेवा कर्मचारियों और दैनिक मजदूरों का पारिश्रमिक।

तारीख 22 जून, 2017 को आयोजित 174वीं बैठक

1. तारीख 31 जनवरी, 1992 को आयोग की स्थापना के पश्चात् समय के विभिन्न अंतरालों पर नियुक्त किए गए कार्मिक, दैनिक मजदूरी कर्मकार, चपरासी और दैनिक मजदूरी ड्राइवरों की अस्थायी हैसियत की स्थिति।

तारीख 20 जुलाई, 2017 को आयोजित 175वीं बैठक

1. बाल देखरेख छुट्टी की समीक्षा पर परामर्श रिपोर्ट पर विचार–विमर्श
2. तारीख 2 जून, 2017 को महाराजा रंजीत सिंह, पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लोर, पंजाब में पुलिस भर्ती (डीएसपी स्तर) पर महिलाओं से संबंधित विधियों का उचित कार्यान्वयन करने के लिए जेंडर संवेदनशीलता को सुनिश्चित करने के कार्यक्रम के संबंध में विचार–विमर्श।
3. जांच समिति रिपोर्टों पर विचार–विमर्श
4. वर्ष 2017–18 के संपत्ति कर का भुगतान
5. राजभाषा प्रकोष्ठ का गठन

तारीख 31 जुलाई, 2017 को आयोजित 176वीं बैठक

1. 'घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन संरक्षण अधिकारियों' पर अनुसंधान अध्ययन की रिपोर्ट पर विचार विमर्शः संरक्षण अधिकारी कहा तक पीडितों को सांत्वना देने में सफल रहें।
2. 'जीडीपी में महिलाओं के योगदान के आर्थिक मूल्य का प्राक्कलन करने की संभावना का पता लगाना' पर अध्ययन रिपोर्ट पर विचार विमर्श।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग के जसोला स्थित कार्यालय में सम्मेलन कक्ष के आधुनिकीकरण पर विचार विमर्श–मैसर्स उत्तर प्रदेश, राजकीय निर्माण निगम लिमिटिड।

तारीख 20 सितंबर, 2017 को आयोजित 177वीं बैठक

1. 'महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्मिलित करना– पूर्वोत्तर और दक्षिणी प्रदेश में महिलाओं की बैंककारी आवश्यकताएं, आदतें और परिपाटियों पर एक अध्ययन' पर अनुसंधान अध्ययन के संबंध में विचार विमर्श।

2. 'जीडीपी में महिलाओं के योगदान के आर्थिक मूल्य का प्राक्कलन करने की संभावना का पता लगाना' पर अध्ययन रिपोर्ट पर विचार विमर्श।

3. 'कार्यस्थल पर जेंडर समानता का मानचित्रणः भारत सरकार के कुछ विभागों का विशेष अध्ययन' पर अध्ययन के संबंध में विचार विमर्श।

4. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात में हुई हत्या और अभिकथित सामूहिक बलात्संग की बाबत रिपोर्ट किए गए समाचार पर– की गई कार्रवाई।

5. वर्ष 2009–10 के लिए डी.जी.ए.सी.ई. के जांच लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लेखा परीक्षा पैरा 11 में इंगित किए गए अवसूलीय अग्रिमों के व्यय/बट्टे खाते में डालने का अनुमोदन।

6. वीना भारद्वाज और अन्य द्वारा फाइल की गई रिट याचिका (सिविल) सं. 6659/2017 में तारीख 25 अगस्त, 2017 को किया गया दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में विचार–विमर्श।

7. दैनिक मजदूर ड्राइवरों की सेवा समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार विमर्श।

8. 'कार्यरत महिलाओं के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय लोक परिवहन सुविधा के महत्व' पर अध्ययन।

9. भूमि अधिकारों, पहल और घरेलू हिंसा पर अवसरों के असर पर अनुसंधान अध्ययन' के संबंध में विचार विमर्श।

10. 2008 से 2014 तक मंजूर किए गए ऐसे मामलों को बंद करना जिनमें अनुस्मारकों को दिए जाने के बावजूद भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

11. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर आई.ई.सी. आंदोलन।

12. आयोग को यानों की व्यवस्था करने के लिए सेवाओं को उपाप्त/बाह्य स्रोत से उपलब्ध कराने के संबंध में विचार विमर्श।

13. 'प्रशासन' में पर्याप्त कर्मचारियों की अनुपलब्धता।

14. राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की छुट्टी के नकदीकरण की हकदारी।
15. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मंजूर किए गए अनुसंधान अध्ययनों की गुणवत्ता।
16. आयोग के मासिक सूचनापत्र 'राष्ट्र महिला' से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श।
17. लंबित बिलों का शीघ्रता से परिनिर्धारण।
18. सेवाएं और माल प्राप्त करने में 'कोई विवाद नहीं' की घोषणा।

तारीख 01 नवंबर, 2017 को आयोजित 178वीं बैठक

1. दैनिक मजूदर लिपिकों और चपरासियों का न्यायालय मामला–अद्यतन स्थिति
2. अमृतसर, पंजाब में अनिवासी भारतीय विवाहों पर एक दिन का प्रादेशिक सेमिनार
3. राष्ट्रीय महिला आयोग के अस्तित्व में आने के 25 वर्ष पूरा करने पर वार्षिकोत्सव
4. शायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में 2016 की रिट याचिका सं. 118
5. 'घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन संरक्षण अधिकारियों' पर अनुसंधान अध्ययन की रिपोर्ट पर विचार विमर्शः संरक्षण अधिकारी कहा तक पीड़ितों को सांत्वना देने में सफल रहें
6. वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एन.जी.ओ. फाउंडेशन, वेस्ट सिक्किम को 60,000 रूपये का अधिक भुगतान
7. राष्ट्रीय महिला आयोग में मीडिया सलाहकार की नियुक्ति

तारीख 23 नवंबर, 2017 को आयोजित 179वीं बैठक

1. ड्राइवरों (दैनिक मजदूर) की सेवा समाप्ति
2. सेमिनार आयोजित करने के लिए बैंक प्रत्याभूति में बढ़ोत्तरी
3. वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान अनुसंधान अध्ययनों के प्रस्तावों की जांच पड़ताल
4. वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सेमिनार के प्रस्तावों की जांच पड़ताल
5. वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान अनुसंधान अध्ययन (पूर्वोत्तर) के प्रस्तावों की जांच पड़ताल
6. वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सेमिनार (पूर्वोत्तर) के प्रस्तावों की जांच पड़ताल
7. राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय परिसरों को बनाए रखने की बाबत बकाया भुगतान
8. 'खाड़ी देशों के पुरूषों को पैकेज डील में भारतीय बाल बधुओं को भेजे जाने' पर जांच समिति की रिपोर्ट

9. महिलाओं से संबंधित विधियों पर विधिक जागरूकता के संबंध में राष्ट्रीय व्यापी प्रतियोगिता की बाबत भौतिक रूप से दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना महाविद्यालयों को व्यय की प्रतिपूर्ति।

10. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर आई.ई.सी. आंदोलन

11. राष्ट्रीय महिला आयोग के अस्तित्व में आने का 25वां वार्षिकोत्सव

12. कारागार और मनोरोग संबंधी गृहों का निरीक्षण

तारीख 14 दिसंबर, 2017 को आयोजित 180वीं बैठक

1. संविदा आधार पर विशेष रिपोर्टर की नियुक्ति

2. महिला कैदियों की दशा की समीक्षा करने के लिए कारागारों का निरीक्षण

3. मनोरोग संबंधी गृहों का निरीक्षण

4. तारीख 31.01.2018 को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम

तारीख 05 जनवरी, 2018 को आयोजित 181वीं बैठक

1. विधिक जागरूकता कार्यक्रम के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन

2. महिला कारागार, तिहार जेल का निरीक्षण

3. राष्ट्रीय महिला आयोग में संविदा आधार पर विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति

4. साहस ब्रदरहुड द्वारा 'हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के भूमि अधिकारः हिमाचल प्रदेश में इसका असर और चुनौतियां' पर अनुसंधान अध्ययन के संबंध में विचार विमर्श

5. आर्थिक कार्य विभाग, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड द्वारा 'उत्तराखंड के पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आहार संबंधी पैटर्न और पौष्टिक आहार की स्थितिः जिला पोड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और रूद्रप्रयाग पर अध्ययन' पर अनुसंधान अध्ययन पर विचार विमर्श

6. विज्ञान भवन नई दिल्ली में तारीख 31 जनवरी, 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अस्तित्व में आने के 25 वर्ष के पूरा हो जाने के अवसर पर समारोह के लिए कार्यक्रम प्रबंधन अभिकरण का चयन

7. आई.ई.सी. आंदोलन के लिए भुगतान का निर्मोचन

तारीख 23 जनवरी, 2018 को आयोजित 182वीं बैठक

1. राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के 25वें वार्षिकोत्सव के लिए राज्य महिला आयोगों को वित्तीय सहायता

2. राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के 25वें वार्षिकोत्सव के लिए इंडिया हेबिटेट सेंटर पर कलाकारों के लिए अतिथि सत्कार के लिए व्यवस्था

3. राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के 25वें वार्षिकोत्सव के लिए इंडिया हेबिटेट सेंटर पर रात्रिभोज का आयोजन

तारीख 16 फरवरी, 2018 को आयोजित 183वीं बैठक

1. तारीख 24 जनवरी, 2018 को आयोजित 'भारत में एसिड हमलों का सामना करने के लिए आयोजित एकदिवसीय राष्ट्रीय सेमिनारः सामाजिक विधिक पहलु' पर रिपोर्ट

2. राष्ट्रीय महिला आयोग में अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ का पुनर्गठन

3. मनोरोग गृह/अभिरक्षा गृह प्रकोष्ठ को संभालने के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन

4. विधिक प्रकोष्ठ का पुनर्गठन

5. महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का सृजन

6. महिला कल्याण प्रकोष्ठ का सृजन

7. क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ का सृजन

8. शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ का पुनर्गठन

9. स्व–प्रेरणा और पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ का पुनर्गठन

10. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का मानदेय

11. राष्ट्रीय महिला आयोग पुनर्गठन–संविदा आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्य सूची टिप्पण में लाए गए जानकारी को आयोग ने नोट किया

12. राष्ट्रीय महिला आयोग में इंटर्न की नियुक्ति

13. महिलाओं की सुरक्षा में सुधार करना

14. महिलाओं के भावनात्मक क्षेम पर राष्ट्रीय परामर्श

15. समन्वय प्रकोष्ठ का गठन

उपाबंध-IV

2017–18 के लिए अनुमोदित सेमिनारों के ब्यौरे और 2017–18 के लिए निर्मोचित की गई निधि

क्रम सं.	संगठन/संस्था का नाम	विषय
आंध्र प्रदेश		
1.	सोसाईटी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कुरनूल, आंध्र प्रदेश	असेएसिंग दि रिहेबलिटेटिव पालिसिज फॉर एसिड अटैक विक्टिम्स
2.	प्रोग्रेसिव फॉर कम्युनिटी एमेन्सीपेशन पेस चित्तूर डिस्ट्रिक, आंध्र प्रदेश	वुमेन एंड एन्वायरमेंटल सस्टैनबिलिटी
3.	मदर टेरेसा रूरल एंड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाइटी गुंटूर, आंध्र प्रदेश	दि स्टेटस ऑफ ट्राइबल वुमेन इन इंडियाः इशूज, चै. लेंजस एंड स्ट्रैटजीज फॉर एम्पावरमेंट
4.	कलवेरी मिनिस्ट्री कुरनूल, आंध्र प्रदेश	दि स्टेटस ऑफ ट्राइबल वुमेन इन इंडियाः इशूज, चै. लेंजस एंड स्ट्रैटजीज फॉर एम्पावरमेंट
5.	दि हॉली फेथ एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसा. इटी डिस्ट्रिक कुरनूल आंध्र प्रदेश	इशूज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ मुस्लिम गर्लस (पर्टिक्यूलर्ली इन गेटिंग हायर एजुकेशन)
6.	ग्राम जीवन यूथ एसोसिऐशन फॉर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	मैपिंग वुमेन्स जर्नी थ्रू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (रिपोर्टिंग वाइलेन्स/फ्रोम (एफ.आई.आर.) टू अटैनिंग जस्टिस)
7.	सोसाइटी फॉर रूरल एंड ईको–डेवलपमेंट कुरनूल, आंध्र प्रदेश	इशूज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ मुस्लिम गर्लस (पर्टिक्यूलर्ली इन गेटिंग हायर एजुकेशन)
बिहार		
8.	ज्योतिश्री सेवा समिति मधुबनी, बिहार	वुमेन एंड एन्वायरमेंटल सस्टैनबिलिटी
9.	माता मांती समाज सेवा संस्थान वेशाली, बिहार	रॉल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
10.	समाधान मधुबनी, बिहार	विच हंटिंगः थ्रू चैन्जिग कॉन्टेक्सट वुमेन रिमेन दि टारगेट
11.	गुरहट्टा महिला जन कल्याण संस्थान पटना, बिहार	रॉल ऑफ वुमेन इन अन्पैड केयर वर्क
12.	उर्मिला फाउंडेशन मधुबनी, बिहार	दलित वुमेन एंड देयर स्ट्रगल फॉर जस्टिस

दिल्ली		
13.	सोसाइटी फॉर इनोवेटिव रूरल डेवलपमेंट दिल्ली	दलित वुमेन एंड देयर स्ट्रगल फॉर जस्टिस
14.	नेक्स्ट स्टेप टू सनराइज दिल्ली	मैपिंग वुमेन्स जर्नी थ्रू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (रिर्पोटिंग वाइलेन्स/फ्रम (एफ.आई.आर.) टू अटैनिंग जस्टिस)
15.	एक्शन ऐड ऐसोसिएशन दिल्ली	विच हंटिंगः थ्रू चैन्जिग कॉन्टेक्सट वुमेन रिमेन दि टारगेट
16.	चेतनालय दिल्ली	प्रमोटिंग वेलनेस ऑफ वुमेन विद डिसएबिलिटीज
17.	श्री राम मेमोरियल ट्रस्ट दिल्ली	दलित वुमेन एंड देयर स्ट्रगल फॉर जस्टिस
18.	मनस्वी दिल्ली	इशूज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ मुस्लिम गर्लस (पर्टिक्यूलर्ली इन गेटिंग हायर एजुकेशन)
19.	जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली	वुमेन एंड एन्वायरमेंटल सस्टैनबिलिटी
जम्मू कश्मीर		
20.	यूथ ऐजुकेशनल रिसर्च एंड रिलीफ सोसाइटी बडगाम जम्मू–कश्मीर	रोल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
झारखंड		
21.	बनवासी विकास आश्रम गिरीडीह, झारखंड	दलित वुमेन एंड देयर स्ट्रगल फॉर जस्टिस
22.	छोटानागरपुर विकास मंच हजारीबाग, झारखंड	रोल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
कर्नाटक		
23.	शांतिश्वरी एन.जी.ओ. आर्गेनाईजेशन बीदर, कर्नाटक	रोल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
24.	रूरल एजुकेशन एंड चाइल्ड हेल्थ सोसाइटीज ऑफ इंडिया विजयपुर, कर्नाटक	रोल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
25.	मनिपाल यूनिवर्सिटी उडुपी, कर्नाटक	रोल ऑफ वुमेन इन अन्पैड केयर वर्क
26.	बालापल्ली हरिजन अभिवृद्धि संघम तुमकुर, कर्नाटक	विच हंटिंगः थ्रू चैन्जिग कॉन्टेक्सट वुमेन रिमेन दि टारगेट

केरल		
27.	रिसर्च इंस्टिट्यूट, राजागिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस एर्नाकुलम, केरल	रोल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
मध्य प्रदेश		
28.	मंदाकनी सांस्कृतिक एवं समाज कल्याण सेवा समिति भोपाल, मध्य प्रदेश	इशूज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ मुस्लिम गर्लस (पर्टिक्यूलर्ली इन गेटिंग हायर एजुकेशन)
29.	मानव सेवा कल्याण संस्थान देवास, मध्य प्रदेश	विच हंटिंगः थ्रू चैन्जिंग कॉन्टेक्सट वुमेन रिमेन दि टारगेट
महाराष्ट्र		
30.	छत्रपति साहू महाराज बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था नांदेड, महाराष्ट्र	रोल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
31.	आरोग्य प्रबोधिनी गडचिरोली, महाराष्ट्र	मेन्स्ट्रूअल हाइजीन एंड मेन्स्ट्रूअल हाइजीन मैनेजमेंट
32.	आदित्य नागराज चैरिटेबल ट्रस्ट परभानी, महाराष्ट्र	मेन्स्ट्रूअल हाइजीन एंड मेन्स्ट्रूअल हाइजीन मैनेजमेंट
33.	हर्षल ग्रामीण विकास बहु संस्था, चंद्रपुर, महाराष्ट्र	रोल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
उड़ीसा		
34.	मैत्रीबन सेवा संघ पुरी, उड़ीसा	दि स्टेटस ऑफ ट्राइबल वुमेन इन इंडियाः इशूज, चै. लेंजस एंड स्ट्रैटजीज फॉर एम्पावरमेंट
35.	उत्कल यूथ ऐसोशिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट खोरधा, उड़ीसा	विच हंटिंगः थ्रू चैन्जिंग कॉन्टेक्सट वुमेन रिमेन दि टारगेट
36.	जनकल्याण समिति केंद्रपरा, उड़ीसा	मेन्स्ट्रूअल हाइजीन एंड मेन्स्ट्रूअल हाइजीन मैनेजमेंट
37.	कलिंगा कुसुम फॉउंडेशन खोरधा, उड़ीसा	रोल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
38.	प्रयास वालंटरी आर्गेनाईजेशन बालासोर, उड़ीसा	मेन्स्ट्रूअल हाइजीन एंड मेन्स्ट्रूअल हाइजीन मैनेजमेंट
39.	सुप्रतिवा कटक, उड़ीसा	विच हंटिंगः थ्रू चैन्जिंग कॉन्टेक्सट वुमेन रिमेन दि टारगेट
40.	ऑल उड़ीसा मुस्लिम वुमेन्स वेलफेयर फाउंडेशन खोरधा, उड़ीसा	इशूज रिलेटेड टू ऐजुकेशन ऑफ मुस्लिम गर्लस (पर्टिक्यूलर्ली इन गेटिंग हायर ऐजुकेशन)

41.	अधिकर कालाहांडी, उड़ीसा	मैपिंग वुमेन्स जर्नी थ्रू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (रिर्पोटिंग वाइलेन्स/फ्रोम (एफ.आई.आर.) टू अटैनिंग जस्टिस)
42.	दि संस्कार कटक, उड़ीसा	विच हंटिंगः थ्रू चैन्जिग कॉन्टेक्सट वुमेन रिमेन दि टारगेट
पंजाब		
43.	ग्रामीण महिला वेलफेयर फेडरेशन फजिल्लका, पंजाब	रोल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
राजस्थान		
44.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर, राज्स्थान	रोल ऑफ वुमेन इन अन्पैड केयर वर्क
तमिलनाडू		
45.	राजा सरफोजी गवर्नमेंट कॉलेज (ए) तंजावुर, तमिलनाडू	रोल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
46.	सस्टेनेबल लाइफ ट्रस्ट धर्मपुरी, तमिलनाडू	वुमेन एंड एन्वायरमेंटल सस्टैनबिलिटी
47.	अलगप्पा यूनिवर्सिटी शिवगंगा, तमिलनाडू	प्रमोटिंग वेलनेस ऑफ वुमेन विद डिसबिलिटीज
48.	ग्रामियम करुर, तमिलनाडू	मेन्स्ट्रूअल हाइजीन एंड मेन्स्ट्रूअल हाइजीन मैनेजमेंट
49.	सदयानोदई इलैग्नर नरपानी मन्ड्रम (सिनाम) तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडू	प्रमोटिंग वेलनस ऑफ वुमेन विद डिसबिलिटीज
50.	श्री सरस्वती थ्यागराज कॉलेज कोयंबटूर, तमिलनाडू	दलित वुमेन एंड देयर स्ट्रगल फॉर जस्टिस
51.	श्री सरस्वती थ्यागराज कॉलेज कोयंबटूर, तमिलनाडू	दलित वुमेन एंड देयर स्ट्रगल फॉर जस्टिस
52.	एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी विलुप्पुरम, तमिलनाडू	रोल ऑफ वुमेन इन अन्पैड केयर वर्क
53.	राजा सरफोजी गवर्नमेंट कॉलेज तंजावुर, तमिलनाडू	वुमेन एंड एन्वायरमेंटल सस्टैनबिलिटी
54.	भारथियर यूनिवर्सिटी कोयंबटूर, तमिलनाडू	मेन्स्ट्रूअल हाइजीन एंड मेन्स्ट्रूअल हाइजीन मैनेजमेंट

55.	नंधा इंजीनियरिंग कॉलेज इरोड, तमिलनाडू	इंडियाज फारमर सूसाइडः दि वुमेन लेफ्ट बिहाइन्ड
56.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडू तिरुवरुर तमिलनाडू 610005	मेन्स्ट्रूअल हाइजीन एंड मेन्स्ट्रूअल हाइजीन मैनेजमेंट
57.	पेरियार यूनिवर्सिटी, सलेम, तमिलनाडू सलेम, तमिलनाडू	मैपिंग वुमेन्स जर्नी थ्रू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (रिपोर्टिंग वाइलेन्स/फ्रम (एफ.आई.आर.) टू अटैनिंग जस्टिस)
58.	कम्युनिटी रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी धर्मपुरी, तमिलनाडू	दि स्टेटस ऑफ ट्राइबल वुमेन इन इंडियाः इशूज, चै. लेंजस एंड स्ट्रैटजीज फॉर एम्पावरमेंट
59.	सेंटर फॉर सोशल आउटरीच, करूणया यूनिवर्सिटी कोयंबटूर, तमिलनाडू	रोल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
60.	जेप्पिआर इंजीनियरिंग कॉलेज (एमबीए) चैन्नई, तमिलनाडू	रोल ऑफ वुमेन इन अन्पैड केयर वर्क
उत्तर प्रदेश		
61.	न्यू प्रशांत पब्लिक स्कूल समिति लखनऊ, उत्तर प्रदेश	इशूज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ मुस्लिम गर्लस (पर्टिक्यूलर्ली इन गेटिंग हायर एजुकेशन)
62.	युवा विकास समिति बस्ती, उत्तर प्रदेश 272124	मेन्स्ट्रूअल हाइजीन एंड मेन्स्ट्रूअल हाइजीन मैनेजमेंट
63.	अपेक्षा महिला एवं बाल विकास समिति कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश	रोल ऑफ वुमेन इन अन्पैड केयर वर्क
64.	सोशल एंड लिटरेसी डेवलपमेंट ऐसोसिएशन लखनऊ, उत्तर प्रदेश	इशूज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ मुस्लिम गर्लस (पर्टिक्यूलर्ली इन गेटिंग हायर एजुकेशन)
65.	सरस्वती बाल विद्या मंदिर शिक्षा संस्थान उन्नाव, उत्तर प्रदेश	दलित वुमेन एंड देयर स्ट्रगल फॉर जस्टिस
66.	रिया जन कल्याण समिति मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	दलित वुमेन एंड देयर स्ट्रगल फॉर जस्टिस
67.	सामुदायिक कल्याण एवं विकास संस्थान कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	मेन्स्ट्रूअल हाइजीन एंड मेन्स्ट्रूअल हाइजीन मैनेजमेंट
68.	कृषि विकास एवं मानव कल्याण संस्थान प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश	रोल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
69.	इंडियन ड्रीम्स फाउंडेशन आगरा, उत्तर प्रदेश	मेन्स्ट्रूअल हाइजीन एंड मेन्स्ट्रूअल हाइजीन मैनेजमेंट

70.	राजेन्द्र प्रसाद सेवा संस्थान संतकबीर नगर, उत्तर प्रदेश	दलित वुमेन एंड देयर स्ट्रगल फॉर जस्टिस
71.	विद्या बाल कल्याण सेवा सदन मैनपुरी, उत्तर प्रदेश	रोल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
72.	कौशिकी वेलफेयर सोसाइटी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	मेन्स्ट्रूअल हाइजीन एंड मेन्स्ट्रूअल हाइजीन मैनेजमेंट
73.	कृष्णमाला वेलफेयर फाउंडेशन लखनऊ, उत्तर प्रदेश	मेन्स्ट्रूअल हाइजीन एंड मेन्स्ट्रूअल हाइजीन मैनेजमेंट
74.	यूनिक वेलफेयर फाउंडेशन प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश	विच हंटिंगः थ्रू चैन्जिग कॉन्टेक्सट वुमेन रिमेन दि टारगेट
75.	श्रीजना लखनऊ, उत्तर प्रदेश	रोल ऑफ वुमेनः वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन
76.	देव हरि जन कल्याण सेवा समिति आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	दि स्टेटस ऑफ ट्राइबल वुमेन इन इंडियाः इशूज, चै. लेंजस एंड स्ट्रैटजीज फॉर एम्पावरमेंट
77.	हेमू हाशमी लॉ कॉलेज अमरोहा, उत्तर प्रदेश	इशूज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ मुस्लिम गर्लस (पर्टिक्यूलर्ली इन गेटिंग हायर एजुकेशन)
उत्तराखंड		
78.	रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र देहरादून, उत्तराखंड	वुमेन एंड एन्वायरमेंटल सस्टैनबिलिटी
79.	लिब्रा कॉलेज ऑफ लॉ देहरादून, उत्तराखंड	दि स्टेटस ऑफ ट्राइबल वुमेन इन इंडियाः इशूज, चै. लेंजस एंड स्ट्रैटजीज फॉर एम्पावरमेंट
पश्चिम बंगाल		
80.	जामदा झारग्राम आदिवासी क्लब वेस्ट मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल	रोल ऑफ वुमेन इन अन्पैड केयर वर्क
असम		
81.	रूरल वुमेन अपलिफ्टमेंट एसोसिएशन ऑफ असम	विच हंटिंगः ए कर्स फेस्ड बाइ दि मार्डन ह्यूमन सिविलाइजेशन
मणिपुर		
82.	मणिपुर राज्य महिला	प्रमोशन एंड वेलफेयर फॉर वुमेन विद डिसबिलिटीज
त्रिपुरा		
83.	त्रिपुरा राज्य महिला	मेन्स्ट्रूअल हाइजीन एंड मेन्स्ट्रूअल हाइजीन मैनेजमेंट

उपाबंध-V

अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन के ब्यौरे जिनके लिए 2017–18 के लिए निधि निर्मोचित की गई

क्रम सं.	गैर सरकार संगठन/संगठन का नाम	विषय
1.	आंध्र लॉयला इंस्ट्टियूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी आंध्र लॉयला इंस्ट्टियूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, अपोजिट पॉलिटेक्निक पोस्ट ऑफिस, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश कृष्णा, आंध्र प्रदेश 520008	रिसर्च स्टडी ऑन इम्पेक्ट ऑफ डिजीटल इंडिया ऑन रूरल एंड अर्बन वुमेन– ए कम्पेरटिव स्टडी इन आंध्र प्रदेश
2.	इंडियन इंस्ट्टियूट ऑफ दलित स्टडीज, नई दिल्ली इंडियन इंस्ट्टियूट ऑफ दलित स्टडीज, नई दिल्ली, डी आई/1 रोड नं. 4, एंड्रू गंज, नई दिल्ली 110049 साउथ दिल्ली, दिल्ली 110049	रिसर्च स्टडी ऑन डिजीटल टेक्नोलोजी एंड वुमेन फ्रोम मारगिनालाइस्ड कम्युनिटीजः इश्यूज ऑफ़ नॉलेज, अवैलाबिलिटी एंड एक्सेस
3.	ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी 27–ओ, पॉकेट 2, मिग काम्प्लेक्स, मयूर विहार, फेज 3, दिल्ली– 110096, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली 110096	रिसर्च स्टडी ऑन डेसीफेरिंग इकोनोमी वायलेंसः ए स्टडी ऑफ़ इट्स डायनामिक्स एंड इम्पैक्ट ओन वुमेन
4.	सूरज संस्थान 33/160 वरूण पथ मानसरोवर जयपुर, राजस्थान 302020	रिसर्च स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ़ डिजिटल इंडिया ऑन वुमेन एम्पोवेर्मेंट
5.	इंस्ट्टियूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्ट्टियूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट प्लॉट नं. 84 फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट (फी) पटपड़गंज, दिल्ली– 110092, ईस्ट दिल्ली 110092	रिसर्च स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ़ इ–स्वाव्लमबिका प्रोग्राम ऑन रूरल वुमेन
6.	सोसाइटी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, डी.न. 46/162, नीयर अभायाजनेया टेम्पल, बुधावार्पेट, कुरनूल– 518002, आंध्र प्रदेश, इंडिया कुरनूल, आंध्र प्रदेश 518002	रिसर्च स्टडी ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग स्कूल ड्रापआउट्स अमंग गर्ल्स इन कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश
7.	रिसर्च इंस्ट्टियूट राजागिरी रिसर्च इंस्ट्टियूट, राजागिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस, राजागिरी पोस्ट ऑफिस कालामास्सरी, कोच्चि इर्नाकुलम, केरल 683104	रिसर्च स्टडी ऑन इश्यूज रिलेटिड टू केयर ऑफ एल्डर्ली वुमेन इन केरल

8.	धर्मगिरी जीवास सोशल सेंटर (डीजेएससी डायरेक्टर धर्मगिरी जीवास सोशल सेंटर चेरूपूजहा, पी.ओ., काक्केनचल, कन्नूर, डिस्ट्रिक्ट केरल, कन्नूर, केरल 670511	रिसर्च स्टडी ऑन असेसिंग दि हेल्थकेयर सर्विस डिलीवरी एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाइ ऑल्डर वुमेन इन केरल
9.	मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी डॉ. एस. जनेफा, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ़ जर्नलिज्म एंड साइंस कम्युनिकेशन, चेयरपर्सन आई/सी स्कूल ऑफ़ लिंग्विस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी, पल्कलाई नगर, मदुरई– 625021, मदुरई, तमिलनाडू 625021	रिसर्च स्टडी ऑन ए स्टडी ऑन दि मैनफैस्टेशन ऑफ वायलेंस अगैन्सट वुमेन इन सोशल मीडिया
10.	के.ई. सोसाइटीज राजारामबापू इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी राजारामबापू इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी राजारामनगर, तेल. वालवा, संगली महाराष्ट्र 415414	रिसर्च स्टडी ऑन इंडियन वुमेन लीडर्सः डिवाइनिंग लीडर्शिप फॉर शैपिंग पैथ्वेज
11.	महार्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक महार्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक– 124001, हरियाणा रोहतक हरियाणा 124001	रिसर्च स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ इकोनोमी वायलैंस ऑन मुस्लिम वुमेन्स एक्सेस टू डेवलपमेंटल आपूर्टनिटीजः ए स्टडी ऑफ माइनॉरटी कान्सन्ट्रेटिड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा
12.	यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर 06 सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूशन एंड इंक्लूसिव पालिसी, ह्यूमनिटीज ब्लॉक, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर 06, कर्नाटक स्टेट, मैसूर, कर्नाटक 570006	रिसर्च स्टडी ऑन एन इवैल्यूऐशन स्टडी ऑफ एडमिनस्ट्रेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ वन स्टॉप सेन्टर्स (ओ.एस.सी.) इन कर्नाटक तमिलनाडू एंड आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफ साउथ इंडिया
13.	गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टिट्यूट 3, यमुना एन्क्लेव झूसी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (इंडिया) पिन–211019 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019	रिसर्च स्टडी ऑन केयर ऑफ एल्डर्ली वुमेन इन इंडिया विद स्पेशल रेफ्रन्स टू दि वुमेन लिविंग इन शेल्टर होम्स इन उत्तर प्रदेश
14.	सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलोजी सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलोजी जंक्शन मेन रोड, सलेम, तमिलनाडू 636005	रिसर्च स्टडी ऑन दि इम्पैक्ट ऑफ साइबर हरैसिंग ऑन दि मेंटल हेल्थ ऑफ यंग वुमेन

15.	श्री सरस्वती त्यागराज कॉलेज, श्री सरस्वती त्यागराज कॉलेज, पलानी रोड पोल्लाची– कोयंबटूर, तमिलनाडू 642107	रिसर्च स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ एसएचजी'एस एन्टर्वेन्शन ऑन रीडक्शन ऑफ इकोनोमी वायलेंस अगैन्स्ट वुमेन
16.	श्री सरस्वती त्यागराज कॉलेज, श्री सरस्वती त्यागराज कॉलेज, (ऑटोनोमस), पलानी रोड पोल्लाची– कोयंबटूर, तमिलनाडू 642107	रिसर्च स्टडी ऑन चैलेंज्स ऑफ रूरल वुमेन अग्रिप्रेंयूर्स इन इंडिया विद स्पेशल रेफ्रन्स टू कोयंबटूर डिस्ट्रिक्ट
17.	अमृता विश्व विद्यापीठम, (यूनिवर्सिटी), कोयंबटूर अमृता विश्वा विद्यापीठम, यूनिवर्सिटी अमृता नगर, एट्टीमदाई कोयंबटूर–641112 फोनः(0422) 2685000 फैक्सः(0422) 2686274 ई–मेलः univhq@amrita.edu कोयंबटूर, तमिलनाडू 641112	रिसर्च स्टडी ऑन मेंटल हेल्थ चैलेंज्स फेस्ड बाइ माइग्रन्ट सिंगल मदर्स इन त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट
18.	ऐड्मिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया पेन इंडिया हैदराबाद तेलंगाना 500082	रिसर्च स्टडी ऑन असेसिंग दि एफिकैसी एंड इम्पैक्ट ऑफ सलेक्टड वन स्टॉप सेंन्टर्स इन इंडिया
19.	सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 2ए, सेक्टर 19 ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़– 160019	रिसर्च स्टडी ऑन वुमेन, मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टः ए स्टडी इन टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, इंडिया
20.	पेरियार यूनिवर्सिटी, सलेम, तमिलनाडू डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, पेरियार यूनिवर्सिटी, सलेम, तमिलनाडू, 636011	रिसर्च स्टडी ऑन ऐजिंग एंड सोशल इक्स्क्लूशनः एन इन्क्वायरी इनटू दि अब्यूज्स ऑन एल्डर्ली वुमेन ऐज़ ए चैलेंज टू देयर डिग्निटी ऑफ लाइफ
21.	ऐड्मिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया बेल्ला विसटा, ऐड्मिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया राजभवन रोड, खेरातााबाद हैदराबाद, तेलंगाना 500082	रिसर्च स्टडी ऑन स्कीलिंग वुमेन इन इंडियाः इवैल्यूएशन ऑफ सलेक्टड रीजनल वोकेशनल ट्रैनिंग इंस्टिट्यूट
22.	क्रिश्चिन एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट डायरेक्टर, क्रिश्चिन एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट (कार्ड), एम.टी. सभा ऑफिस, थिरुवाल्ला पथानमथित्ता केरल 689101	रिसर्च स्टडी ऑन ए स्टडी ऑन असेसिंग अंडर नरिश्मेंट इशूज अमंग ट्राइबल वुमेन विद स्पेशल रेफ्रन्स टू पुलपेली ग्रामपंचायत इन वायनाद डिस्ट्रिक्ट

23.	यूनिवर्सिटी ऑफ़ कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ़ कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस, नसीम बाग हजरतबल श्रीनगर जम्मू कश्मीर, पिनः190006	रिसर्च स्टडी ऑन इवैल्यूएशन ऑफ कान्फ्लिक्ट ऑन वुमेन मेंटल हेल्थ इन कश्मीरः ए साइकोसोशल एंड इन्टर्वेन्शनल इकोसिस्टम अनैलिसिस
24.	जेप्पिआर इंजीनियरिंग कॉलेज जेप्पिआर इंजीनियरिंग कॉलेज (एमबीए) जेप्पिआर नगर, राजीव गांधी सलाय, चैन्नई 600119 कांचीपुरम, तमिलनाडू 600119	रिसर्च स्टडी ऑन कम्पैरटिव स्टडी ऑन मेंटल हेल्थ एंड रिसाइलेंस स्ट्रैटजीज़ ऑफ मैरिड वर्किंग वुमेन एंड हाउस्वाइवज इन तमिलनाडू
25.	जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट (सीएसआरडी) स्कूल ऑफ सोशल साइंस (एसएसएस) बिल्डिंग–3 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) दिल्ली 110067	लिव–इन'' रिलेशन्शिप एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फर्टीलिटी बिहेवियर, राइट्स, एंड एनटाइटलमेंट ऑफ वुमेन इन इंडियाः ए पर्स्पेक्टिव स्टडी ऑफ फ्यूचर ऑफ दि इंस्टिट्यूशन्स ऑफ मेरिज एंड फैमिली एंड इट्स डाइनामिक्स इन टू मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया
26.	अमेटी बिजनेस स्कूल अमेटी बिजनेस स्कूल एफ–3 ब्लॉक अमेटी यूनिवर्सिटी कैंपस सेक्टर 125 सुपर एक्सप्रेस हाईवे नोएडा, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201301	डिटर्मन्ट्स ऑफ इन्डिजनस लीडर्शिपः क्रीऐटिंग टाइपोलोजिक्स फॉर वुमेन लीडरशीप इन इंडिया
27.	सेक्रेड हार्ट कॉलेज सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड सर्विसेज, डीबी सेंटर, सेक्रेड हार्ट कॉलेज, वनियामबादी रोड, तिरुपत्तूर, वेल्लोरे डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडू 635601	चैलेंज्सि ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वुमेन इन्ट्रप्रनर्शिप इन वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडू

पूर्वोत्तर अनुसंधान अध्ययन

क्रम सं.	गैर सरकारी संगठन/संगठन का नाम	विषय
1.	विवेकनंदा केंद्र इंस्ट्टियूट ऑफ कल्चर, एम.जी. रोड, उजानबाजार, गुवाहाटी, असम	असेसिंग दि इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो–फाइनैन्स स्कीम्स ऑन वुमेन इम्वारमेंट ऑफ असम
2.	मिजोरम यूनिवर्सिटी, तनर्हिल, मिजोरम– 796004	मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन टीचर्स वर्किंग इन सेकेन्डरी स्कूल्स ऑफ मिजोरम

राष्ट्रीय महिला आयोग

प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया–110025
वेबसाइट : http://ncw.nic.in